2019 का विधेयक संख्यांक 186

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण

3. कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण ।
4. अपील ।
5. नियोजक द्वारा प्रचालन के प्रारंभ तथा बंद होने का नोटिस ।

अध्याय 3

नियोजक और कर्मचारियों, आदि के कर्तव्य

6. नियोजक के कर्तव्य ।
7. खान के संबंध में स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व ।
8. विनिर्माता, रूप कार, आयातकर्ता या प्रदायकर्ता का कर्तव्य ।
9. वास्तुविद्, परियोजना इंजीनियर और रूप कार के कर्त्तव्य ।
10. कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना ।
11. कतिपय खतरनाक दुर्घटनाओं की सूचना ।
12. कतिपय रोगों की सूचना ।
13. कर्मचारियों का कर्त्तव्य ।
14. कर्मचारी के अधिकार ।
15. चीजों के साथ हस्तक्षेप न करने या उनका दुरूपयोग न करने का कर्तव्य ।

अध्याय 4

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

16. राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड ।
17. राज्य उपजीवीकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड ।
18. उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक ।
19. अनुसंधान से संबंधित कार्यकलाप ।
20. सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा ।
21. आंकड़े ।
22. सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारी ।

खंड

अध्याय 5

स्वास्थ्य और कार्य की दशाएं

23. नियोक्ता का स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं को बनाए रखने का उत्तरदायित्व ।

अध्याय 6

कल्याणकारी उपबंध

24. स्थापन में कल्याणकारी, आदि ।

अध्याय 7

मजदूरी सहित काम के घंटे और वार्षिक छुट्टी

25. साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे, छुट्टी, आदि ।
26. साप्ताहिक और प्रतिकरात्मक अवकाश ।
27. अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी ।
28. रात्रि पारी ।
29. परस्परव्यापी पारियों का प्रतिषेध ।
30. कारखाना और खान में दोहरे नियोजन पर निर्बंधन ।
31. काम की कालावधियों की सूचना ।
32. मजदूरी, आदि सहित वार्षिक छुट्टी ।

अध्याय 8

रजिस्टर, अभिलेख और विवरणी का अनुरक्षण

33. रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणी का फाइल किया जाना ।

अध्याय 9

निरीक्षक-सह-सुकारक और अन्य प्राधिकारी

34. निरीक्षक-सह-सुकारकों की नियुक्ति ।
35. निरीक्षक-सह-सुकारकों की शक्तियां ।
36. जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और कर्तव्य ।
37. तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा और प्रमाणन ।
38. कारखाना, खान और डॉक कार्य तथा भवन और अन्य संनिर्माण कार्य की बाबत निरीक्षण-सह-सुकारक की विशेष शक्तियां ।
39. मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुकारक, आदि द्वारा सूचना की गोपनीयता ।
40. निरीक्षक-सह-सुकारक को दी गई सुविधाएं ।
41. खान के संबंध में विशेष अधिकारी की प्रवेश, मापने, आदि की शक्ति ।
42. चिकित्सा अधिकारी ।

अध्याय 10

स्त्रियों के रोजगार के संबंध में विशेष उपबंध

43. रात्रि मे स्त्रियों को रोजगार ।
44. खतरनाक प्रचालन मे स्त्रियों के रोजगार का प्रतिषेध ।

खंड

अध्याय 11

ठेका श्रमिकों और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार, आदि के लिए विशेष उपबंध

भाग 1

ठेका श्रमिक और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार

45. इस भाग का लागू होना ।
46. अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति ।
47. ठेकेदार को अनुज्ञापन ।
48. अनुज्ञप्ति प्रदान करना ।
49. कर्मकार के लिए कोई फीस या कमीशन या कोई लागत न होना ।
50. समुचित सरकार को कार्य आदेश संबंधी सूचना का दिया जाना ।
51. अनुज्ञप्ति का खंडन, निलंबन और संशोधन ।
52. अपील ।
53. कल्याण कारी सुविधा के लिए प्रधान नियोजक का दायित्व ।
54. गैर-अनुज्ञप्त ठेकेदार से ठेका श्रमिक नियोजन का प्रभाव ।
55. मजदूरी के संदाय का उत्तरदायित्व ।
56. अनुभव प्रमाणपत्र ।
57. ठेका श्रमिको के नियोजन का प्रतिषेध ।
58. विशेष दशाओं मे छूट देने की शक्ति ।
59. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को सुविधाएं ।
60. विस्थापन भत्ता ।
61. यात्रा भत्ता, आदि ।
62. पूर्व दायित्व ।

भाग 2

दृश्य-श्रव्य कर्मकार

63. करार के बिना दृश्य-श्रव्य कर्मकार के नियोजन का प्रतिषेध ।

भाग 3

खान

64. प्रबंधक ।
65. संहिता का कतिपय दशाओं में लागू न होना ।
66. नियोजन संबंधी उपबंध की छूट ।
67. अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन ।
68. इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या कोई खान इस संहिता के अधीन आती है ।

भाग 4

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार

69. औद्योगिक परिसरों और व्यक्ति को अनुज्ञप्ति ।
70. अपीलें ।
71. कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक परिसरों से बाहर कार्य करने के लिए अनुज्ञा ।

खंड

72. इस भाग का प्राइवेट आवास गृहों में स्व:नियोजित व्यक्तियों पर लागू न होना ।

भाग 5

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार

73. कतिपय भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कतिपय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध ।

भाग 6

कारखाना

74. कारखानों का अनुमोदन और अनुज्ञापन ।
75. कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व ।
76. संहिता को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति ।
77. खतरनाक संक्रियाएं ।
78. स्थल मूल्यांकन समिति का गठन ।
79. अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण ।
80. अधिष्ठाता का परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व ।
81. कतिपय स्थितियों में राष्ट्रीय बोर्ड का जांच करना ।
82. आपात स्थिति मानक ।
83. रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रति उच्छन्नता की अनुज्ञेय सीमाएं ।
84. कर्मकारों का आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने का अधिकार ।
85. कारखाने की दशा में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के आदेश के विरुद्ध अपील ।
86. छूट देने वाले नियम और आदेश देने की शक्ति ।

अध्याय 12

अपराध और शास्तियां

87. अपराधों के लिए साधारण शास्ति ।
88. मुख्य निरीक्षक-सह- सुकारक या निरीक्षक-सह- सुकारक आदि को बाधा कारित करने के लिए दंड ।
89. रजिस्टर अभिलेखों के अननुरक्षण विवरणियों, आदि को फाइल नहीं करने के लिए शास्ति ।
90. कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ।
91. अभिलेखों के मिथ्याकरण, आदि के लिए दंड ।
92. योजनाएं, आदि प्रस्तुत करने का लोप के लिए शास्ति ।
93. रेखांक, आदि देने में लोप के लिए शास्ति ।
94. जानकारी के प्रकटीकरण के लिए दंड ।
95. सदोष ढंग से विश्लेषण के परिणाम को प्रकट करने के लिए शास्ति ।
96. परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित कर्तव्यों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।
97. सुरक्षा प्रावधानों संबंधी कर्तव्यों के उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना होती है, के लिए शास्ति ।
98. खान का प्रबंधक नियुक्त करने में असफलता ।
99. कर्मचारियों द्वारा अपराध ।
100. खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक का अभियोजन ।
101. खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना के अधिष्ठाता को दायित्व से कतिपय दशाओं में छूट ।

खंड

102. कंपनियों द्वारा अपराध, आदि ।

103. अभियोजन की परिसीमा और अपराध का संज्ञान ।

104. समुचित सरकार के अधिकारियों की कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

105. अपराध के लिए कार्यवाहियों, आदि की ग्रहण करने न्यायालय की अधिकारिता ।

106. न्यायालय की आदेश करने की शक्ति ।

107. अपराधों का शमन ।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

108. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

109. आयु के संबंध में दायित्व ।

110. उन सीमाओं, आदि को साबित करने का दायित्व जो व्यवहार्य है ।

111. ठेकेदार, कारखानों तथा औद्योगिक परिसरों तथा व्यक्तियों के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति ।

112. इस संहिता से असंगत विधि और करारों का प्रभाव ।

113. कतिपय मामलों में सीधी जांच करने के लिए समुचित सरकार की शक्तियां ।

114. रिपोर्टों का प्रकाशन ।

115. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

116. सूचना के प्रकटन पर साधारण निर्बंधन ।

117. विवर्जित सिविल न्यायालयों की अधिकारिता ।

118. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

119. विशेष मामलों में छूट प्रदान करने की शक्ति ।

120. लोक आपात के दौरान छूट प्रदान करने की शक्ति ।

121. लोक संस्था को छूट प्रदान करने की शक्ति ।

122. ऐसे व्यक्तियों का जिनसे नोटिस, आदि देने की अपेक्षा की जाती है ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर होना ।

123. केन्द्रीय सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

124. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

125. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

126. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

127. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

128. खान और डॉक कर्म से संबंधित विनियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

129. नियमों, आदि का पूर्व प्रकाशन ।

130. पूर्व प्रकाशन के बिना विनियम बनाने की शक्ति ।

131. उपविधियां ।

132. संसद् के समक्ष विनियमों, नियमों और उपविधियों, आदि का रखा जाना ।

133. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

134. निरसन और व्यावृत्तियां ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

2019 का विधेयक संख्यांक 186

[दि ओकूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन कोड, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019

किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु इस संहिता के उपबंध, जहां तक वे बीड़ी और सिगार तथा बागान के संबध में है, जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि इस संहिता के उपबंध, जहां तक वे खानों के संबंध में हैं, संपूर्ण भारत पर लागू होंगे जिसके अन्तर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अधीन यथा परिभाषित राज्यक्षेत्र सागर खंड, महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों को लागू होंगे । 1976 का 80

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसी किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

(4) यह केन्द्रीय सरकार के कार्यलयों, राज्य सरकार के कार्यालयों और किसी राष्ट्रीयता के युद्धपोत को लागू नहीं होंगे ।

परिभाषाएं । **2.** (1) इस संहिता में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "कुमार" का वही अर्थ होगा जो बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (झ) में उसका है ; 1986 का 61

(ख) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपने अठारह वर्ष पूरे कर लिए हैं ;

(ग) "अभिकर्ता" से जब किसी खान के संबंध में प्रयुक्त हुआ है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, चाहे वह उस रूप में नियुक्त किया गया हो या नहीं, जो स्वामी की ओर से कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए खान या उसके किसी भाग के प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण या निदेशन में भाग लेता है ;

(घ) "समुचित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जा रहे स्थापनों या रेल, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवा, दूर संचार के स्थापना बैंककारी और बीमा कंपनी या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम या अन्य प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन उसके नियंत्रणाधीन केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों द्वारा स्थापित कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समनुषंगी कंपनियां या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय या नियंत्रित उद्योग, जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थापन के प्रयोजनों के लिए ठेकेदारों के स्थापन, निगम या अन्य प्राधिकरण, यथास्थिति, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, समनुषंगी कंपनियां या स्वशासी निकाय भी है, के संबंध में केन्द्रीय सरकार ; और

(ii) किसी कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, बागान, समाचारपत्र स्थापन और बीड़ी और सिगार जिसके अन्तर्गत ऐसे स्थापन भी है जो खंड (i) में सम्मिलित नहीं है, के संबंध में ,

उस राज्य की राज्य सरकार जिसमें, यथास्थिति, वह या वे अवस्थित है ।

(ङ) "दृश्य-श्रव्य उत्पादन" से भारत के पूर्णतः या भागतः उत्पादित दृश्य-श्रव्य अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत एनीमेशन व्यंगचित्र चित्रण और डिजिटल उत्पादन या उसे बनाने से संबंधित किन्हीं क्रियाकलापों सहित दृश्य-श्रव्य विज्ञापन भी है ;

(च) "दृश्य-श्रव्य कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे कलाकार के रूप में इसके अन्तर्गत अभिनेता, संगीतकार, गायक, पुस्तक, समाचारवाचक, नृतक भी हैं काम करने के लिए या कार्य कुशल, अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षणीय, तकनीकी, कलात्मक या अन्यथा कोई कार्य करने के लिए दृश्य-श्रव्य उत्पादन में या उसके संबंध में सीधे तौर पर या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किया जाता है और उसका दृश्य-श्रव्य के निर्माण में या उसके संबंध में ऐसे नियोजन की बाबत उसका पारिश्रमिक अधिक नहीं है जहां पारिश्रमिक मासिक मजदूरी के रूप में है जहां ऐसा पारिश्रमिक एक मुश्त राशि के रूप में है केन्द्रीय सरकार से इस निमित्त अधिसूचित रकम से अधिक नहीं है ;

(छ) "भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य" से भवनों, मार्गो, सड़कों, रेल पथों, ट्राम-पथों, हवाई मैदानों, सिंचाई, जल निकास, तटबंध और नौपरिवहन संकर्म और बाढ़ नियंत्रण संकर्म (जिसके अन्तर्गत वृष्टि जल निकास संकर्म हैं), विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण, जल संकर्म (जिसके अन्तर्गत जल के वितरण के लिए सरणियां हैं), तेल और गैस प्रतिष्ठानों, विद्युत लाइनो, इन्टरनेट टावरों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार और विदेश संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, मीनारों. शीतलन मीनारों, पारेषण मीनारों और ऐसे अन्य कार्य का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, या उनके संबंध में सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या किसी कारखाने या खान का अन्य सन्निमार्ण कार्य या अन्य ऐसा सन्निर्माण कार्य जिसमें दस से कम कर्मकार नियोजित हैं या आवासिक संपत्ति से संबंधित अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें ऐसी संरचना से अधिक कर्मकार नियोजित नहीं है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए ;

(ज) "भवन कर्मकार" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भवन या अन्य सन्निमार्ण कार्य के संबंध में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए कोई कुशल, अर्द्ध-कुशल, शारीरिक तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन प्रकट हो या विवक्षित, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्यतः किसी प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है ;

(झ) "स्थौरा" के अन्तर्गत कोई भी वस्तु आती है जो किसी पोत या अन्य जलयान या यान में ले जाई गई है या ले जाई जानी है ;

(ञ) "मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक" से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक अभिप्रेत है ;

(ट) "सक्षम प्राधिकारी" से समुचित सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ठ) "सक्षम व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसे—

(i) व्यक्ति की अर्हताएं और अनुभव तथा उसके अधिकार में उपलब्ध सुविधाओं ; या

(ii) ऐसी संस्था में नियोजित व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव

तथा उसमें उपलब्ध सुविधाओं,

को ध्यान में रखते हुए किसी स्थापन में किए जाने के लिए अपेक्षित परीक्षणों, परीक्षाओं और निरक्षणों को करने के प्रयोजनों के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा उस रूप में मान्यता दी जाए :

परन्तु खानों की दशा में सक्षम व्यक्ति के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे धारा 64 में निर्दिष्ट प्रबंधक द्वारा, किसी कार्य का पर्यवेक्षण या करने या मशीनरी, संयत्र या उपस्कर के प्रचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रधिकृत किया गया है और जो उसे समनुदेशित ऐसे कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार है और इसके अन्तर्गत गोली दागने वाला या विस्फोटकर्ता भी है ;

(ड) "ठेका श्रमिक" से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है जिसे किसी स्थापन के कार्य में या उसके संबंध में नियोजित तबप समझा जाएगा जब उसे ऐसे कार्य के लिए या उसके संबंध में प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से भाड़े पर लिया जाता है और उसके अन्तर्गत अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार भी है किन्तु इसमें कोई ऐसा कर्मकार (अशंकालिक कर्मचारी से भिन्न) सम्मिलित नहीं हैं जो ठेकेदार द्वारा, उसके स्थापन के किसी कार्यकलाप के लिए नियमित रूप से नियोजित हैं और उसका नियोजन पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियोजन (स्थायी आधार पर विनियोजन सहित) की शर्तों के मानको द्वारा शासित होता है और उसे ऐसे नियोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वेतन में आवधिक वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति और अन्य कल्याण प्रसुविधाएं प्राप्त है ;

(ढ) "ठेकेदार" से किसी स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(i) किसी स्थापन में माल या विनिर्माण वस्तुओं का प्रदाय करने से भिन्न निश्चित परिणाम ठेका श्रमिकों के माध्यम से उसका स्थापन करने के लिए सम्पन्न कराने का जिम्मा लेता है ; या

(ii) उस स्थापन के किसी काम के लिए ठेका श्रमिक उपलब्ध कराता है और इसके अन्तर्गत उप-ठेकेदार भी है ;

(ण) "नियंत्रित उद्योग" से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसका लोक हित में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा संघ को अन्तरित कर दिया गया है ;

(त) "दिवस" से मध्यरात्रि से आरंभ होने वाली चौबीस घंटे की कोई अवधि अभिप्रेत है ;

(थ) किसी खान के संबंध में "जिसा मजिस्ट्रेट" से, यथास्थिति, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अभिप्रेत है जिसमें उस राजस्व जिले में, जिसमें खान अवस्थित है, विधि व्यवस्था बनाए रखने की कार्यकारी शक्तियां निहित है :

परन्तु किसी ऐसी खान की दशा में जो भागतः एक जिले मे अवस्थित है और भागतः किसी अन्य जिले में, उक्त प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट वह जिला मजिस्ट्रेट होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ;

(द) "डॉक कार्य" से पोत या अन्य जलयान, पत्तन, डॉक, भंडारकरण स्थान या उतराई स्थान में या उससे स्थोरा के लादे जाने, उतारे जाने, उसके संचलन या भंडारण के संबंध में या उसके लिए अपेक्षित अथवा उसके आनुषंगिक किसी

पत्तन में या उसके आस-पास कोई कार्य अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) स्थोरा की प्राप्ति या उतराई अथवा पत्तन छोड़ने के लिए पोतों या अन्य जलयानों की तैयारी के संबंध में कार्य ;

(ii) पोत के फलक पर या डॉक में किसी फलक पर टैंक संरचना या उत्थापक मशीनरी या किसी अन्य भंडारकरण क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार की मरम्मतें और अनुरक्षण प्रक्रियाएं ; और

(iii) पोत के फलक पर या डॉक में किसी फलक, किसी फलक टैंक संरचना या अत्थापक मशीनरी या किसी अन्य भंडारकरण क्षेत्र को छीलना, पेन्ट करना या साफ करना ;

(ध) "कर्मचारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) किसी स्थापन के संबंध में, कोई ऐसा व्यक्ति किसी शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन लगा शिक्षु से भिन्न जो किसी स्थापन द्वारा, भाड़े या पारिश्रमिक के कुशल अर्द्धकुशल, अकुशल, शारीरिक, संक्रियात्मक, पर्यवेक्षकीय, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपकीय काम करने के लिए मजदूरी पर नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों ; और

(ii) समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी के रूप में घोषित कोई व्यक्ति ;

किन्तु इसके अन्तर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य नहीं है :

परन्तु इस खंड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी खान की दशा में, ऐसे व्यक्ति को किसी खान में "नियोजित" हुआ समझा जाएगा जो प्रवंधन के रूप में काम करता है या जो खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा नियुक्ति के अधीन या प्रबंधक की जानकारी में चाहे मजदूरी के लिए हो या नहीं—

(क) किसी खनन संक्रिया में काम करता है (जिसके अन्तर्गत प्रेषण और बालू से एकत्र करने के स्थान तक उसका खान तक परिवहन रने खनिजों के हथालन और परिवहन की रहवर्ती संक्रियाएं भी हैं) ;

(ख) खान के विकास से संबंधित संक्रियाओं या सेवाओं का काम करता है जिसके अन्तर्गत उसके संयत्र से निर्माण भी है किन्तु इसमें ऐसे भवनों, सड़कों, कुओं के निर्माण और ऐसे अन्य सन्निर्माण संबंधी कार्य अपवर्जित है जो किसी विध्यमान या भावी खनन संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है ;

(ग) खान में या उसके बारे में प्रयुक्त किसी मशीनरी के किसी भाग के प्रचालन, सर्विसिंग, अनुरक्षण या मरम्मत के काम करता है ;

(घ) खान परिसर के भीतर खनिजों के प्रेषण के लिए लदान संबंधी संक्रियाओं का काम करता है ;

(ङ) खान के किसी कार्यालय में काम करता है ;

(च) क्षेत्र को छोड़कर खान परिसर के भीतर खान से संबंधित इस संहिता के अधीन उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित किसी कल्याण,

स्वास्थ्य, स्वच्छता या साफसफाई या निगरानी संबंधी काम करता है ; या

(छ) किसी अन्य प्रकार का कोई ऐसा काम करता है जो खनन संक्रियाओं के पूर्व या अनुषंगिक या उससे संबंधित हो ;

(न) "नियोजक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने स्थापन में अपनी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से या सीधे तौर पर या किसी व्यक्ति के माध्यम से एक या अधिक कर्मचारी नियोजित करता है और जहां कोई स्थापन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा, चलाया जाता है वहां ऐसे विभाग के प्रमुख द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या जहां ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है वहां विभागाध्यक्ष और किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चालए जा रहे किसी स्थापन के संबंध में उस प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो एक कारखाना है, कारखाने का अअधिष्ठाता ;

(ii) खान के संबंध में खान का स्वामी या धारा 64 में निर्दिष्ट अभिकर्ता या प्रबंधक ;

(iii) किसी अन्य स्थापन के संबंध में ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसका स्थापन के क्रियाकलापों पर अंतिम नियंत्रण हो और जहां उक्त कार्य प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपे गए हैं वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ; और

(iv) ठेकेदार ; और

(v) मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि ;

(प) "स्थापन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई ऐसा स्थान जहां कोई ऐसा उद्योग व्यापार, कारबार चलाया जाता है, ऐसा विनिर्माण या व्यवसाय किया जाता है जिसमें दस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं ; या

(ii) कोई ऐसा कारखाना, मोटर परिवहन उपक्रम, समाचारपत्र स्थापन, दृश्य-श्रव्य विनिर्माण, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य या बागान दस या अधिक कर्मकार नियोजित है ; या

(iii) कोई खान या डॉक कार्य ;

(फ) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें—

(i) दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है ; या

(ii) बीस से अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना से की जा रही है, या आमतौर से ऐसे की जाती है,

किन्तु कोई खान या संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती यूनिट, रेलवे रनिंग शेड या होटल, उपाहारगृह या भोजनालय इसके अन्तर्गत नहीं हैं ;

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों की संख्या की संगणना करने के लिए दिन की विभिन्न समूहों और टोलियों के सभी कर्मकारों को गिना जाएगा ;

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केवल इस तथ्य का कि किसी परिसर या उसके भाग में कोई इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन यूनिट या कोई संगणक यूनिट संस्थापित की गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कारखाना के रूप में है यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है ;

(ब) "कुटुम्ब" से जब किसी कर्मकार के संबंध में प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) पति या पत्नी ;

(ii) बालक जिसके अन्तर्गत कर्मकार के दत्तक बालक भी है जो उस पर आश्रित है और जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हैं ; और

(iii) ऐसे कर्मकार पर आश्रित माता-पिता, पितामह या पितामाही या मातामह या पितामही और विधवा बहन ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे आश्रितों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो तत्समय ऐसे स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ;

(भ) "गोदाम" से कोई ऐसा भांडागार या अन्य स्थान, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जिसका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया, जिससे किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय परिवहन परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिष्करण, पैकिंग या अन्यथा अभिक्रियान्वयन के लिए कोई प्रक्रिया या उसके अनुषंगिक प्रक्रिया अभिप्रेत है, के लिए अपेक्षित वस्तु या पदार्थ के भंडारण के लिए प्रयुक्त है ;

(म) "परिसंकटमय प्रक्रिया" से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे उद्योग के संबंध में, कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहां, जब तक विशेष सावधानी नहीं बरती जाती, वहां उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उत्पाद, उपोत्पाद, परिसंकटमय पदार्थ उनके अपशिष्ट या बहिःस्राव—

(i) से उस उद्योग में लगे हुए या उससे संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का तात्विक ह्रास होगा ; या

(ii) के परिणामस्वरूप साधारण पर्यावरण का प्रदूषण होगा ;

(य) "परिसंकटमय पदार्थ" से कोई ऐसा पदार्थ या पदार्थ की ऐसी मात्रा अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए या जिसका तैयार किया जाना उसके रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुण या उसका इथालन से मनुष्य के शरीर या स्वास्थ्य के लिए परिसंकटमय है या जो अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है ;

(यक) "औद्योगिक परिसर" से ऐसा कोई स्थान या परिसर अभिप्रेत है (जो प्राइवेट निवास-गृह न हो), जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं आती हैं, जिसमें या जिसके किसी भाग में कोई उद्योग, व्यापार, कारबार, व्यवसाय या विनिर्माण शक्ति की सहायता से या उसके बिना की जा री हो या मामूली तौर पर की जाती हो और उसके अन्तर्गत उससे संलग्न गोदाम भी है ;

(यख) "उद्योग" से किसी नियोजक और कर्मकार (चाहे ऐसे कर्मकार को ऐसे नियोजक द्वारा सीधे या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, के माध्यम से नियोजित किया गया हो) के बीच सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की दृष्टि से माल या सेवाओं के उत्पादन, पूर्ति या वितरण को करने के लिए कोई व्यवस्थित क्रियाकलाप अभिप्रेत है (जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हों) भले ही—

(i) ऐसे क्रियाकलाप को करने के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी का विनिधान किया गया हो या नहीं ; या

(ii) ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा हो या नहीं, —

और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आता है,—

(क) सरकार के प्रभुत्व सम्पन्न कृत्यों से संबंधित सरकार का कोई क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उन विभागों द्वारा चलाए जा रहे सभी क्रियाकलाप हैं जो रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी कार्य कर रहे हैं ; या

(ख) कोई घरेलू सेवा ;

(यग) "निरीक्षक-सह-सुकारक" से धारा 34 की उपधारा (1) के अअधीन नियुक्त कोई सुगमकर्ता अभिप्रेत है ;

(यघ) "अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन—

(i) एक राज्य के नियोजक द्वारा दूसरे राज्य में स्थित उसके किसी स्थापन में नियोजन के लिए ; या

(ii) एक राज्य में किसी ठेकेदार के माध्यम से दूसरे राज्य में किसी स्थापन में नियोजन के लिए,

भर्ती किया गया और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रकम से अनधिक मजदूरी पाता है ;

(यङ) "मशीनरी" से संयोजित, व्यवस्थित और जूड़ी हुई कोई वस्तु या वस्तुओं का समूह से अभिप्रेत है और जो किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा के किसी प्रकार को संपरिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है अथवा ऊर्जा के किसी प्रकार को विकसित करने, प्राप्त करने, भंडारण करने, अन्तर्विष्ट करने, सीमित करने, रूपान्तरित करने, प्रसा करने, अन्तरण करने या नियोजित करने के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग के लिए आशयित है, चाहे उसके आनुषंगिक हो या नहीं ;

(यच) "विनिर्माण प्रक्रिया" से अभिप्रेत है—

(i) किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, स्नेहन, धुलाई, सफाई, विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(ii) तेल, जल, मल या कोई अन्य पदार्थ उद्‌वहित करने के लिएकोई प्रक्रिया ; या

(iii) शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या सचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया; या

(iv) कंपोज करने, मुद्रण करने, लैटर-प्रैस मुद्रण करने, आफ-सेट मुद्रण प्रकाशोत्कीर्ण 3 या 4 आयाम वाला मुद्रण, फोटो टाइपिंग, फ्लैग्सोग्राफी या अन्य प्रक्रिया द्‌वारा मुद्रण या जिल्द-बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(v) पोतों या जलयानोंको सन्निर्मित करने, पुनःसन्निर्मित करने, मरम्मत करने, पुनःफिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया; या

(vi) शीतगार में किसी वस्तु के परिरक्षण या भंडारकरण के लिए कोई प्रक्रिया ; या

(vii) कोई अन्य प्रक्रिया जो केन्द्रीय सरकार द्‌वारा अधिसूचित की जाए ;

(यछ) "चिकित्सा अधिकारी" से धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है ;

(यज) "खान" से कोई ऐसा उत्खात अभिप्रेत है जहां खनिजों की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई गई है या चलाई जा रही है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत आते हैं—

(i) सब बोरिंग, बोर छिद्र और तेल कूप और समनुषंगिक अपरिष्कृत अनुकूलन संयंत्र जिनके अन्तर्गत तेल क्षेत्रों के भीतर खनिज तेल ले जाने वाला पाइप भी है ;

(ii) खान मेंके या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब कूपक, चाहे वे गलाए जा रहे हों या नहीं ;

(iii) अनुखनन के अनुक्रम में सब समतलिकाएं और आगत समतथ ;

(iv) सब विवृत खनिज ;

(v) खनिजों या अन्य वस्तुओं को खान में लाने या वहां से हटाने या वहां से कचरा हटाने के लिए उपबंधित सब प्रवहणियां या आकाशी रज्जुमार्ग ;

(vi) खान में के या उसके पार्श्वस्थ और खान के सब एडिट, समतलिकाएं, समपथ, मशीनरी, संकर्म, रेल, ट्रामवेल और साइडिंग ;

(vii) खान में या उसके पार्श्वस्थ चलाए जाने वाले सब संरक्षा संकर्म ;

(viii) वे सब कर्मशालाएं और स्टोर जी खान की प्रसीमाओं के अन्दर

स्थित हैं और एक ही प्रबंध के अधीन हैं और मुख्यतया उस खान से या उसकी प्रबंध के अधीन की गई खानों से संसक्त प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाए जाते है ;

(ix) उस खान या उसी प्रबंध के अधीन की गई खानों के ही या मुख्यता उनके कार्यकरण के प्रयोजनार्थ विद्युत प्रदाय के लिए सभी विद्युत केन्द्र, ट्रांसफार्मर उप-केन्द्र, परिवर्तित केन्द्र, रेक्टीफायर केन्द्र और एक्यूमुलेटर स्टोरेज केन्द्र ;

(x) खान के स्वामी के अन्य अधिभोग में के ेकोई परिसर जो बालू या खान में उपयोग के लिए अन्य पदार्थ जमा करने अथवा खान का कचरा डालने के लिएतत्समय उपयोग में लाए जा रहे हैं या जिनमें ऐसी बालू, कचरे या अन्य पदार्थ के संबंध में कोई संक्रियाएं चलाई जा रही हैं ;

(xi) ऐसे परिसर जो खान में है या उसके पार्श्वस्थ हैं और खान के हैं और जहां खनिजों या कोक की प्राप्ति, दरेसी या विक्रयार्थ तैयारी की अनुषंगी कोई प्रक्रिया चलाई जा रही है ;

(xii) सरकार द्वारा स्वामित्व कोई खान ;

(यझ) "खनिज" से वे सब पदार्थ अभिप्रेत हैं जो भूमि से खनन, खोदने, बर्माने, झमाई, जल-प्रथार खनन, खदान-क्रिया या किसी अन्य संक्रिया द्वारा अभिप्राप्त किए जा सकते हैं, और इसके अन्तर्गत प्राकृतिक गैस और पैट्रोलियम खनिज तेल जैसे आते हैं ;

(यञ) "मोटर परिवहन उपक्रम" से वह मोटर परिवहन उपक्रम अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा यात्रियों या माल या दोनों का भाड़े या इनाम के लिए वहन करने में लगा हुआ है और इसके अन्तर्गत प्राइवेट वाहक आता है ;

(यट) "मोटर परिवहन कर्मकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिवहन यान पर वृत्तिक हैसियत में काम करने के लिए या ऐसे परिवहन यान के आगमन, प्रस्थान और उस पर लदाई या उससे उतराई के संसंग में कर्तव्य करने के लिए, चाहे मजदूरी पर या मजदूरी के बिना, सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से, मोटर परिवहन उपक्रम में नियोजित है और इसके अन्तर्गत ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, स्टेशन कर्मचारिवृन्द, लाइन चैकिंग कर्मचारिवृन्द, बुकिंग क्लर्क, रोकड़ क्लर्क, डिपो क्लर्क, टाइमकीपर, चौकीदार या परिचर आता है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आतें—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो कारखाने में नियोजित है ;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे दुकानों या वाणिज्यिक स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंध लागू होते हैं ;

(यठ) "समाचारपत्र" से ऐसी कोई छपी हुई नियतकालिक कृति अभिप्रेत है जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणियां हों और इसके अन्तर्गत छपी हुई नियतकालिक कृति का ऐसा अन्य वर्ग भी है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(यड) "समाचारपत्र स्थापन" से एक या अधिक समाचार पत्रों के उत्पादन या प्रकाशन के लिए या कोई समाचार एजेन्सी या सिंडिकेट चलाए जाने के लिए

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के, चाहे वह निगमित हो या नहीं, नियंत्रण के अधीन कोई स्थापन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसे समाचार प्त्र स्थापन भी है जिन्हें एक स्थापन के रूप में समन समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) सामान्य नियंत्रण के अधीन दो या अधिक समाचारपत्र स्थापन ;

(ख) किसी व्यष्टि और उसके पति या उसकी पत्नी के स्वामित्वाधीन दो या अधिक समाचारपत्र स्थापन, जब तक कि यह दर्शित नहीं किया जाता कि ऐसा पति या पत्नी अपनी व्यष्टिक निधियों के आधार पर किसी निगमित निकाय का या की एक मात्र स्वत्वधारी या भागीदार या शेयर धारक है ;

(ग) ऐसे दो या अधिक समाचारपत्र स्थापन, जो एक ही या समरूप नाम वाले समाचारपत्र है और एक ही भाषा में भारत में किसी स्थान में अथवा एक हो या समरूपनाम वाले समाचारपत्र उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं ;

स्पष्टीकरण 1—उपखंड उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए दो या अधिक स्थापनों को सामान्य नियंत्रण के अधीन समझा जाएगा, जहां—

(अ) (i) जहां समाचारपत्र स्थापन साम्य व्यष्टि या व्यष्टियों के ;

(ii) जहां समाचारपत्र स्थापन फर्मों के स्वामित्व में है यदि ऐसी फर्मों के पर्याप्त संख्या में भागीदार सामान्य है ;

(iii) जहां समाचारपत्र स्थापन निगमित निकायों के स्वामित्व में है, यदि एक निगमित निकाय अन्य निगमित निकाय का समनुंगी है या दोनों सामान्य नियंत्री कंपनी के समनुषंगी है या उसके पर्याप्त संख्या में साधारण शेयर एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्व में है ;

(iv) जहां एक स्थापन निगमित निकाय के स्वामित्व में है और दूसरा किसी फर्म के स्वामित्व में है, यदि पर्याप्त संख्या में उस फर्म के भागीदार एक साथ मिल कर निगमित निकाय के साधारण शेयर पर्याप्त संख्या में धारण करते हैं ;

(v) जहां एक स्थापन निगमित निकाय के स्वामित्व में है और दूसरा ऐसी फर्म के स्वामित्व में है, जिसके भागीदार निगमित निकाय है, यदि ऐसे निगमित निकायों के पर्याप्त संख्या में साधारण शेयर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, चाहे निगमित हो या नहीं, स्वामित्व में है ; या

(आ) जहां संबंधित समाचारपत्र स्थापनों में कृत्यात्मक समग्रता है ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(i) समाचारपत्र स्थापनों के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केन्द्रों को उनका भाग समझा जाएगा ;

(ii) मुद्रणालय समाचारपत्र स्थापन समझा जाएगा, यदि उसका

मुख्य कारबार समाचारपत्र मुद्रित करना है ;

(यढ) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तद्नुसार "अधिसूचित" पद का उसके व्याकरणिक रूप भेद और सजातीय पदों के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(यण) कारखाने के "अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है :

परन्तु—

(i) किसी फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम की दशा में, उसका कोई एक व्यष्टिक भागीदार या सदस्य ;

(ii) किसी कंपनी की दशा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अर्थान्तर्गत किसी स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर निदेशकों में से कोई एक निदेशक ; 2013 का 18

(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कारखाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए कारखाने के कामकाज के प्रबंध के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को अअधिष्ठाता समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी पोत की दशा में जिसकी मरम्मत या जिस पर अनुरक्षण कार्य ऐसे सूखे डॉक में किया जा रहा है जो भाड़े पर उपलब्ध है । डॉकके स्वामी को सभी प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता समझा जाएगा, सिवाय उन विषयों के केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए जो ऐसे पोत की दशा में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जिसके लिए स्वामी को अधिष्ठाता समझा गया है ;

(यत) "खान का कार्यालय" से संपृक्त खान के वहिस्थल पर का कोई कार्यालय अभिप्रेत है ;

(यथ) "विवृत खानत" से खादान अर्थात् कोई ऐसा उत्खात अभिप्रेत है जहां खनिजों की तलाश या अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलाई जाती रही है या चलाई जा रही है और जो न कूपक है न ऐसा उत्खात है जिसका विस्तार उपरिस्थ भूमि के नीचे है ;

(यद) किसी स्थापन या उसके किसी भाग के प्रति निर्देश से "सामान्य रूप से नियोजित" से किसी स्थापन या उसके किसी भाग में, पूर्ववर्ती क्लैंडर वर्ष के दौरान प्रतिदि नियोजित औसत व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्राम के दिनों और अन्य उन दिनों को जिन दिनों काम बन्द रहा है को अपवर्जित करते हुए कार्य दिवसों में की संख्या में एक दिन में काम किए गए व्यक्तियों को भाग देकर अभिप्राप्त होगी ;

(यध) "स्वामी" से जब कि वह किसी खान के संबध में प्रयुक्त हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो खान या उसके किसी भाग का अव्यवहित स्वत्वधारी, पट्टेदार या अधिभोगी है, और ऐसी खान की दशा में, जिसका कारबार समापक

या रिसीवर द्वारा चलाया जा रहा है, वह समापक या रिसीवर अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं आता है, जो उस खान से केवल स्वामिस्व, भाटक या नजराना प्राप्त करता है, या ऐसी खान का स्वत्वधारी मात्र है, जो कार्यकरण के लिए किसी पट्टे, अनुदान या अनुज्ञप्ति के अध्यधीन है या केवल मृदा का स्वामी है और उस खान के खनिजों में हितबद्ध नहीं है, किन्तु खान या उसके किसी भाग के कार्यकरण का कोई ठेकेदार या उप-पट्टेदार उसी प्रकार से इस संहिता के अध्यधीन होगा मानो वह स्वामी हो, किन्तु इस परकार नहीं कि स्वामी को किसी दायित्व से छूट मिल जाए ;

(यन) "बागान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) कोई भूमि जो निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाती है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है—

(i) चाय, काफी, रबड़, सिंकोना या इलायची उगाने के लिएऔर जिसकी माप पांच हेक्टेयर या अधिक है ;

(ii) कोई अन्य पौधा उगाने के लिए है, जिसकी माप पांच हेक्टेयर या अधिक है और जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् यदि ऐसा निदेश दे, पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन व्यक्ति नियोजित किए गए है या नियोजित किए गए थे ;

स्पष्टीकरण—जहां इस उपखंड में निर्दिष्ट किसी पौधे के उगाने के लिए प्रयुक्त भूमि के किसी भाग की माप पांच हेक्टेयर से कम है और जो किसी अन्य ऐसी भूमि के टुकड़े से संलग्न है जिसका इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है किन्तु वह इस प्रकार उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है और भूमि के ऐसे दोनों टुकड़े एक ही नियोजन के प्रबंध के अधीन हैं वहां इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए पहले वर्णित भूमि के टुकड़े को बागान समझा जाएगा यदि भूमि के ऐसे टुकड़े के कुल क्षेत्र की माप पांच हेक्टेयर या उससे अधिक है ; और

(ख) कोई ऐसी भूमि इस बात के होते हुए भी कि उसकी माप पांच हेक्टेयर से कम है, जो राज्य में निर्दिष्ट को किसी पौधे को उगने के लिए अधिसूचित की जाए और जिसका उन पौधों को उगाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है :

परन्तु ऐसी कोई घोषणा उस भूमि के संबंध में नहीं की जाएगी जिसकी माप इस संहिता के प्रारंभ से ठीक पहिले पांच हेक्टेयर से कम थी ; और

(ग) कार्यालय, अस्पताल, औषद्यालय, विद्यालय और उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अर्थातन्तर्गत किसी बागान से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई अन्य परिसर, किन्तु इसके अन्तर्गत परिसर पर का कोई कारखाना नहीं है ;

(यप) "विहित" से इस संहिता के अधीन, यथास्थिति, समुचित सरकार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत

है ;

(यफ) "प्रधान नियोजक" से जहां कोई ठेका श्रमिक नियोजित या लगाया जाता है—

(i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग के संबंध के उस कार्यालय या विभाग का प्रधान या अन्य ऐसा अधिकारी जिसे सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) किसी कारखाने में उस कारखाने का स्वामी या अधिष्ठाता और जहां कोई व्यक्ति उस कारखाने का प्रबंधक नामित किया गया है, वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति ;

(iii) खान में, उस खान का स्वामी या अभिकर्ता ;

(iv) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, उस स्थापन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ;

(यब) श्रव्य-दृश्य निर्माण के संबंध में "निर्माता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा ऐसे श्रव्य-दृश्य निर्माणके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है (उसके अंतर्गत वित्त की व्यवस्था और श्रव्य-दृश्य के निर्माण के लिए श्रव्य-दृश्य कामगारों को लगाना भी है);

(यभ) "अर्हक चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के अधीन कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता रखने वाला चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है और जो उस धारा के खंड (ङ) में यथा परिभाषित भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में तथा खंड (ट) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित है ; 1956 का 102

(यम) "टोली" से दिन की विभिन्न अवधियों के दौरान समान कार्य करने वाले दो या अधिक व्यक्तियों का सैट अभिप्रेत है और प्रत्येक ऐसी अवधि "पारी" कहलाती है ;

(यय) "विक्रय संवर्धन कर्मचारी" से किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है जो विक्रय या कारबार के संवर्धन से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए भाड़े पर या पारिश्रमिक पर किसी स्थापन में नियोजित या लगा हुआ है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो—

(i) पर्यवेक्षक की हैसियत से नियोजित या लगा हुआ है, पंद्रह हजार रूप ये मासिक से अधिक या ऐसी रकम मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है जो समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए; या

(ii) प्रबंधक या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित या लगा हुआ है ;

(ययक) "अनुसूची" से इस संहिता के उपाबद्ध असुसूची अभिप्रेत है ;

(ययख) "गंभीर शारीरिक क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है, जिसमें शरीर के किसी भाग या हिस्से की स्थायी हानि अथवा शरीर के किसी भाग या हिस्से के उपयोग की स्थायी हानि, अथवा दृष्टि या श्रवण क्षमता की स्थायी हानि या क्षति या कोई स्थायी शारीरिक अक्षमता अथवा किसी अस्थि या एक या अधिक संयोजनों का टूटना या हाथ अथवा पैर की अंगुल्यस्थियों का टूटना अंतर्वलित है

या पूर्णत: अंतर्वलित होना संभाव्य है;

(ययग) "मानक", "विनियम", "नियम", "उपविधि" और "आदेशों" से क्रमश: इस संहिता के अधीन बनाए गए मानक, विनियम, नियम, उपविधि और किए गए आदेश अभिप्रेत है ;

(ययघ) "सप्ताह" से शनिवार रात्रि की मध्यरात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि, जो मुख्य सुकरकर्ता द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदित किए जाए, को आरंभ होने वाली सात दिनों की अवधि अभिप्रेत है ;

(ययङ) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी उद्योग में
1961 का 53 भाड़ें पर या पारिश्रमिक के बदले प्रचालन संबंधी, लिपिकीय या पर्यवेक्षण संबंधी कार्य में नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और इसके अंतर्गत कार्यरत पत्रकार और विक्रय संवंर्धन कर्मचारी भी हैं, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो—

1950 का 45
1957 का 62 (i) वायु सेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 का प्रजाजन है ; या

(ii) जो पुलिस सेवा में नियोजित है या कारागार का अधिकारी या कर्मचारी है ; या

(iii) जो मुख्यत: प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित है ; या

(iv) पर्यवेक्षक की हैसियत से नियोजित है, पंद्रह हजार रूपए मासिक से अधिक या ऐसी रकम मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;

(ययच) "कार्यरत पत्रकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका मुख्य रोजगार पत्रकार का है और जो इस हैसियत से या तो पूर्णकालिक एक या अधिक समाचारपत्र स्थापनों अथवा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित अन्य स्थानों में नियोजित है, जैसे समाचारपत्र या रेडियो या वैसे ही अन्य मीडिया और इसके अंतर्गत, संपादक, नेता-लेखक, समाचार संपादक, उपसंपादक, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटोग्राफर और प्रूफ रीडर भी है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्यत । प्रबंधकीय, पर्यवेक्षक या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित है ।

(2) इस संहिता के प्रयोजनों के लिए खान में या उसके संबंध में कार्यरत या नियोजित कोई व्यक्ति, —

(क) "भूमि के ऊपर" यदि वह किसी खुले हुए निक्षेप में कार्यरत है या किसी अन्य रीति में कार्यरत है जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट नहीं है ; और

(ख) "भूमि के नीचे" यदि वह—

(i) शैफ्ट में कार्यरत या नियोजित है । जो डूबी हुई है या डूबने के अनुक्रम में है; या

(ii) किसी खुदाई में नियोजित या कार्यरत है जो उपरिवर्ती भूमि के नीचे विस्तारित है,

कार्यरत या नियोजित कहा जाएगा ।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण

कतिपय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण ।

3. (1) प्रत्येक नियोजक,—

(क) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसको यह संहिता इसके प्रारंभ पर लागू होती है, ऐसे प्रारंभ से साठ दिनों की अवधि के भीतर; और

(ख) किसी अन्य स्थापन के संबंध में जिसको यह संहिता ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय लाग हो सकेगी, ऐसे स्थापन को इस संहिता लागू होने से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर,

ऐसे स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए समुचित सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकार कहा गया है) को आवेदन करेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे किसी आवेदन को ऐसी विलंब फीस के साथ स्वीकार कर सकेगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में, ऐसे प्ररूप में, ऐसी विशिष्टियों के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्थापन को रजिस्टर करेगा और उसके नियोजक को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस प्रकार किए गए या स्वीकार किए गए आवेदन को विहित अवधि के भीतर रजिस्टर करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्थापन इस उपधारा के अधीन ऐसी अवधि की समाप्ति पर तुरंत रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा ।

(4) इस संहिता के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् स्वामित्व या प्रबंधन में होने वाला या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विशिष्टि में होने वाला कोई परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नियोजक द्वारा ऐसे प्ररूप में सूचित किया जाएगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(5) स्थापन का नियोजक, स्थापन के बंद होने के तीस दिन के भीतर—

(क) ऐसे स्थापन के बंद होने की सूचना देगा; और

(ख) ऐसे स्थापन में नियोजित कर्मकारों के सभी बकाया के संदाय को,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रमाणित करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना और प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर उसके द्वारा रखे गए स्थापनों के रजिस्टर से ऐसे स्थापन को हटा देगा तथा तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा ।

(6) यदि स्थापन का नियोजक,—

(क) ऐसे स्थापन को लागू इस संहिता के किसी उपबंध का अतिक्रमण करता है; या

(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के संबंध में किसी तथ्य का दुर्व्यपदेशन किया है या करता है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियोजक को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् स्थापन का रजिस्ट्रीकरण वापस ले सकेगा ।

(7) किसी स्थापन का कोई नियोजक—

(क) जिसने इस धारा के अधीन स्थापन का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया है ; या

(ख) ऐसे स्थापन का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (5) के अधीन रद्द या उपधारा (6) के अधीन वापस कर दिया गया है, तथा धारा 4 के अधीन ऐसे रद्दकरण या वापस लेने के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है या जहां ऐसी अपील की गई है, ऐसी अपील निरस्त कर दी गई है,

स्थापन में किसी कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा ।

अपील ।

4. (1) धारा 3 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको आदेश उसे संसूचित किया जाता है, अपील अधिकारी को अपील करेगा, जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई व्यक्ति होगा:

परंतु अपील अधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय से अपील फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

नियोजक द्वारा प्रचालन के प्रारंभ तथा बंद होने का नोटिस ।

5. (1) कारखाने या खदान या ठेका श्रम अथवा भवन या संनिर्माण संकर्म से संबंधित स्थापन का कोई नियोजक ऐसे स्थापन को किसी उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका का प्राचन प्रारंभ करने के ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसे समय के भीतर, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे प्रयोजन के लिए नोटिस भेजे बिना उपयोग नहीं करेगा तथा उक्त प्राधिकारी को विहित रीति में ऐसे प्रचालन के बंद होने के बारे में सूचित करेगा ।

(2) समुचित सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस या सूचना की इलैक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति प्रदान करेगी ।

अध्याय 3

नियोजक और कर्मचारियों, आदि के कर्तव्य

नियोजक के कर्तव्य ।

6. (1) प्रत्येक नियोजक—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य स्थल उन खतरों से मुक्त है जो कर्मचारियों को अति या उपजीविकाजन्य रोग उत्पन्न करते हैं या करने की संभावना है ;

(ख) इस संहिता के अधीन बनाए गए उपजीविका सुरक्षा और स्वास्थ्य

मानकों तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों, नियमों, उपविधियों तथा आदेशों का पालन करेगा ;

(ग) ऐसा वार्षिक स्वास्थय परीशन या जाच नि:शुल्क ऐसी आयु या ऐसे वर्ग के कर्मचारियों को अथवा ऐसे स्थापनों को या स्थापनो के ऐसे वर्गो को प्रदान करेगा, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ;

(घ) जहां तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, ऐसा कार्य संबंधी वातावरण प्रदान तथा अनुरक्षित करेगा जो सुरक्षित तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य को जोखिम के बिना हो ;

(ङ) खतरनाक और विषैले अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करेगा, जिसके अंतर्गत ई-अपशिष्ट का निपटान भी है ;

(च) स्थापन में नियोजन पर प्रत्येक कर्मचारी को ऐसी जानकारी के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए और जहां किसी कर्मचारी को ऐसा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, उसे इस संहिता के प्रारंभ पर या उसके पूर्व ऐसे प्रारंभ के तीन पास के भीतर, ऐसा नियुक्ति पत्र शीघ्र दिया जाएगा ;

(छ) यह सुनिश्चित होगा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को अनुरक्षित करने के लिए किए गए या उपबंधित किसी कार्य के संबंध में किसी कर्मचारी पर कोई प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उपजीविकाजन्य रोगों को पता लगाने के लिए स्वास्थ्य परीक्षण और अन्वेषण भी है ;

(ज) ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा और उसके लिए उत्तरदायी होगा जो उसकी जानकारी में या जानकारी के बिना नियोजक के कार्यस्थल पर हैं, कारखाना, खदान, डॉक संदर्भ, भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म या बागान में लगे हुए हैं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशिष्टतया कारखाने, खदान, डॉक, भवन या अन्य सन्निर्माण संकर्म अथवा बागान के संबंध मे नियोजक के कर्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा—

(क) संयंत्र और कार्यस्थल पर कार्यतंत्र का उपबंध और अनुरक्षण, जो सुरक्षित तथा स्वास्थ्य को जोखिम के बिना है ;

(ख) वस्तुओं और पदार्थों के उपयोग, हथालन, भण्डारण और परिवहन के संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य को जोखिम के अभाव हेतु कार्यस्थल पर व्यवस्थाएं;

(ग) ऐसी सूचना, निर्देश, प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण के उपबंध जो कार्य पर सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ;

(घ) कार्यस्थल पर कार्य के सभी स्थानों का ऐसी दशा में अनुरक्षण जो सुरक्षित तथा स्वास्थ्य की जोखिम के बिना हो और ऐसे स्थानों पर पहुंच तथा निकास के लिए ऐसे साधनों का उपबंध और अनुरक्षण, जो सुरक्षित और ऐसे जोखिम के बिना हो ;

(ङ) कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर ऐसे कामकाजी वातावरण का उपबंध, अनुरक्षण या मानीटरी करना, ताकि काम पर उनके कल्याण के लिए सुविधाओं

और इंतजामों के संबंध में सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो ।

खान के संबंध में स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व ।

7. (1) प्रत्येक खान का स्वामी और अभिकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग वित्तीय और अन्य उपबंधों को बनाने के लिए और इस संहिता के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए विनियम, नियम, उपविधि और आदेशों के अनुपालन के लिए और ऐसे अन्य कदमों के लिए जो आवश्यक हो, उत्तरदायी होगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, उपविधियों या आदेशों के किसी उपबंधों में से, उनके सिवाय जो किसी व्यक्ति से कोई कार्य या चीज करने की या किसी व्यक्ति को कोई कार्य या चीज करने से प्रतिषिद्ध करने की विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा करते हैं, किसी उपबंध का किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई उल्लंघन होने की दशा में, उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसने उल्लंघन किया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति भी ऐसे उल्लंघन होने का दोषी माना जाएगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसने ऐसे उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी और ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त उपाय किए थे, अर्थात् :—

(क) वह या वे पदधारी, जिनको उल्लंघन किए गए उपबंधों की बाबत पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया था ;

(ख) खान का प्रबंधक ;

(ग) खान का स्वामी और अभिकर्ता ;

(घ) वह व्यक्ति, यदि कोई हो, धारा 24 के अधीन उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

(3) इस धारा के अधीन खान के स्वामी या अभिकर्ता के विरुद्ध की गई किसी कार्रवाई में यह कोई प्रतिवाद नहीं होगा कि प्रबंधक और अन्य पदधारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार या धारा 24 के अधीन उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए नियुक्ति की गई है ।

विनिर्माता, रूप कार, आयातकर्ता या प्रदायकर्ता का कर्तव्य ।

8. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी स्थापन में प्रयोग के लिए किसी वस्तु का डिजाइन, विनिर्माण, आयात या प्रदाय करता है,—

(क) जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य है, यह सुनिश्चित करेगा कि उस वस्तु को इस प्रकार से डिजाइन और सन्निर्मित किया जाए कि जब उसका उचित रूप से प्रयोग किया जाए, तब वह सुरक्षित और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो ;

(ख) ऐसे परीक्षण और ऐसी परीक्षा करेगा या करने की व्यवस्था करेगा जो खंड (क) के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझी जाएं ;

(ग) ऐसा कदम उठाएगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि--

(i) किसी स्थापन में वस्तु के प्रयोग के संबंध में ;

(ii) उस प्रयोग के बारे में जिसके लिए वस्तु को डिजाइन किया गया है और परीक्षण किया गया है ; और

(iii) किन्हीं दशाओं के बारे में जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि जब उस वस्तु का ऐसे प्रयोग किया जाए तब वह सुरक्षित

और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम रहित हो,

की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होगी :

परंतु जहां वह वस्तु भारत के बाहर डिजाइन या विनिर्मित की गई है वहां आयातकर्ता के लिए यह देखना बाध्यकर होगा कि—

(क) यदि ऐसी वस्तु भारत में विनिर्मित की जाती है तो वस्तु उन्हीं मानकों के अनुरूप है ; या

(ख) यदि ऐसी वस्तु के विनिर्माण के लिए भारत के बाहर देश में अंगीकृत मानक, भारत में अंगीकृत मानकों से ऊपर है तो वस्तु ऐसे देश में ऐसे मानकों के अनुरूप है ; या

(ग) यदि भारत में ऐसी वस्तुओं के मानक नहीं है, तो वस्तु देश में अंगीकृत मानकों के अनुरूप है जहां से इसे राष्ट्रीय स्तर पर आयात किया गया है ।

(2) रूपकार, विनिर्माता, आयातकर्ता या प्रदायकर्ता ऐसे कर्तव्यों का भी अनुपालन करेंगे, जिसे केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के परामर्श से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारखाने में प्रयोग के लिए किसी वस्तु या पदार्थ को डिजाइन या विनिर्मित करने का जिम्मा लेता है वह पता लगाने की दृष्टि से और, जहां तक युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, कर्मकारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए किन्हीं जोखिमों को, जो ऐसे वस्तु या पदार्थ के डिजाइन या विनिर्माण से उत्पन्न हो सकती है, दूर हटाने या कम करने के लिए आवश्यक अनुसंधान कर सकेगा या कराने की व्यवस्था कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यक्ति से ऐसा परीक्षण, परीक्षा या अनुसंधान पुन: करने की अपेक्षा करती है, जो उनके द्वारा या उसकी प्रेरणा से नहीं अपितु अन्यथा किया गया है किंतु ऐसा तब जब उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए उसके लिए उनके परिणामों पर निर्भर करना उचित है ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का विस्तार केवल उसके द्वारा किए जा रहे कारबार के अनुक्रम में और उसके नियंत्रण के अधीन विषयों के बारे में की गई बातों तक होगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) जो कारखाने में प्रयोग के लिए किसी वस्तु को परिनिर्मित या स्थापित करता है, जहां तक साध्य है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी वस्तु जो परिनिर्मित या स्थापित है, जब वह वस्तु ऐसे कारखाने में व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, असुरक्षित या जोखिम वाली न हो ;

(ख) जो किसी कारखाने में प्रयोग के लिए किसी पदार्थ को विनिर्मित करता है, आयात करता है या प्रदाय करता है—

(i) वह सुनिश्चित करेगा कि जहां तक साध्य है, ऐसे पदार्थ से ऐसे कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और जोखिम न हो;

(ii) यदि आवश्यक हो, ऐसे पदार्थ के संबंध में ऐसे परीक्षण और परीक्षा कराने के लिए कार्यान्वित करेगा या व्यवस्था करेगा;

(iii) उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट ऐसे पदार्थ के प्रयोग के संबंध में कार्यान्वित किए गए परीक्षणों के परिणामों के बारे में सूचना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए इसके सुरक्षित प्रयोग और जोखिम रहित को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्तों के साथ कारखाने में उपलब्ध है ;

(ग) किसी कारखाने में प्रयोग के लिए किसी पदार्थ को विनिर्मित करने का जिम्मा लेता है, यह पता लगाने की दृष्टि से और, जहां तक साध्य हो, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए किन्हीं जोखिमों को, जो ऐसे विनिर्माण या अनुसंधान से उत्पन्न हो सकती है, दूर हटाने या कम करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुसंधान कर सकेगा या कराने की व्यवस्था कर सकेगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वस्तु और पदार्थ को उचित रूप से प्रयोग किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उसके प्रयोग से संबंधित किसी जानकारी या सलाह को, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने उस पदार्थ या पदार्थ का डिजाइन, विनिर्मित, आयात या प्रदाय किया है, उपलब्ध कराई गई है, ध्यान में रखे बिना उसका प्रयोग किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) 'वस्तु' के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी भी है ।

(ख) 'पदार्थ' से ऐसा प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, जो ठोस या द्रव रूप में या गैस या वाष्प रूप में हो, अभिप्रेत है; और

(ग) 'किसी कारखाने में प्रयोग के लिए पदार्थ' से जो कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आशयित है या नहीं ।

वास्तुविद्, परियोजना इंजीनियर और रूप कार के कर्त्तव्य ।

9. (1) वास्तुविद्, परियोजना इंजीनियर और रूपकार का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित उसकी किसी परियोजना या उसके भाग के किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य या डिजाईन को सुनिश्चित करने के लिए जो ऐसी परियोजना और निर्मिति जैसा भी मामला हो, के निर्माण, प्रचालन और निष्पादन में नियुक्त हैं, भवन कर्मकार और कर्मचारियों को योजना प्रक्रम पर, सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू पर सम्यक् ध्यान दिया गया है ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परियोजना में अंतर्वलित वास्तुविद्, परियोजना इंजीनियर, और अन्य वृत्तिक द्वारा पर्याप्त देख-रेख किया जाएगा, जो निर्माण, प्रचालन और निष्पादन, जैसी की दशा हो, के दौरान भवन कर्मकार और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक निर्माण या अन्य प्रक्रियाओं या तत्वों का, परिसंकटमय का प्रयोग सम्मिलित होगा, जिसके डिजाइन में कोई चीज सम्मिलित नहीं होगी ।

(3) भवन निर्माणों या अन्य निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन में अंतर्वलित वृत्तिकों का यह कर्तव्य होगा कि निर्माणों और भवनों के अनुरक्षण और रखरखाव के साथ सहयुक्त सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखें जहां अनुरक्षण और रखरखाव में विशेष परिसंकट अंतर्वलित हो ।

कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना ।

10. (1) जहां किसी स्थापन में कोई ऐसी दुर्घटना होती है, जिससे मृत्यु कारित होती है या जिससे कोई शारीरिक क्षति कारित होती है जिसके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति दुर्घटना होने के ठीक पश्चात् अड़तालीस घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्य करने से निवारित हो जाता है या जो ऐसी प्रकृति की है जो विहित की जाए वहां नियोजक, उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर देगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए—

(क) ऐसे स्थापन, यदि वह खान है कि धारा 64 में विनिर्दिष्ट नियोक्ता या मालिक या एजेंट या प्रबंधक ; या

(ख) ऐसे स्थापन के संबंध में नियोक्ता या प्रबंधक यदि यह कारखाना या डॉक कार्य से संबंध रखता है ; या

(ग) ऐसे स्थापन का नियोक्ता यदि यह बागान, भवन या अन्य निर्माण कार्य या किसी अन्य स्थापन से संबंधित है जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विहित हो, उसकी सूचना भेजेगा ।

(2) जहां किसी स्थापन में दुर्घटना से मृत्यु कारित होने से संबंधित उपधारा (1) के अधीन सूचना दी गई है तो प्राधिकारी जिसे सूचना भेजी गई है, सूचना की प्राप्ति के दो मास के भीतर घटना की जांच करेगा या यदि ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक उक्त अवधि के भीतर जांच करेगा ।

कतिपय खतरनाक दुर्घटनाओं की सूचना ।

11. जहां किसी स्थापन में ऐसे प्रकृति की कोई खतरनाक दुर्घटना हो जाए, (जिससे चाहे शारीरिक क्षति या नि:शक्तता हो जाती हो या न हो जाती हो), वहां कारखाने का प्रबंधक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्ररूप में और इतने समय के भीतर भेजेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

कतिपय रोगों की सूचना ।

12. (1) जहां किसी स्थापन में किसी कर्मकार को तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई रोग हो जाए वहां स्थापन का प्रबंधक उसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों को और ऐसे प्ररूप में और इतने समय के भीतर भेजेगा जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) यदि कोई अर्हित चिकित्सा व्यवसायी किसी ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करता है, जो किसी स्थापन में नियोजित है या रहा है और जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी रोग से पीड़ित है या जिसके बारे में अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी को विश्वास है कि ऐसे रोग से पीड़ित है तो चिकित्सा व्यवसायी अविलंब एक लिखित रिपोर्ट समुचित सरकार द्वारा विहित ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के कार्यालय में भेजेगा ।

(3) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल होगा तो वह जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कर्मचारियों का कर्त्तव्य ।

13. कार्यस्थल पर प्रत्येक कर्मचारी—

(क) स्वयं की और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का युक्तियुक्त ध्यान रखेगा, जो कार्यस्थल पर उसके कृत्य या लोप द्वारा प्रभावित हो सकते हैं;

(ख) मानकों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा और स्वास्थ्य अपेक्षाओं का अनुपालन

करेगा;

(ग) संहिता के अधीन नियोक्ता के कानूनी दायित्वों को पूरा करने में नियोक्ता का सहयोग करेगा ;

(घ) किसी ऐसी स्थिति की रिपोर्ट, जो उसके ध्यान में आती है अपने नियोक्ता या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रतिनिधि को यथासाध्य शीघ्रता से करेगा और खान की दशा में, धारा 64 में निर्दिष्ट स्वामी या एजेंट या प्रबंधक को, अपने कार्यस्थल या उसके किसी खंड के लिए सुरक्षा अधिकारियों या पदधारियों को, जैसी भी स्थिति हो, वह उसकी रिपोर्ट नियोक्ता को करेगा ;

(ङ) कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए उपबंधित कार्यस्थलों पर कोई साधित्र, सुविधा या अन्य चीज के साथ जानबूझकर हस्तक्षेप, या दुरुपयोग या उपेक्षा नहीं करेगा ;

(च) जानबूझकर और बिना युक्तियुक्त कारण के, कोई कार्य न करें जिससे स्वयं को या दूसरों को संकटापन्न करने की संभावना हो;

(छ) समुचित सरकार द्वारा विहित ऐसे अन्य कर्त्तव्यों को पूरा करें ।

कर्मचारी के अधिकार ।

14. (1) किसी स्थापना में प्रत्येक कर्मचारी को कार्य पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियोजक से सूचना अभिप्राप्त करने का और नियोजक को सीधे या सुरक्षा समिति के सदस्य के माध्यम से यदि ऐसे प्रयोजन के लिए नियोक्ता द्वारा गठित की गई हो, कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में उसकी सुरक्षा या स्वास्थ्य की बाबत अपर्याप्त उपबंधों के लिए अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा और यदि उसका समाधान नहीं होता है तो निरीक्षक-सह-सुकारक को अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा ।

(2) जहां, किसी कार्यस्थल पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी के पास इस बात की युक्तियुक्त आशंका हो कि किसी आसन्न गंभीर शारीरिक क्षति या मृत्यु की या स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना है तो वे सीधे या उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुरक्षा समिति के सदस्य के माध्यम से उसे नियोक्ता की सूचना में लाएंगे और साथ ही उसे निरीक्षक-सह-सुकारक की सूचना में भी लाएगा ।

(3) नियोक्ता या उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी तुरंत उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, यदि उसका ऐसे आसन्न संकट की विद्यमानता के संबंध में समाधान हो जाता है और वह तुरंत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजेगा ।

(4) यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट नियोक्ता का उसके कर्मचारियों द्वारा आसन्न संकट की संभावना की विद्यमानता के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह तुरंत मामले को निरीक्षक-सह-सुकारक को निर्दिष्ट करेगा जिसका ऐसे आसन्न संकट की विद्यमानता के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

चीजों के साथ हस्तक्षेप न करने या उनका दुरूपयोग न करने का कर्तव्य ।

15. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या बिना सोचे विचारे किसी चीज को, जो इस संहिता के अधीन स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के हित में उपलब्ध कराई गई है, के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसका दुरूपयोग नहीं करेगा ।

अध्याय 4

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड ।

16. (1) केंद्रीय सरकार, इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर केंद्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड (जिसे इस संहिता में इसके पश्चात् राष्ट्रीय बोर्ड कहा गया है) का गठन करेगी—

(क) इस संहिता के अधीन विरचित किए जाने वाले मानक, नियम और विनियम ;

(ख) इस संहिता और उससे संबंधित नियमों और विनियमों के उपबंधों का कार्यान्वयन ;

(ग) उसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित नीति और कार्यक्रम के मद्दे ; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संहिता से संबंधित निर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा—

(क) सचिव, श्रम और नियोजन मंत्रालय — अध्यक्ष (पदेन) ;

(ख) महानिदेशक, कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान, मुंबई — सदस्य (पदेन) ;

(ग) महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद — सदस्य (पदेन) ;

(घ) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर — सदस्य (पदेन) ;

(ङ) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली — सदस्य (पदेन);

(च) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली — सदस्य (पदेन) ;

(छ) चार राज्यों के श्रम मामलों से संबंधित प्रधान सचिव (चक्रानुक्रम में जैसा कि केन्द्रीय सरकार उचित समझे) — सदस्य (पदेन) ;

(ज) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली — सदस्य (पदेन) ;

(झ) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली — सदस्य (पदेन) ;

(ञ) नियोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि — सदस्य (पदेन) ;

(ट) कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि — सदस्य (पदेन) ;

(ठ) उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित पांच ख्यातिप्राप्त व्यक्ति या विख्यात अनुसंधान संस्थाओं या वैसे ही अन्य शाखाओं के प्रतिनिधि — सदस्य ;

(ड) संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय — सदस्य-सचिव (पदेन) ।

(3) उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उनकी नियुक्ति, राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से इसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कम्रचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों को अवधारित कर सकेगी तथा बोर्ड के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पदावधि और सेवा की शर्तें, वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(5) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट इसके कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए, उतनी तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां गठित कर सकेगी, जो उतने सदस्यों से मिलकर बनेंगी, जिनके पास ऐसी अर्हताएं होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

राज्य उपजीवीकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड ।

17. (1) राज्य सरकार, इस संहिता के प्रशासन से उद्भूत ऐसे विषय जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए, परामर्श देने के लिए राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "राज्य सलाहकार बोर्ड" कहा गया है) का गठन करेगी ।

(2) ऐसे सलाहकार बोर्ड से संबंधित गठन, प्रक्रिया और अन्य विषय वे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) राज्य सरकार, राज्य सरकार या राज्य सलाहकार बोर्ड की उनकी संबंधित अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र से संबंधित उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे सलाहकार बोर्ड की उतनी तकनीकी समितियां या सलाहकार समितियां, जिसके अंतर्गत स्थल मूल्यांकन समितियां हैं, जो उतनी संख्या में और ऐसी अर्हताएं रखने वाले सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विहित किए जाएं, गठन कर सकेगी ।

उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक ।

18. (1) केंद्रीय सरकार कारखानों, खानों, डॉक कार्य, भवन और अन्य संनिर्माण कार्य और अन्य स्थापनों से संबंधित कार्य स्थलों के लिए अधिसूचना द्वारा, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानक, घोषित करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुसरण के लिए मानक घोषित करने की शक्ति पर विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मानक निम्नलिखित से संबंधित होंगे—

(क) सर्वोतम उपलब्ध साक्ष्य या कृत्यकारी क्षमता के आधार पर साध्य परिमाण को सुनिस्चित करने के लिए, कर्मचारी के कार्यशील जीवन की कालावधि के लिए व्यौहार करने के लिए, भौतिक, रसायनिक, जैविकीय और अन्य परिसंकटों से कोई कर्मचारी स्वास्थ्य की तात्विक गिरावट या कृत्यशील क्षमता से पीड़ित न हो यहां तक कि तब भी जब कर्मचारी ऐसे परिसंकटों के प्रति नियमित रूप से अरक्षित होता है ;

(ख) मानक—

(i) कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं, जिनके प्रति वह अरक्षित है, के परिसंकटों को आंकना ;

(ii) सुसंगत लक्षणों और समुचित ऊर्जा उपचार तथा सुरक्षित उपयोग या अरक्षितता के लिए समुचित शर्तों और पूर्वावधानियों से संबंधित होंगे ;

(iii) परिसंकटों के प्रति कर्मचारियों की अरक्षितता की मानीटरी और माप के लिए होंगे ;

(iv) चिकित्सा जांच और अन्य परीक्षणों के लिए होंगे, जो नियोक्ता

द्वारा या उसकी लागत पर परिसंकटों के प्रति अरक्षित कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे ; और

(v) सुरक्षा संपरीक्षा, परिसंकट और परिचालन अध्ययन, त्रुटि मुक्त विश्लेषण, घटना मुक्त विश्लेषण जैसी परिसंकट मूल्याकंन प्रक्रियाओं और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के लिए होंगे ;

(ग) चिकित्सा जांच, जिसके अंतर्गत उपजीविकाजन्य रोगों का पता लगाना और उनकी रिपोर्ट करना है, जो किसी कर्मचारी को उसके कर्मचारी न रहने पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, यदि वह किसी उपजीविकाजन्य रोग से पीड़ित होता है, जो उसके नियोजन के अनुक्रम में उद्भूत होता है ;

(घ) कार्य स्थान से संबंधित उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के ऐसे पहलुओं के लिए, जिन्हें केंद्रीय सरकार ऐसी सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी की रिपोर्ट पर आवश्यक समझती है ;

(ङ) ऐसे सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय, जो खान, कारखाना, भवन और अन्य संनिर्माण संकर्म, बीड़ी और सिगार, डॉक कार्य या किसी अन्य अधिसूचित स्थापना से संबंधित कार्य स्थलों पर विद्यमान विनिर्दिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हों ; और

(च) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामले ।

(3) केंद्रीय सरकार, धारा 123 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर और ऐसा करने के अपने आशय की पैंतालीस दिन से अन्यून सूचित करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता की दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

(4) राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा ऐसी स्थापना, जिसके लिए राज्य में समुचित सरकार स्थित है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन बनाए गए मानकों का संशोधन कर सकेगी ।

अनुसंधान से संबंधित कार्यकलाप ।

19. यह उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान करने, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोग और प्रदर्शन करने का और तत्पश्चात् अपनी सिफारिशों को समुचित सरकार को प्रस्तुत करने का ऐसे संस्थानों का कर्तव्य होगा, जैसा केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे ।

सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा ।

20. (1) किसी स्थापना के सामान्य कार्य के घंटों के दौरान किसी भी समय या किसी अन्य समय, जैसा आवश्यक समझा जाए,—

(क) कारखाना या खान की दशा में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक ; या

(ख) किसी कारखाने की दशा में महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान ; या

(ग) खान की दशा में महानिदेशक, खान सुरक्षा ; या

(घ) कारखाना या खान की दशा में महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ; या

(ङ) किसी अन्य स्थापना या स्थापना के वर्ग की दशा में समुचित सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी ;

नियोक्ता को लिखित सूचना देने के पश्चात् कारखाने या खान या ऐसी अन्य स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग का सर्वेक्षण संचालित करेगा और ऐसा नियोक्ता ऐसे सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी की जांच और परीक्षण तथा ऐसे सर्वेक्षण से सुसंगत नमूने और अन्य डाटा के संग्रहण के लिए सुविधाएं हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "नियोक्ता" पद के अंतर्गत कारखाने के लिए प्रबंधक या अन्य स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग की दशा में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो तत्समय, यथास्थिति, ऐसी अन्य स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग में सुरक्षा और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षणों को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक कर्मकार, यदि सर्वेक्षण संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा हो तो ऐसी चिकित्सा जांच करवाने के लिए स्वयं को उपस्थित करेगा, जैसा ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाए और अपने कब्जे की सारी सूचना, जो सर्वेक्षण से सुसंगत है, प्रस्तुत करेगा ।

(3) किसी कर्मकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन चिकित्सा जांच या सूचना प्रस्तुत करने में लिए गए समय को मजदूरी और समयोपरि कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उसके कार्य घंटें समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा समुचित सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को इस संहिता के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट समझा जाएगा ।

आंकड़े ।

21. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य आंकड़ों एकत्रित करने, उनका संग्रहण करने और विश्लेषण के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम का विकास और अनुरक्षण करेगी और उस प्रयोजन के लिए समुचित सरकार उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य आंकड़ों के अध्ययन, सूचना और संसूचना से संबंधित कार्यक्रम का संवर्धन करेगी, प्रोत्साहित करेगी या प्रत्यक्षत: उसमें लगेगी ।

सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारी ।

22. (1) समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग से विहित रीति में एक सुरक्षा समिति का गठन करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो ऐसी स्थापना में लगे हुए नियोक्ताओं और कर्मकारों के प्रतिनिधियों से ऐसी रीति में मिलकर बनेगी, जो विहित की जाए तथा समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधि नियोक्ता के प्रतिनिधियों से कम नहीं होंगे और कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) निम्नलिखित से संबंधित प्रत्येक स्थापना,—

(क) कारखाना और भवन तथा अन्य संनिर्माण संक्रम, जिसमें पांच सौ कर्मकार या अधिक ; या

(ख) खान, जिसमें एक सौ कर्मकार या अधिक सामान्यत: नियोजित हैं,

का नियोक्ता उतनी संख्या में सुरक्षा अधिकारी, जो ऐसी अर्हता रखते हैं और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, की भी नियुक्ति करेगा ।

अध्याय 5

स्वास्थ्य और कार्य की दशाएं

नियोक्ता का स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं को बनाए रखने का उत्तरदायित्व ।

23. (1) नियोक्ता अपनी स्थापना में कर्मचारियों के लिए ऐसी स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों को विहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) सफाई और स्वच्छता ;

(ii) संवातन, ताप और आर्द्रता;

(iii) धूल, हानिकर गैस, धूम और अन्य अपद्रव्यों से मुक्त पर्यावरण ;

(iv) नमीकरण का पर्याप्त मानक, कृत्रिम रूप से हवा की आर्द्रता में वृद्धि, कार्यशाला में हवा का संवातन और शीतलन ;

(v) वहनीय पीने-योग्य पानी ;

(vi) अतिभीड़ को रोकने के लिए और उसमें नियुक्त कर्मचारियों या व्यक्तियों के लिए पर्याप्त स्थान, जैसी भी दशा हो, पर्याप्त मानक ;

(vii) पर्याप्त प्रकाश ;

(viii) उसमें स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मकारों के लिए पृथक शौचघर और मूत्रालय सुविधा के लिए पर्याप्त इंतजाम ;

(ix) अपशिष्टों और बहि:स्रावों के निरूपण के लिए प्रभावी इंतजाम ; और

(x) कोई अन्य इंतजाम, जिसे केंद्रीय सरकार समुचित समझे ।

अध्याय 6

कल्याणकारी उपबंध

स्थापन में कल्याणकारी, आदि ।

24. (1) नियोक्ता अपने स्थापन में कर्मकारों के लिए ऐसी कल्याणकारी सुविधाओं को प्रदान करने और अनुरक्षण करने के लिए दायी होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, जिसमें सम्मिलित है—

(i) पुरुष और महिला कर्मकारों के लिए पृथक्त: धुलाई के लिए पर्याप्त और उचित सुविधाएं ;

(ii) पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मकारों के लिए पृथक्त: स्नान स्थान और लॉकर कक्ष ;

(iii) कार्य समय के दौरान न पहने गए कपड़ों को रखने और भीगे हुए कपड़ों को सुखाने का स्थान;

(iv) खड़ा स्थिति में कार्य करने के लिए बाध्य सभी कर्मकारों के लिए बैठने की व्यवस्था;

(v) साधारणतया नियुक्त किए गए संविदा श्रमिक सहित एक सौ या अधिक कर्मकार जो स्थापन में नियुक्त किए गए हैं उनकी कैंटीन या कर्मकारों का पर्याप्त मानक; और खान की दशा में, खान में नियुक्त किए गए या नियुक्त

होने वाले कर्मकारों की उनकी नियुक्ति से पूर्व और विनिर्दिष्ट अंतरालों पर चिकित्सा परीक्षा;

(vi) सभी कार्य-समयों के दौरान सुगमता से पहुंच वाली विषय-वस्तुओं के साथ पर्याप्त प्राथमिक उपचार पेटिका या अलमारियां; और

(vii) कोई अन्य कल्याणकारी उपाय, जिसे केंद्रीय सरकार, कर्मकारों के शिष्ट जीवन की अपेक्षानुसार, परिस्थितियों के संवर्ग के अधीन विचार करती है ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित मामलों के लिए भी विहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(i) प्रत्येक कारखाना, खान और अन्य निर्माण कार्य में एम्बुलेंस कमरा जिसमें पांच सौ से अधिक कर्मकार सामान्यत: नियोजित हैं;

(ii) मोटर परिवहन कर्मकारों के लिए वर्षा और ठंड से सुरक्षा के लिए संचालन केंद्रों पर चिकित्सा सुविधाएं और विराम स्टेशन, वर्दी, वर्षारोधी कोट और ऐसी ही अन्य सुख-सुविधाएं;

(iii) पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मकारों के लिए पर्याप्त, उचित और पृथक् आश्रय या विश्राम कक्ष और प्रत्येक कारखाना और खान में भोजन कक्ष जिसमें पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर से नियोजित हैं और मोटर परिवहन उपक्रम, जिसमें कर्मकारों की रात में विराम करने की अपेक्षा की गई है;

(iv) प्रत्येक कारखाना, खान या बागान में कल्याणकारी अधिकारी की नियुक्ति जिसमें दो सौ पचास या अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियुक्त हैं और ऐसे कल्याणकारी अधिकारी की अर्हता, सेवा शर्तें और कर्तव्य;

(v) नियोक्ता द्वारा नि:शुल्क और कार्य स्थल के भीतर या इसके इतना निकट जितना संभव हो सके उसके द्वारा नियुक्त सभी भवन कर्मकारों के लिए विद्यमान अस्थायी वास-सुविधा प्रदान करने के लिए या ऐसे विद्यमान अस्थायी वास-सुविधा के निराकरण या विध्वंश कारित करने के लिए या नगरपालिका बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से ऐसे उद्देश्य के लिए उसके द्वारा अभिप्राप्त किसी भूमि का कब्जा नियोक्ता द्वारा वापस करने के लिए;

(vi) मुख्य नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को वास-सुविधा को उपबंध करने पर उपगत खर्चे का संदाय करने के लिए जहां ठेकेदार के माध्यम से भवन और उसका निर्माण कार्य किया गया है ;

(vii) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जा सके ।

(3) केंद्रीय सरकार, स्थापनों में सामान्य सुविधा या तो पृथक्त: या एक साथ उचित स्थिति और दूरी पर कर्मचारियों के छ: वर्ष से कम आयु के संतानों के प्रयोग के लिए उपयुक्त कमरा या कमरे के शिशु कक्ष की सुविधा के लिए उपबंध करने का नियम बना सकेगी, जिसमें पचास से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियुक्त किए गए हैं ।

(4) बागान का प्रत्येक नियोक्ता, परिक्षेत्र के लिए जिसमें बागान स्थित है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, नगरपालिका या पंचायत द्वारा प्रायोजित ऐसे उद्देश्य के लिए बागान में या उसकी स्कीमों के माध्यम से कर्मकारों के लिए पीने का पानी, आवास, चिकित्सा, शिक्षा और प्रसाधन से संबंधित उसके स्वयं के संसाधनों के माध्यम

से कल्याणकारी सुविधाओं को उपलब्ध करने और अनुरक्षण के लिए उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए,—

(i) "नगरपालिका" पद का वही अर्थ है, जो अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) के अधीन समनुदेशित किया गया है; और

(ii) "पंचायत" पद का वही अर्थ है, जो अनुच्छेद 243 के खंड (घ) के अधीन इसे समनुदेशित किया गया है ।

अध्याय 7

मजदूरी सहित काम के घंटे और वार्षिक छुट्टी

साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे, छुट्टी, आदि ।

25. (1) किसी कर्मकार को किसी स्थापन या किसी स्थापन के वर्ग में काम करने के लिए इससे अधिक अवधि के लिए अपेक्षित या अनुमति नहीं दी जाएगी—

(क) ऐसी अवधि, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(ख) एक दिन में उतने घंटे, जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के अधीन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ग) प्रत्येक दिन में कार्य की अवधि को ऐसे नियत किया जाएगा, जो उतने घंटों से अधिक नहीं होगा, जिसे समुचित सरकार द्वारा ऐसे अवधि के भीतर ऐसे अन्तरालों के साथ अधिसूचित किया जाए :

परंतु कर्मकार के काम की अवधि को ऐसे व्यवस्थित किया जाएगा कि इस उपधारा के अधीन विश्राम के लिए अंतरालों को सम्मिलित करके सुचित सरकार द्वारा ऐसे घंटों को अधिसूचित किया जाए :

परंतु यह और कि खानों के मामलों में,—

(i) ऐसे व्यक्ति जो खान में भूमि के नीचे नियोजित हैं, एक दिन में सुचित सरकार द्वारा ऐसे घंटों को अधिसूचित किया जाए अधिक के लिए काम की अनुमति नहीं दी जा जाएगी ;

(ii) किसी खान में कोई भी काम भूमि के नीचे जारी नहीं रखा जाएगा सिवाय पारी प्रणाली के जो ऐसे व्यवस्थित है कि प्रत्येक पारी के लिए काम की अवधि खंड (झ) के अधीन अधिसूचित अधिकतम दैनिक घंटे से विस्तृत न हो ;

(iii) खान में नियोजित किसी व्यक्ति को भूमि के नीचे खान के किसी भाग में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन पोषित रजिस्टर में उसके संबंध में दर्शाए गए काम की अवधियों के दौरान :

परंतु यह और भी कि मोटर परिवहन कर्मकार की दशा में काम के घंटों में सम्मिलित होगा—

(i) परिवहन यान के चालन काल के दौरान खर्च किया गया समय;

(ii) समनुषंगी काम में खर्च समय ; और

(iii) अंतिम स्टापों पर केवल हाजिरी की पंद्रह मिनट से कम की अवधि ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) एक कार्य दिवस के संबंध में "चालन काल" का अर्थ है वह समय जिस क्षण से परिवहन यान कार्य दिवस के प्रारंभ पर काम करना आरंभ करता है, जब तक कि वह क्षण जब परिवहन यान कार्य दिवस की समाप्ति पर कृत्य पर नहीं रहता है, उस समय को अपवर्जित करके जिस दौरान परिवहन यान का चालन विच्छिव हो जाता है, तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की गई ऐसी अवधि से अधिक अवधि के लिए भी जिसके दौरान वह व्यक्ति जो उसे चलाता है या परिवहन यान के संबंध में कोई कार्य करता है या वह अपने समय को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वह समनुषंगी कार्य में चाहता है या वचनबद्ध है ;

(ख) "समनुषंगी काम" से किसी परिवहन यान, उसके यात्रियों या उसके भार के संबंध में ऐसा काम अभिप्रेत है, जो परिवहन यान के चालन काल से बाहर किया गया हो, जिसके अंतर्गत विशिष्ट रूप से निम्नलिखित हैं—

(i) लेखा संबंधी कार्य, रोकड़ का संदाय, रजिस्टर में हस्ताक्षर, सेवा चार्टों को देना, टिकटों की जांच पड़ताल और अन्य समरूप कार्य ;

(ii) परिवहन यान को बाहर निकालना और उसे गैरेज में रखना ;

(iii) जिस स्थान से वह व्यक्ति ड्यूटी आरंभ करता है ऐसे स्थान तक यात्रा करना, जहां वह परिवहन यान प्रभार ग्रहण करता है और उस स्थान से, जहां वह परिवहन यान छोड़ता है, से उस स्थान तक यात्रा करना, जहां वह समाप्त करता है ;

(iv) परिवहन यान चालू रखने और उसकी मरम्मत के संबंध में कार्य ; और

(v) परिवहन यान की लदाई और उतराई ;

(ग) "मात्र उपस्थिति की अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर केवल संभाव्य टेलीफोन कालों का उत्तर देने या जो कर्तव्य सूची में नियत समय पर अपने कार्य को फिर से संभालने के उद्देश्य से बना रहता हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी दैनिक कार्य के घंटे, चार क्रमवर्ती सप्ताह की किसी कार्य अवधि के अधिकतम एक सौ चौबीस घंटे के अध्यधीन होंगे और सात क्रमवर्ती दिन के किसी अवधि के दौरान विश्राम के चौबीस क्रमवर्ती घंटे से अन्यून अवधि ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विक्रय संवर्धन कर्मचारी—

(i) ऐसे अवकाश, आकस्मिक छुट्टी या अन्य प्रकार की छुट्टी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मंजूर की जाएगी, यदि निम्नलिखित के लिए अनुरोध करें—

(क) ड्यूटी पर बिताई गई अवधि की एक बटा ग्यारहवीं से अन्यून के किए पूर्ण मजदूरी पर अर्जित अवकाश ;

(ख) सेवा की अवधि की एक बटा अठारहवीं से अन्यून के लिए चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मजदूरी की डेढ़ छुट्टी ;

(ii) ऐसी अधिकतम सीमा तक संचित अर्जित छुट्टी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(iii) उस सीमा तक वहां तक सीमित कर सकेगा जहां अर्जित छुट्टी का उपभोग उसके द्वारा किया जा सकेगा और वह कारण जिसके लिए ऐसी सीमा अधिक हो सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा विहित की जाए ;

(iv) (क) जब वह अपने पद से स्वेच्छया छोड़ता है या सेवा से निवृत्त होता है ;

(ख) जब ऐसी शर्तें और निर्बंधन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए (जिनके अन्तर्गत ऐसी शर्तें भी हैं, जिनके माध्यम से ऐसी अधिकतम अवधि को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसके लिए ऐसा प्रतिकर संदेय होगा), के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा अर्जित, अर्जित अवकाश जिसका उसने लाभ नहीं लिया है, के संबंध में नकद प्रतिकर का हकदार होगा ;

(v) सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके वारिस उसके द्वारा अर्जित की गई अर्जित छुट्टी और उपभोग न की गई छुट्टी के बदले में नकद मुआवजे का हकदार होंगे ;

(vi) या उसके वारिस, अर्जित छुट्टी की बाबत कोई अवधि जिसके लिए उसके वारिस को नकद मुआवजा संदेय होगा जो, यथास्थिति, खंड (iv) या खंड (v) के अधीन नकद हकदार हो या हैं ऐसी अवधि के लिए ऐसे विक्रय संवर्धन कर्मचारी को शोध्य मजदूरी के बराबर रकम होगा ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुमार कर्मकार के कार्य के घंटे बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे । 1986 का 61

साप्ताहिक और प्रतिकरात्मक अवकाश ।

26. (1) किसी स्थापन में किसी कर्मकार को एक सप्ताह में छह दिन से अधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु किसी मोटर परिवहन उपक्रम में किसी कर्मचारी से मोटर परिवहन सेवा के किसी विस्थापन के निवारण के उद्देश्य से कर्मचारी के किसी विश्राम के दिन में कर्मकार से कार्य करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो छुट्टी का दिन न हो इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि सभी मध्यवर्ती दिन के लिए क्रमवर्ती दस दिन से अधिक तक कर्मकार काम न करे ।

(2) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे कर्मकारों को, उपधारा (1) के उपबंधों में, जो वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, छूट दे सकेगी ।

(3) इस संहिता के उपबंधों के अधीन कोई आदेश पारित करने या नियम बनाए जाने के परिणामस्वरूप जिसे किसी स्थापन या उसके कर्मकारों को उस मास में उसे अवकाश दिन मिले थे या उस मास के ठीक बाद के दो मास के भीतर उन अवकाश दिनों के बराबर जो उसे नहीं मिले, प्रतिकरात्मक दिन अनुज्ञात किए जांएगे ।

अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी ।

27. जहां अतिकाल कार्य की बाबत मजदूरी की दर दुगुनी दर पर संदाय किया जाएगा वहां कोई कर्मकार किसी स्थापन में या स्थापन के किसी वर्ग में किसी दिन या किसी सप्ताह में ऐसे घंटे से अधिक और दैनिक आधार पर या साप्ताहिक आधार पर अतिकाल कार्य की अवधि, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, कार्य किया है,

इसमें से जो भी ऐसे कर्मकार के लिए अधिक अनुकूल है, संगणना की जाएगी :

परंतु नियोजक द्वारा ऐसे किसी कार्य के लिए लिखित में कर्मकार की पूर्व सहमति के बिना अतिकाल कार्य की अपेक्षा नहीं किया जाएगा ।

रात्रि पारी ।

28. जहां स्थापन में कोई कर्मकार ऐसी पारी में काम करता है जिसका विस्तार मध्यरात्रि से आगे होता है, वहां—

(क) धारा 26 के प्रयोजनों के लिए, उसके बारे में पूरे दिन के अवकाश से, उसकी पारी की समाप्ति से आरंभ होने वाली लगातार चौबीस घंटों की कालावधि अभिप्रेत है ;

(ख) आगामी दिन उसके लिए चौबीस घंटों की वह कालावधि समझी जाएगी जो उसकी पारी समाप्त होने से आरंभ होती है और मध्यरात्रि के बाद जितने घंटे उसने काम किया है, वे पूर्ववर्ती दिन में गिने जाएंगे ।

परस्परव्यापी पारियों का प्रतिषेध ।

29. (1) किसी स्थापन में इस प्रकार व्यवस्थित पारियों की प्रणाली से काम नहीं किया जाएगा कि एक ही प्रकार के काम या एक ही समय पर कर्मकारों की एक से अधिक टोली लगी हो ।

(2) समुचित सरकार के नियंत्रण के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी स्थापन या किसी वर्ग के स्थापनों या किसी विभाग या अनुभाग को या उसमें किसी प्रवर्ग या प्रकार के कर्मकारों को उपधारा (1) के उपबंधों से ऐसी शर्तों पर, जैसी समीचीन समझी जाए, छूट दे सकेगी :

परंतु इस उपधारा के उपबंध खान को लागू नहीं होंगे ।

कारखाना और खान में दोहरे नियोजन पर निर्बंधन ।

30. किसी भी कर्मकार को किसी खान या कारखाने में कार्य करने के लिए अपेक्षा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि वह स्वयं बारह घंटे की कार्रवाई के भीतर किसी अन्य ऐसे समरूपस्थापन में, ऐसी परिस्थिति के सिवाय जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, काम कर रहा हो ।

काम की कालावधियों की सूचना ।

31. (1) काम की कालावधियों की ऐसी सूचना जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां जिसके दौरान कर्मकारों से इस संहिता के उपबंध के अनुसार कार्य की अपेक्षा की जा सकेगी स्पष्ट दर्शित होगी और हर स्थापन में संप्रदर्शित की जाएगी और ठीक बना रखी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना का प्ररूपऐसे सूचना प्रदर्शित करने की रीति में और उस रीति में जिसमें सूचना निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजी जाएगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) किसी स्थापन में काम की प्रणाली में ऐसी कोई प्रस्थापित तबदीली जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में तब्दीली आवश्यक हो जाएगी, तब्दीली करने से पहले सुकारक को सूचित की जाएगी और जब तक उस अंतिम तब्दीली से एक सप्ताह व्यतीत न हो गया हो तब तक ऐसी कोई तबदीली निरीक्षक-सह-सुकारक को पूर्व मंजूरी के बिना नहीं की जाएगी ।

मजदूरी, आदि सहित वार्षिक छुट्टी ।

32. (1) स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए मजदूरी सहित छुट्टी के लिए हकदार होंगे, अर्थात् :—

(i) यह कि वह ऐसे कैलेंडर वर्ष में एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक ;

(ii) यह कि उसके कार्य के प्रत्येक बीस दिन के लिए एक दिन की और ऐसे कैलेंडर वर्ष में जिसमें खान में तहखाने से नीचे नियोजित कर्मकार की दशा में कुमार कर्मकार के लिए उसके कार्य के पद्रंह दिन के लिए एक दिन के हिसाब से छुट्टी का हकदार होंगे ;

(iii) ऐसे कैलेंडर वर्ष में ऐसे व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई अस्थायी छंटनी, मातृत्व छुट्टी या वार्षिक छुट्टी की कोई अवधि खंड (i) के अधीन नब्बे दिन या उससे अधिक अवधि की परिवहन के लिए गणना की जाएगी किंतु वह इस प्रकार की गणना की अवधि के लिए अर्जित छुट्टी नहीं होगी ;

(iv) कैलेंडर वर्ष या प्रारंभ में या अंत में जोड़े जाने वाले अवकाश में ऐसे व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई छुट्टी के बीच आने वाले कोई अवकाश इस प्रकार उपभोग की गई छुट्टी की अवधि से अपवर्जित की जाएगी ;

(v) ऐसे कर्मकार की दशा में जिसने पहली जनवरी के अन्यथा सेवारंभ की है खंड (ii) में विनिर्दिष्ट दर पर मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा, यदि उसने कैलेंडर वर्ष के शेष दिन की कुल संख्या के एक बटा चार तक कार्य किया हो ;

(vi) कैलेंडर वर्ष के दौरान सेवा में रहते हुए यदि ऐसे कर्मकार को सेवोन्मुक्ति, पदच्युत किया जाता है या वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है या नियोजन छोड़ता है तो ऐसे कर्मकार या उसके वारिस या नामनिर्देशिती ऐसी छुट्टी की मात्रा के बदले में मजदूरी के लिए हकदार होगा जिससे कि ऐसे कर्मकार उसके सेवोन्मुक्त, पदच्युत, नियोजन छोड़ने, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने या मृत्यु, कार्यवाही खंड में विनिर्दिष्ट रूप में संगणित किया जाए, से ठीक पहले हकदार था तो ऐसा कर्मकार ऐसी छुट्टी का उपभोग करने के लिए पात्र हो ऐसे कर्मकार के लिए जिसने इस उपधारा के अधीन अपेक्षित अवधि के लिए कार्य न किया हो, ऐसे संदाय किया जाएगा—

(क) जहां ऐसे कर्मकार के सेवोन्मुक्त, पदच्युत या नियोजन छोड़ने की तारीख से द्वितीय कार्य दिवस की समाप्ति से पहले सेवान्मुक्त या पदच्युत किया जाता है या वह नियोजन छोड़ता है ; और

(ख) जहां ऐसे कर्मकार अधिवर्षिता या मृत्यु की तारीख से दो मास की समाप्ति से पहले सेवा में रहते हुए अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है ;

(vii) ऐसा कोई कर्मकार इस उपधारा के और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कैलेंडर वर्ष में उसे संपूर्ण छुट्टी नहीं दी जाती है इस कारण से उसके द्वारा कोई छुट्टी नहीं ली जाती है तो अगले कैलेंडर वर्ष में इस प्रकार अनुज्ञात की गई छुट्टी जोड़ी जाएगी—

(क) छुट्टी के दिन की कुल संख्या जिसे अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाए, तीस दिन से अधिक नहीं होगी ; और

(ख) ऐसे कर्मकार, जिसने मजदूरी सहित छुट्टी के लिए आवेदन किया हो किंतु उसे इस उपधारा और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार

ऐसी छुट्टी नहीं दी जाती है तो किसी सीमा के बिना अस्वीकृत छुट्टी को अग्रनीत कराने का हकदार होगा ।

(viii) खंड (vi) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कर्मकार कैलेंडर वर्ष के अंत में छुट्टी भुनाने के लिए मांग करने का हकदार होगा ;

(ix) ऐसे कर्मकार ऐसी अधिक छुट्टी को भुनाने के लिए खंड (vii) के उपखंड (क) के अधीन तीस दिन से अधिक की छुट्टी की कुल संख्या को भुनाने का हकदार होगा ।

(2) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा रेल स्थापन के सिवाय किसी अन्य स्थापन को उपधारा (1) के उपबंधों का विस्तार करेगी ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रचालन नहीं होगा । खान में नियोजित व्यक्ति, किसी अन्य विधि के अधीन या सेवा के किसी अधिनिर्णय, करार या संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो सकेगा :

परंतु सेवा का ऐसा अधिनिर्णय, करार या संविदा उपधारा (1) में उपबंधित मजदूरी से भिन्न मजदूरी सहित लंबी वार्षिक छुट्टी के लिए उपबंध करती है तो छुट्टी की मात्रा, जिसके लिए नियोजित व्यक्ति हकदार होगा, सेवा के ऐसे अधिनिर्णय, करार या संविदा के अनुसार हकदार होगा किंतु वे विषय जिनका सेवा के ऐसे अधिनिर्णय, करार या संविदा के लिए उपबंध नहीं किया गया है, के संबंध में उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार छुट्टी विनियमित की जाएगी :

परंतु यह और कि जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी खान में नियोजित व्यक्तियों को लागू छुट्टी, नियत फायदों का उपबंध करते हैं जो उसकी राय में उपधारा (1) में उपबंधित फायदों की अपेक्षा कम अनुकूल है, लिखित में आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उपधारा (1) के सभी उपबंधों या किन्ही उपबंधों से खान से छूट प्रदान कर सकेगी ।

अध्याय 8

रजिस्टर, अभिलेख और विवरणी का अनुरक्षण

रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणी का फाइल किया जाना ।

33. स्थापन का नियोजक--

(क) कर्मकारों की ऐसी विशिष्टियों से युक्त जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए इलैक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा विहित प्ररूप में रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा जिसके अंतर्गत,—

(i) उनके द्वारा कार्य पालन ;

(ii) एकदिन में काम के प्रसामान्य घंटे के रूप में कार्य के घंटे की संख्या ;

(iii) सात दिन के प्रत्येक अवधि में अनुज्ञात विश्राम का दिन ;

(iv) संदत्त मजदूरी और इसके लिए दी गई रसीद ;

(v) छुट्टी, मजदूरी सहित छुट्टी, अतिकाल कार्य, हाजिरी और खतरनाक घटना ; और

(vi) कुमार का नियोजन भी है ;

(ख) ऐसी रीति और प्ररूप में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए

कर्मकारों के कार्य के स्थान पर सूचना प्रदर्शित करेगा ;

(ग) इलैक्ट्रानिक में या अन्यथा कर्मकारों को मजदूरी की पर्ची जारी करेगा ; और

(घ) ऐसी पद्धति और ऐसी अवधि के दौरान जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, निरीक्षक-सह-सुकारक को ऐसी विवरणी इलैक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा फाइल करेगा ।

अध्याय 9

निरीक्षक-सह-सुकारक और अन्य प्राधिकारी

निरीक्षक-सह-सुकारकों की नियुक्ति ।

34. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक नियुक्त करेगी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार द्वारा उसे समनुदेशित भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखे बिना ऐसे राज्य या भौगोलिक सीमाओं से या एक या अधिक स्थापनों में स्थित एक या अधिक स्थापनों के संबंध में समनुदेशित समस्त राज्य या ऐसा भौगोलिक सीमाओं में इस संहिता के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह-सुकारक इस संहिता के अधीन उनके द्वारा निर्वहन किए गए अन्य ड्यूटी के अथवा जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसे निरीक्षण जिसके अंतर्गत आधारित निरीक्षण भी है, संचालित करेगा ।

(3) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के जिनके पास ऐसे स्थापनों या स्थापनों के वर्ग के प्रयोजन के लिए मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के लिए अनुभव और अधिकारिता की ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो अधिसूचना में विहित की जाए, के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कर सकेगा :

परंतु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के प्रयोजनों के लिए अथवा पूरे देश के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(4) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा अपर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और उप मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या किसी पदाभिदान का कोई अन्य अधिकारी के प्रयोजनों के लिए जो वह समुचित समझे मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, जो अधिसूचना में विहित की जाए, अधिकारिता के भीतर नियुक्त करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अपर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, उप मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और प्रत्येक अन्य अधिकारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियों के अतिरिक्त जिसके द्वारा अधिकारी नियुक्त की जाती है, ऐसे स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(6) किसी व्यक्ति को उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन या इस प्रकार नियुक्त किए जाने के पश्चात् ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यस्थान या कार्य संबंधी क्रियाकलापों को या किसी कार्यस्थान या किसी संयंत्र या उससे संबद्ध किसी संयत्र या मशीन में की जाने वाली किसी कारबार

में हितबद्ध है या हितबद्ध हो जाता है, पद धारण करना जारी नहीं रखेगा ।

(7) ऐसे स्थानीय सीमाओं के भीतर जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए इस संहिता के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करने और डयूटी निर्वहन करने के लिए अपर निरीक्षक-सह-सुकारक, ऐसे लोक अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(8) इस संहिता के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक के अन्य कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरीक्षक-सह-सुकारक किसी स्थापन की बाबत या स्थानीय क्षेत्र में स्थापनों के वर्ग या उसकी अधिकारिता के क्षेत्रों, जहां समुचित सरकार के अनुमोदन से मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित में प्राधिकृत आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा :

परंतु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, समुचित सरकार के अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा किसी निरीक्षक-सह-सुकारक को ऐसी सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारकों के वर्ग को ऐसे किसी शक्ति का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट निरीक्षक-सह-सुकारक के किसी वर्ग पर प्रयोग प्रतिसिद्ध करेगा ।

(9) प्रत्येक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, अपर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक, उप मुख्य सुकारक, निरीक्षक-सह-सुकारक और इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा और ऐसे प्राधिकारी शासकीय रूप से अधीनस्थ होंगे जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

1860 का 45

निरीक्षक-सह-सुकारकों की शक्तियां

35. (1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, निरीक्षक-सह-सुकारक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(i) व्यक्तियों के सहयोग से, शासकीय सेवा में रहते हुए या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी या किसी विशेषज्ञ के साथ, जो वह ठीक समझे, कहीं भी, जो उपयुक्त हो, या उसके पास विश्वास करने का कारण हो, वह उपयुक्त जगह, जो कार्यस्थल हो, प्रविष्ट कर सकेगा ;

(ii) खान, परिसर, संयत्र, मशीनरी, वस्तु या कोई अन्य सुसंगत सामग्री का निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा ;

(iii) किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना, चाहे उसके परिणाम, स्वरूपशारीरिक क्षति, निःशक्तता या मृत्यु हुई हो या नहीं, की जांच करेगा और घटना स्थन पर या अन्यथा किसी व्यक्ति का कथन लेगा जिसे वह ऐसी जांच के लिए आवश्यक समझे ;

(iv) रोपण की बाबत और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उसकी अधिकारिता के भीतर किसी रोपण में उगी हुई फसलों या उसमें नियोजित किसी कर्मकार की परीक्षा करेगा या इस संहिता के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और कोई व्यक्ति उस घटना स्थल पर या अन्यथा किसी व्यक्ति का कथन लेगा जो वह रोपण से संबंधित इस संहिता के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे ;

(v) कर्मकार की पूर्ति सूचना और सुग्राही और इस संहिता के उपबंध और

उनके पालन के संबंध में कर्मकार ;

(vi) कार्यस्थल या कार्य क्रियाकलाप संबंधी किसी रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेज पेश करेगा ;

(vii) किसी रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज अथवा उनके किसी भाग की खोज या जब्ती करना या उनकी प्रतियां लेना जिसे वह इस संहिता के अधीन किसी अपराध जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह कारित किया गया है, के संबंध में आवश्यक समझे ;

(viii) संबद्ध अधिभोगी या नियोक्ता को निदेश देना कि वह किसी परिसर या उसके अन्य भाग को या उसमें रखी किसी चीज को उस समय तक जिस तक वह किसी निरीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे, अस्तव्यस्त (चाहे साधारणतया या विशिष्टतया) न करे ;

(ix) ऐसे माप, फोटोग्राफ और वीडियो बनाए तथा ऐसी रिकार्डिंग करे, जैसा कि वह किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ;

(x) किसी परीक्षा जिसमें उसे प्रवेश करने की शक्ति है, में पाई गई किसी वस्तु या पदार्थ और ऐसे परिसर में या उसके नजदीक के वायुमंडल की वायु की ऐसी रीति में जैसा कि समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, नमूने लेना ;

(xi) नियोजक को—

(क) किसी वस्तु या पदार्थ को विखंडित करने का ; या

(ख) ऐसी वस्तु या पदार्थ को किसी प्रक्रिया या परीक्षण के अधीन रखने का (किंतु उसे इस प्रकार तब तक तोड़ा या नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक परिस्थिति न हो),

निदेश दे सकेगा, यदि ऐसी वस्तु या पदार्थ किसी परिसर में पाया जाता है जो ऐसी वस्तु या पदार्थ है जिससे निरीक्षक-सह-सुकारक हो, ऐसा प्रतीत होता है कि वह कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा कारित करेगा या उससे खतरा कारित होना संभाव्य है और ऐसी वस्तु या पदार्थ या उसके किसी भाग को अपने कब्जे में लेकर और उस समय तक जिस तक वह यथा अपेक्षित परीक्षण के लिए आवश्यक समझे, निरुद्ध करेगा ;

(xii) इस संहिता, इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन उत्पन्न सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में कारण बताओ सूचना जारी करना ;

(xiii) इस संहिता, इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष शिकायत और अन्य कार्रवाईयों का अभियोजन करना या उनमें प्रतिरक्षा करना ; और

(xiv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) कोई व्यक्ति जिससे उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है या कोई सूचना दिया जाना अपेक्षित है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थों में ऐसा करने के लिए विधिक रूप 1860 का 45

से आबद्ध समझा जाएगा ।

1974 का 2

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके उपधारा (1) के अधीन ऐसी खोज या जब्ती पर लागू होंगे जैसे कि वह संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होते ।

जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और कर्तव्य ।

36. जिला मजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर खान के संबंध में निरीक्षक-सह-सुकारक की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

तृतीय पक्षकार लेखापरीक्षा और प्रमाणन ।

37. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे विशेषज्ञों, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, जो विहित की जाएं, का पैनल तैयार कर सकेगी और ऐसे स्टार्टअप स्थापनों और अन्य स्थापनों के वर्ग के कर्मचारियों को ऐसे स्टार्टअप स्थापनों और अन्य स्थापनों के वर्ग के संबंध में तृतीय पक्षकार प्रमाणन के लिए अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे किसी विशेषज्ञ को चुनने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं, और इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध नियोक्ता और पृथक् रूप से निरीक्षक-सह-सुकारक को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

कारखाना, खान, और डॉक कार्य तथा भवन और अन्य संनिर्माण कार्य की बाबत निरीक्षण-सह-सुकारक की विशेष शक्तियां ।

38. (1) इस संहिता में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक की अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक—

(अ) किसी कारखाने की बाबत जिसके पास निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) जहां निरीक्षक-सह-सुकारक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाना या किसी भाग के आसपास का वातावरण उसमें नियोजित व्यक्तियों या आम जनता को क्षति या मृत्यु के लिए गंभीर परिसंकट या आसन्न संकट उत्पन्न होने वाले कारखाना और उसके भाग से भिन्न परिसंकट या संकट तक कार्य पर व्यक्तियों की संख्या को कम करके कम हाजिर होने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या पर विचार करे और कारखाना या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति के नियोजन करने से ऐसे अधिभोगी विचार करेगा ;

(ख) उपखंड (क) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा जारी कोई आदेश तीन दिन की अवधि के लिए जब तक किसी पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा विस्तारित न किया जाए ;

(ग) उपखंड (क) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक और उपखंड (ख) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार होगा ;

1947 का 14

(घ) कोई व्यक्ति जिसका नियोजन उपखंड (क) के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा प्रभावित हुआ है. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मजदूरी और अन्य फायदों का हकदार होगा और अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह जहां भी संभव हो, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वैकल्पिक नियोजन का उपबंध करे ;

(आ) खान की बाबत निम्नलिखित विशेष शक्तियां होगीं, अर्थात् :—

(क) यदि, किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसके लिए इस संहिता द्वारा या उसके अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाया गया है, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को यह प्रतीत होता है कि खान या उसका कोई भाग या कोई पदार्थ या किसी खान में या उसके नियत्रंण, पर्यवेक्षण, प्रबंध या निदेशन में की कोई चीज या व्यवहार मानव जीवन या सुरक्षा के लिए खतरा है अथवा इस प्रकार त्रुटिपूर्ण है कि व्यक्ति को शारीरिक क्षति की आशंका है या कारित होने की संभावना है तो वह खान के नियोक्ता को लिखित सूचना में ऐसी विशिष्टियां दर्शाते हुए जिसे वह खान या उसके किसी भाग या पदार्थ या चीज या व्यवहार के लिए खतरा होना या उसका त्रुटिपूर्ण होना समझे और उसका उपचार ऐसे समय के भीतर या ऐसी रीति में जैसा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षित करे, दे सकेगा ;

(ख) जहां कोई नियोजक उपखंड (क) के अधीन दी गई सूचना के निबंधनों का उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित आदेश द्वारा खान या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति जिसका नियोजन सूचना के निबंधनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसी रूप में युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है, का नियोजन प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(ग) उपखंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक लिखित आदेश द्वारा खान के नियोजक को संबोधित करके किसी खान या उसके भाग में खनिजों के खंभों या खंभों का निष्कर्षण या लघुकरण प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे प्रचालन से खनिजों के खंभों का ध्वस्त होना संभाव्य है या किसी कार्यकरण के किसी भाग का समय पूर्व ढह जाना या उसमें नियोजित व्यक्तियों के जीवन या सुरक्षा को अन्यथा खतरा संभाव्य है या यदि उस रूप में खान, जिसमें ऐसा प्रचालन किया जाना अपेक्षित है, किसी भाग को शीलबंद करने या उसका पार्थक्य करने के लिए आग लगने या बाढ़ आने के विरुद्ध उसी रूप में पर्याप्त उपबंध नहीं किए गए हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र आग या बाढ़ में प्रभावित हो सकता है ;

(घ) यदि निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा लिखित में या साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक-सह-सुकारक की यह राय है कि खान या उसके किसी भाग में नियोजित व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को तुरंत खतरा है तो वह अपने कथन में उसकी राय के आधारों को अंतर्विष्ट करते हुए लिखित आदेश द्वारा जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वह खान में या उसके भाग में नियोजित किन्हीं व्यक्तियों, जिनका नियोजन उसकी राय में खतरे को दूर करने के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक है ;

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नियोजन उपखंड (ख) या उपखंड (घ) के अधीन प्रतिषिद्ध है उस अवधि के लिए पूरी मजदूरी के संदाय उसे नियोजन के लिए प्रतिषिद्ध किया गया हो और नियोजक उस व्यक्ति को

ऐसी पूरी मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु नियोजक ऐसी पूरी मजदूरी को संदाय करने की बजाए ऐसे व्यक्ति को समान मजदूरी जो ऐसा व्यक्ति ऐसे नियोजन जिसके लिए उसे प्रतिषिद्ध किया गया था, पर वैकल्पिक नियोजन प्रदान कर सकेगा ;

(च) जहां सुकारक द्वारा उपखंड (क) के अधीन दिए गए या उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के अधीन किए गए आदेश की सूचना दी जाती है, खान का नियोजक, यथास्थिति, ऐसी सूचना या आदेश की प्राप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर मुख्य सुकारक को उसके विरुद्ध अपील कर सकेगा जो, सूचना या आदेश को पुष्ट, उपांतरित या रद्द कर सकेगा ;

(छ) उपखंड (क) के अधीन सूचना भेजने वाले अथवा उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के अधीन आदेश करने वाला मुख्य सुकारक या सुकारक अथवा उपखंड (च) के अधीन आदेश (विधिक के रद्दकरण से भिन्न) आदेश करने वाला मुख्य सुकारक तत्काल उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को करेगा ;

(ज) यदि खान का नियोजक मुख्य सुकारक या सुकारक द्वारा उपखंड (क) के अधीन भेजी गई सूचना अथवा उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (च) के अधीन मुख्य सुकारक या सुकारक द्वारा दिए गए किसी आदेश का विरोध करता है तो वह अनुरोध अंतर्विष्ट करने वाली सूचना की प्राप्ति या आदेश अथवा अपील पर विनिश्चय की तारीख के पश्चात्, जैसा भी मामला हो, बीस दिन के भीतर उसके आधारों को लिखित में कथित करते हुए अपना आक्षेप केन्द्रीय सरकार को भेज सकेगा, जो साधारणतया आक्षेप प्राप्ति के दो मास के भीतर मामले का विनिश्चय करेगा ;

(झ) उपखंड (क) के अधीन प्रत्येक सूचना या उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (घ) या उपखंड (च) के अधीन आदेश. जिसका आक्षेप उपखंड (ज) के अधीन किया जाता है केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय का खान संबंधित मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक के पास लंबित रहने तक अनुपालन किया जाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, नियोजक के आवेदन पर आक्षेप पर अपना विनिश्चय के लंबित को उपखंड (क) के अधीन सूचना के प्रचालन को निलंबित कर सकेगी ;

1974 का 1

(ञ) इस धारा की कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी ;

(ट) खान की सुरक्षा से संबंधित किसी मामले के संबंध में, जिसके लिए इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त उपबंध बनाए गए हैं, खान का नियोजक ऐसे उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है, दो मुख्य सुकारक लिखित में ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी विस्तारित अवधि जो उसके पश्चात् समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए के भीतर उसका अनुपालन करते हुए सूचना दे सकेगा ।

(ठ) जहां नियोजक उपखंड (ट) के अधीन दी गई सूचना के निबंधनों का अनुपालन ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि या उपखंड के अधीन

विस्तृत समय अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है तो मुख्य सुकारक लिखित आदेश द्वारा खान में या पर अथवा उसके किसी भाग में या पर किसी व्यक्ति जिसका नियोजन उसकी राय में सूचना के निबंधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक नहीं है, को प्रतिषिद्ध कर सकेगा ;

(ड) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नियोजन उपखंड (ठ) के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाता है, उतनी अवधि के लिए जिसके लिए उसे नियोजन से प्रतिषिद्ध किया गया हो, पूरी मजदूरी के भुगतान का हकदार होगा और स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक उस व्यक्ति को ऐसी पूरी मजदूरी के भुगतान के लिए दायी होगा ;

परन्तु नियोजक उक्त पूरी मजदूरी संदाय करने की बजाय ऐसे व्यक्ति के लिए उसी मजदूरी पर किसी अनुकल्पी नियोजन का उपबंध कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति नियोजन में ग्रहण कर रहा था जो उपखंड (1) के अधीन प्रतिषिद्ध था ;

(ढ) उपखंड (छ), (ज) और (झ) के उपबंध, उपखंड (ट) के अधीन जारी सूचना या उपखंड (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपखंड (क) के अधीन सूचना पर उपखंड (ख) के अधीन किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं ;

(ण) मुख्य सुकारक कारणो को लिखित करके, इस संहिता के अधीन या खान के संबध में, किसी विनियम, विधि या उपविधि के अधीन उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश को उलट या उपान्तरित कर सकेगा ;

(त) कोई आदेश इस धारा के अधीन जो खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबधंक पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है नहीं दिया जाएगा, जब तक ऐसे स्वामी, अभिकर्ता या प्रबधंक को अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ;

(थ) केन्द्रीय सरकार खान के संबध में इस संहिता के अधीन मुख्य सुकारक द्वारा दिए गए किसी आदेश को उलट या उपान्तरित कर सकती है ;

(इ) डॉक कार्य के संबध में, निम्नलिखित विशेष शक्ति होगा, अर्थात् :—

(क) यदि सुकारक को प्रतीत होता है कि कोई स्थान जहां कोई डॉक कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में है कि इसमें डॉक कर्मकार के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य को खतरा है वह लिखित में, नियोजन की सेवा पर, ऐसे स्थान में, किसी डॉक कार्य को प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेश कर सकेगा जब तक उसका समाधान न हो जाए कि खतरे के कारणों को दूर करने के उपाय कर दिए गए हैं ;

(ख) कोई सुकारक खंड (क) के अधीन आदेश की तामील होने के पश्चात् मुख्य सुकारक को उसकी एक प्रति पृष्ठांकित करेगा जो किसी अपील के लिए प्रतीक्षा किए बिना आदेश को उपान्तरित कर सकेगा ;

(ग) कोई व्यक्ति जो उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन किसी आदेश से व्यथित है उस तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर जिससे उसको आदेश संसूचित हुआ है मुख्य सुकारक को यदि जहां ऐसा आदेश मुख्य

सुकारक द्वारा दिया गया है, केन्द्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और मुख्य सुकारक या केन्द्रीय सरकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् साठ दिनों के भीतर अपील को निस्तारित करेगा :

परन्तु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या केन्द्रीय सरकार पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण करेगा यदि उसको यह समाधान हो जाता है, कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित हो गया था :

परन्तु यह और कि, खंड (क) के अधीन आदेश का अनुपालन, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या केन्द्रीय सरकार के निर्णय के लंबित रहते हुए भी होगा ।

(2) इस संहिता में, अन्यत्र निरीक्षक-सह-सुकारक की अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) यदि निरीक्षक-सह-सुकारक को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थल या स्थान पर जहां कोई भवन या अन्य संनिर्माण कार्य किया जा रहा है, जो ऐसी स्थिति में है कि भवन कर्मकार या साधारण जनता के जीवन, सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वह लिखित में, भवन कर्मकारों के नियोजक या स्थापन के नियोजक या ऐसे स्थल या स्थापन के भारसाधक व्यक्ति को ऐसे स्थल या स्थान पर किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य को प्रतिबंध करने का आदेश करेगा जब तक उसको समाधान न हो जाए कि खतरे के कारणों को दूर करने लिए उपाय कर दिए गए हैं ;

(ख) निरीक्षक-सह-सुकारक खंड (क) के अधीन आदेश की तालीम होने पर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को एक प्रति पृष्ठांकित करेगा ।

(ग) ऐसे प्रतिषेध करने वाले आदेश का तत्काल नियोजक द्वारा अनुपालन किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित है उस तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर जिससे उसको आदेश संसूचित हुआ है, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को या जहां ऐसा आदेश मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा दिया गया, केन्द्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या सक्षम प्राधिकारी जैसी स्थिति हो, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् साठ दिनों के भीतर अपील को निस्तारित करेगा :

परन्तु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या समुचित सरकार उक्त पंद्रह दिनों की अवधि के बीत जाने के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील को दाखिल करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित हो गया था :

परन्तु यह और कि प्रतिषेद्ध का अनुपालन, मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या समुचित सरकार के निर्णय के अध्यधीन होगा ।

मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुकारक आदि द्वारा सूचना की गोपनीयता ।

39. (1) किसी स्थापन से संबधी सभी प्रतियों और उद्धरण, रजिस्टर या अन्य रिकार्ड और किसी विनिर्माण या वाणिज्य कारबार के संबध में अन्य जानकारी या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या किसी निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा या उसकी सहायता करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अधीन किसी स्थापन के निरीक्षण या सर्वेक्षण के अनुसरण में किसी कार्य प्रक्रिया में अर्जित की जाए, या धारा 20 के अधीन

प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य पालन के अध्याधीन अर्जित की जाए, जहां तक का संबंध है के विषय में गोपनीय होगी और सेवा में रहते हुए या सेवा छोड़ने के पश्चात् किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रकट नहीं की जाएगी जब तक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक का यह विचार न हो कि स्थापन में नियोजित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रकट करना आवश्यक है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसी सूचना के प्रकटन को लागू नहीं होगी जो—

(क) किसी न्यायालय को ;

(ख) इस संहिता के अधीन गठित किसी समिति या बोर्ड को ;

(ग) संबंधित स्थापन के किसी शासकीय वरिष्ठ या नियोजक को ;

(घ) कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन कर्मचारियों के प्रतिकर के लिए नियुक्त किए गए किसी आयुक्त को ; 1923 का 8

(ङ) नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को ;

(च) समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किया गया प्राधिकारी या अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी को दी जाए ।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में, किसी बात के होते हुए भी, कोई मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक संहिता के उपबंधों के उल्लघंन के संबंध में, उसको किए गए किसी परिवाद के स्रोत को उसकी सहमति के बिना प्रकट नहीं करेगा और जब उक्त परिवाद के अनुसरण में इस संहिता के अधीन कोई निरीक्षण किया जा रहा है, संबधी नियोजक या उसके किसी प्रतिनिधि को कि उक्त परिवाद के अनुसरण में निरीक्षण किया जा रहा है, को भी प्रकट नहीं करेगा । 2005 का 22

निरीक्षक-सह-सुकारक को दी गई सुविधाएं ।

40. किसी स्थापन का प्रत्येक नियोजक मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकारक या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को इस संहिता के अधीन कोई प्रविष्टि, निरीक्षण सर्वेक्षण मापन, परीक्षण या जांच करने के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा ।

खान के संबंध में विशेष अधिकारी की प्रवेश मापने, आदि की शक्ति ।

41. सरकार की सेवा में का कोई भी व्यक्ति, जिसे मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक ने, लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया हो खान के प्रबन्धक को ऐसी सूचना देने के पश्चात् जो तीन दिन से कम की न हो, किसी खान या उसके किसी उत्पाद का सर्वेक्षण, तलमापन या मापन करने के प्रयोजन के लिए उसमें प्रवेश कर सकेगा और दिन या रात्रि मे किसी भी समय खान या उसके किसी भाग या उसके किसी उत्पाद का सर्वेक्षण, तलमापन या मापन कर सकेगा :

परन्तु जहां मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक राय में कोई आपात विद्यमान हो, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह ऐसी कोई सूचना दिए बिना पूर्वोक्त में से किसी प्रयोजन के लिए खान मे प्रवेश करे ।

चिकित्सा अधिकारी ।

42. (1) समुचित सरकार, कारखाना, बागान, मोटर परिवहन उपक्रम और किसी अन्य स्थापन के संबंध में इस संहिता के उद्देश्यों के लिए चिकित्सा अधिकारी होने की

विहित अर्हता रखने वाले को चिकित्सा व्यवसायी नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु ऐसे नियुक्त किया गया चिकित्सा अधिकारी अपना पद ग्रहण करने से पहले संबंधित स्थापन में अपना हित समुचित सरकार को प्रकट करेगा ।

(2) चिकित्सा अधिकार, निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात् :—

(क) कर्मकारों की परीक्षा और प्रमाणीकरण, जो किसी खान या कारखाने या किसी अन्य स्थापन में जैसा विहित किया जाए, ऐसे खतरनाक व्यवसाय या प्राक्रियाओं में लगे हुए हैं ;

(ख) किसी कारखाने, खान, बागान, मोटर परिवहन उपक्रम या ऐसे अन्य स्थापन के लिए जैसा समुचित सरकार द्वारा किया जाए चिकित्सा पर्यवेक्षण किया जाएगा जहां बीमारी के मामले हुए हैं, जिसका युक्तियुक्त विश्वास है, किसी प्रक्रिया की प्रकृति के चलन या किसी स्थापना मे विद्यमान कार्य की अन्य स्थिति के कारण है ;

(ग) कारखाना, बागान, मोटर परिवहन उपक्रम और किसी अन्य स्थापन में रोजगार के लिए उसकी स्वस्थता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए कुमार की परीक्षा और परीक्षण, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए किसी कार्य में जिसमें उसके स्वास्थ्य की क्षति होना संभाव्य है, किया जा सकता है ।

अध्याय 10

स्त्रियों के रोजगार के संबंध में विशेष उपबंध

रात्रि मे स्त्रियों को रोजगार ।

43. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतिषिद्ध किसी बात के होते हुए भी नियोजक द्वारा सुरक्षा, अवकाश और कार्यों के घंटों से संबंधित, इस निमित्त और ऐसी शर्त के अध्याधीन या किसी अन्य परिस्थिति को देखते हुए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, स्त्री कर्मकार अपनी सहमति से किसी स्थापन में 6 बजे पूर्वाहन से पहले और 7 बजे अपराहन के बाद नियोजित हो सकेगी ।

खतरनाक प्रचालन मे स्त्रियों के रोजगार का प्रतिषेद्ध ।

44. जहां समुचित सरकार की राय है कि किसी स्थापन या स्थापन के वर्ग में स्त्रियों का नियोजन, उसमें प्रचालन के कारण, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक है, उक्त सरकार विहित रीति से उक्त प्रचालन के लिए स्त्रियों के रोजगार को प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

अध्याय 11

ठेका श्रमिकों और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार, आदि के लिए विशेष उपबंध

भाग 1

ठेका श्रमिक और अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार

इस भाग का लागू होना ।

45. (1) यह भाग—

(i) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है, जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ii) प्रत्येक जनशक्ति प्रदाय ठेकेदार को लागू होता है जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे :

परन्तु इसके उपबंध धारा 59 से 62 को लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि समुचित सरकार ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी स्थापन या जनशक्ति प्रदाय ठेकेदार को लागू हो सकेगा, जो बीस से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु यह भी कि जहां ठेका श्रमिक की कोई अन्य सीमा जैसी इस उपधारा में उपबंधित है तत्समय प्रवृत विधि के अधीन, इस संहिता के प्रारम्भ होने से तत्काल पहले राज्य में प्रवृत है तब तक प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, प्रथम परन्तुक पर अभिभावी होगा जब तक यह सक्षम विधायिका द्वारा संशोधित किया जाए ।

(2) यह भाग उस स्थापन में लागू नहीं होगा जिसमें कि केवल किसी अन्तरायिक या आकस्मिक प्रवृति के कार्य किए जाते हैं :

परन्तु यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थापन में किए गए कार्य किसी अन्तरायिक या आकास्मिक प्रकृति के हैं, समुचित सरकार, राज्य बोर्ड या राज्य सलाहकारी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् निर्णय करेगी और उसके निर्णय उस पर अंतिम होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के उदेश्य के लिए, किसी स्थापन में किए गए कार्य़ किसी अन्तरायिक प्रकृति का नहीं समझा जाएगा—

(i) यदि यह पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ बीस दिन से अधिक के लिए किए गए थे ; या

(ii) यदि यह समय विशेष का है और एक वर्ष में साठ दिनों से अधिक के लिए किए गए हैं ।

अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति ।

46. समुचित सरकार, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी होगें, जिन्हें वह ठीक समझे, अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और उन सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके अन्दर अनुज्ञापन अधिकारी इस भाग द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करेगा ।

ठेकेदार को अनुज्ञापन ।

47. (1) कोई ठेकेदार जिसको यह भाग लागू होता है, ऐसी अपेक्षित अर्हता या मानदंड, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाए, पूरा करता है समाधान होने के पश्चात् अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसे जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन या अनुसरण में के सिवाय—

(क) किसी स्थापन में ठेका श्रमिक प्रदाय या नियुक्त नहीं करेगा; या

(ख) ठेका श्रमिक के माध्यम से कार्य प्रारंभ या निष्पादन नहीं करेगा,

और ऐसी अनुज्ञप्ति में उपधारा (3) में, विनिर्दिष्ट विहित की गई विशिष्टियों में और शर्तों के अतिरिक्त, ठेका श्रमिक की निर्दिष्ट संख्या जो उसमें लगे हुए हैं, और ठेकेदार द्वारा जमा की प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट होगी ।

(2) जहां ठेकेदार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता या मानदंड को पूरा नहीं करता है, अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे समय के भीतर जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ठेका श्रमिक प्रदाय या रखने या ठेका श्रमिक के माध्यम से कार्य निष्पादन केवल संबंधित कार्य आदेश जैसा उक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए

या ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा उक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए के लिए नवीकरणीय "कार्य विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति" उसे जारी कर सकेगा ।

(3) इस भाग के उपबंधों के अध्यधीन,—

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें अंतर्विष्ट हो सकेगी जिसमें ठेका श्रमिक के संबंध में, विशिष्टियां, काम के घंटों की शर्तें; मजदूरी का नियतन और अन्य आवश्यक सुख-सुविधाएं भी शामिल है जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ख) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञप्ति उक्त स्थापन के लिए समुचित सरकार से यदि वह—

(i) केन्द्रीय सरकार है, तो उस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनुज्ञापन अधिकारी से ; और

(ii) राज्य सरकार है तो उस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनुज्ञापन अधिकारी से,

प्राप्त करेगा:

परंतु उस दशा में, ठेकेदार उपधारा (1) के अधीन, प्रदाय या नियुक्त ठेका श्रमिक या प्रारंभ या किए गए कार्य विभिन्न राज्य में स्थित एक से अधिक स्थापन में है, तब वह अनुज्ञप्ति,—

(i) जहां ऐसी स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनुज्ञापन अधिकारी से प्राप्त करेगा, जो उस स्थान के ऊपर क्षेत्राधिकार रखता है जहां ठेकेदार का प्रधान कार्यालय स्थित है ;

(ii) जहां ऐसी स्थापना के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनुज्ञापन अधिकारी से प्राप्त करेगा, जो उस स्थान के ऊपर क्षेत्राधिकार रखता है जहां ठेकेदार का प्रधान कार्यालय स्थित है ।

अनुज्ञप्ति प्रदान करना ।

48. (1) धारा 47 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से किया जाएगा और जिसमें ठेका श्रमिकों की संख्या से संबंधी विशिष्टियां, कार्य की प्रकृति जिसके लिए ठेका श्रमिक नियोजित किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए अंतर्विष्ट होंगी ।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी उपधारा (1) के अधीन ग्रहण किए गए आवेदन के संबंध में ऐसे अन्वेषण करेगा और अनुज्ञापन अधिकारी किसी ऐसे अन्वेषण करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति, उसमें विनिर्दिष्ट ठेका श्रमिकों की संख्या के संबंध में पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और उस दशा में जब ठेकेदार ठेका श्रमिकों की संख्या बढ़ना चाहता है तब वह विहित की गई रीति से अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को उक्त उद्देश्य के लिए आवेदन करेगा और यदि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुज्ञप्ति नवीकृत कर दी जाए, ठेका श्रमिक नवीकृत अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट जमा ऐसी प्रतिभूति के निक्षेप द्वारा उस विस्तार तक बाकी अवधि के लिए बढ़ जाएगा ।

कर्मकार के लिए कोई फीस या कमीशन या कोई लागत न होना ।

49. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः, संपूर्ण रूप से या भाग रूप से, ठेका श्रमिक से कोई फीस या कमीशन प्रभार नहीं लेगा ।

समुचित सरकार को कार्य आदेश संबंधी सूचना का दिया जाना ।

50. (1) जब कोई ठेकेदार या तो स्थापन में ठेका श्रमिक प्रदाय करने के लिए या स्थापना में ठेका श्रमिक के माध्यम से संविदा निष्पादित करने के लिए किसी स्थापन से कोई आदेश प्राप्त करता है तो वह ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, समुचित सरकार को सूचित करेगा ।

(2) जहां ठेकेदार, उपधारा (1) के अधीन सूचना देने में असफल रहता है, वहां अनुज्ञापन अधिकारी, अनुज्ञप्ति के धारक को कारण दिखाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसी रीति से जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

अनुज्ञप्ति का खंडन, निलंबन और संशोधन ।

51. (1) यदि अनुज्ञापन अधिकारी को इस निमित्त उसे किए गए निर्देश पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि या तो; कि,—

(क) इस भाग के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति, दुर्व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गई है ; या

(ख) अनुज्ञप्ति का धारक, शर्त जिसके अध्यधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है का पालन करने में असफल रहता है या इस भाग के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तब किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए ठेकेदार इस संहिता के अधीन दायी है, अनुज्ञापन अधिकारी बताने ठेकेदार को कारण दिखाने का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति खंडित या निलंबित कर सकेगा ।

(2) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्याधीन अनुज्ञापन अधिकारी इस भाग के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति संशोधित कर सकेगा ।

अपील ।

52. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 47 या धारा 48 या धारा 51 के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित है, उस तारीख से तीस दिनों के भीतर जिसको उसे आदेश संसूचित होता है, समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि के बीत जाने के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने क पश्चात् उस तारीख से तीस दिनों के भीतर जिसको अपील प्रस्तुत की गई थी अपील निस्तारित करेगा ।

कल्याण कारी सुविधा के लिए प्रधान नियोजक का दायित्व ।

53. धारा 23 और धारा 24 के अधीन यथानिर्दिष्ट और विहित की गई कैंटीन, विश्राम कक्ष, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था संबंधी कल्याणकारी सुविधाओं की व्यवस्था ठेका श्रमिक, जो उक्त स्थापन में नियोजित है के लिए स्थापन के प्रधान नियोजिक द्वारा की जाएगी ।

गैर अनुज्ञप्त ठेकेदार से ठेका श्रमिक नियोजन का प्रभाव ।

54. जहां किसी ठेकेदार जिसके लिए इस भाग के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अपेक्षित है, के माध्यम से ठेका श्रमिक किसी स्थापन में नियोजित है लेकिन वह उक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं प्राप्त करता है, उक्त ठेकेदार के माध्यम से इस प्रकार नियुक्त

किया गया ठेका श्रमिक प्रधान नियोजक द्वारा नियोजित किया गया समझा जाएगा ।

मजदूरी के संदाय का उत्तर दायित्व ।

55. (1) ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित किए गए प्रत्येक ठेका श्रमिक के लिए मजदूरी का संदाय करने के लिए दायी होगा, और ऐसी मजदूरी ऐसी अवधि जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए के बीतने से पहले संदाय करेगा ।

(2) प्रत्येक ठेकेदार उपधारा (1) मे निदिष्ट मजदूरी को बैंक अंतरण या इलैक्ट्रानिक रीति से सवितरण करेगा और उक्त रीति द्वारा ऐसे संदत्त धनराशि की सूचना इलैक्ट्रानिक रूप से प्रधान नियोजक को देगा :

परन्तु जहां उक्त सदाय का संवितरण करना नकद की अपेक्षा अन्यथा साध्य नही है, तब यह प्रधान नियोजक द्वारा साम्यक् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति मे सवितरित किया जाएगा और उक्त प्रतिनिधि की यह दायित्व होगा कि मजदूरी के रूप में संदत्त धनराशि को ऐसी रीति से प्रमाणित करें, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) यदि ठेकेदार विहित अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय करने में असफत रहता है या कम संदाय करता है तो प्रधान नियोजक, ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिको को यथास्थिति पूरी मजदूरी या शोध्य असंदत्त अतिशेष का संदाय करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा इस प्रकार दी गई रकम को वह ठेकेदार से या तो किसी संविदा के अधीन संदेय किसी धनराशि में से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय किसी ऋण में वसूल कर सकता है ।

(4) समुचित सरकार उस दशा मे, जब ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित किए गए ठेका श्रमिकों को मजदूरी का संदाय नही करता है, उक्त ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि से जो प्रतिभूति के रूप में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ठेकेदार को जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन जमा की गई थी ऐसी रीति से जैसी समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए उक्त मजदूरी को संदाय करने का आदेश देगी ।

अनुभव प्रमाण पत्र ।

56. प्रत्येक संबंधित ठेकेदार या संबंधित स्थापन का प्रधान नियोजक, अनुभव प्रमाणपत्र उस प्ररूप में, जैसा समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाए, वार्षिक रूप से ठेका श्रमिक को जारी करेगा, या जैसे ही और जब उक्त ठेका श्रमिक द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरे देने वाले ठेका श्रमिक द्वारा मांगा जाए ।

ठेका श्रमिको के नियोजन का प्रतिषेध ।

57. (1) इस भाग मे किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, राष्ट्रीय बोर्ड या किसी राज्य सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके, किसी भी स्थापन में किसी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम में ठेका श्रमिक के नियोजन को अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।

(2) किसी स्थापन के संबंध मे उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना निकालने से पूर्व समुचित सरकार उस स्थापन में ठेका श्रमिकों के लिए काम की परिस्थितियों और प्रसुविधाओं का, जिसकी व्यवस्था की गई है, तथा अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखेगी, जैसे कि—

(क) क्या वह प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य काम उस स्थापन मे किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारबार या उपजीविका के आनुषंगिक या उसके लिए आवश्यक है ;

(ख) क्या वह वर्षानुवर्षी प्रकार का है अर्थात् क्या वह उस स्थापन में किए जाने वाले विनिर्माण या चलाए जाने वाले उद्योग, व्यापार, कारबार, या उपजीविका का ध्यान रखते हुए पर्याप्त समय के लिए है ;

(ग) क्या वह उस स्थापन में या उससे मिलते-जुलते स्थापन में नियमित कर्मकारी के माध्यम से मामूली तौर से किया जाता है; और

(घ) क्या प्रचूर संख्या में पूर्णकालिक कर्मचारी को नियोजित करना पर्याप्त है ।

स्पष्टीकरण—यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई प्रक्रिया या संक्रिया या अन्य काम वर्षानुवर्षी प्रकार का है या नहीं तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

विशेष दशाओं मे छुट देने के शक्ति ।

58. समुचित सरकार आपात की दशा में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों और निबंधनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए तथा ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबंध किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग या ठेकेदारों के किसी वर्ग को लागू नहीं होगें ।

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को सुविधाएं ।

59. किसी स्थापन के लिए उस स्थापन के कार्य मे नियोजित अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के संबध में, प्रत्येक नियोजक का यह यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(i) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे कर्मकारों से उनके अपने राज्य से भिन्न राज्य में कार्य करने की अपेक्षा की गई है उसके कार्य की उचित दशाएं सुनिश्चित करें ;

(ii) ऐसे किसी कर्मकार को घातक दुर्घटना या उसको शारीरिक क्षति हो जाने की दशा में दोनों राज्यों के विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तथा कर्मकारों के नातेदारों को रिपोर्ट करें ;

(iii) कर्मकारों के लिए उनके नियोजन की अवधि के दौरान समुचित आवास की व्यवस्था करे और बनाए रखे ;

(iv) कर्मकारों के लिए मुफ्त विहित चिकित्सा सुविधा और कालिक चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था करें ।

विस्थापन भत्ता ।

60. (1) ठेकेदार द्वारा प्रत्येक अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार को भर्ती के समय विस्थापन भत्ता, जो उसको संदेय मासिक मजदूरी के पचास प्रतिशत के बराबर हो, संदत्त किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विस्थापन भत्ते के रूप में किसी कर्मकार को संदत्त की गई रकम प्रतिदेय नहीं होगी और वह रकम उसकी संदेय मजदूरी का अन्य रकमों के अतिरिक्त होगी ।

यात्रा भत्ता,आदि ।

61. ठेकेदार द्वारा कर्मकार की जाने और वापस आने, दोनों का यात्रा भत्ता, जो अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के अपने राज्य में उसके निवास स्थान से किसी अन्य राज्य में कार्य के स्थान तक के किराए की धनराशि से कम नहीं होगा दिया जाएगा और ऐसा कर्मकार ऐसी यात्राओं की अवधि के दौरान मजदूरी के संदाय का ऐसे हकदार होगा मानो वह काम पर हो ।

पूर्व दायित्व ।

62. कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष, किसी अंतरराज्यिक प्रवासी कार्मकार के संबंध में, जहां ठेकेदार या प्रधान नियोजक पर अवनिर्धारित दायित्व शेष रहता है, उसके नियोजन के पूरा होने के पश्चात् ऋण की वसूली या उसके किसी भाग के लिए नहीं की जाएगी और ऐसे ऋण या उसका भाग ऐसे कर्मकार के नियोजन की अवधि के पूरा होने पर निर्वासित समझा

जाएगा ।

भाग 2

दृश्य-श्रव्य कर्मकार

करार के बिना दृश्य-श्रव्य कर्मकार के नियोजन का प्रतिषेध ।

63. (1) कोई व्यक्ति दृश्य-श्रव्य कर्मकार के रूप में या किसी दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम संबंधी उत्पादन में नियोजित नहीं होगा जब तक, —

(क) कोई लिखित करार—

(i) ऐसे दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा उक्त व्यक्ति के साथ न किया हो; या

(ii) ऐसे दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा ठेकेदार के साथ न किया हो जहां ऐसा व्यक्ति उक्त ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं; और

(ख) ऐसा करार दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत किया है ।

(2) प्रत्येक करार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट,—

(क) विहित प्ररूप में होगा ;

(ख) दृश्य-श्रव्य कर्मकार के संबंध में, जो नियोजन करार से संबंधित है, नाम और अन्य विशिष्टियां जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए निर्दिष्ट होगी ;

(ग) जहां ऐसा दृश्य-श्रव्य कर्मकार जो ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, इस प्रभाव की विनिर्दिष्ट शर्त की दशा में, जब ठेकेदार दृश्य-श्रव्य कर्मकार के साथ, मजदूरी के संदाय या अन्य मामले के संबंध में, करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम का निर्माता ऐसे दायित्वों के निर्वहन के लिए दायी होगा और उससे संबंधित प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, के अंतर्गत होगा ।

(3) दृश्य-श्रव्य कर्मकार के नियोजन से संबंधित उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार की एक प्रति, यदि ऐसा दृश्य-श्रव्य कर्मकार भविष्य निधि के लाभ का हकदार है, दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम के निर्माता द्वारा प्राधिकारी को भी जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रेषित की जाएगी ।

(4) अध्याय 5,अध्याय 6 और अध्याय 7 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में, —

(i) समनुदेशन की प्रकृति ;

(ii) मजदूरी और अन्य लाभ (जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, यदि कोई हो) भी शामिल है,

(iii) स्वास्थ्य और कार्य दशा ;

(iv) सुरक्षा ;

(v) कार्य के घंटे ; और

(vi) कल्याणकारी सुविधाएं,

और निर्माता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दृश्य-श्रव्य कर्मकार से किए गए करार में विनिर्दिष्ट सुविधाओं को प्रदान करे और इलैक्ट्रोनिक रीति के माध्यम से मजदूरी का

संदाय करें ।

भाग 3

खान

प्रबंधक ।

64. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा जैसा अन्यथा विहित किया जाए उसे छोड़कर, प्रत्येक खान एक प्रबंधक के अधीन होगी जिसकी विहित अर्हताएं होंगी और हर एक खान का स्वामी या अभिकर्ता ऐसी अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त करेगा :

परंतु स्वामी या अभिकर्ता स्वयं को प्रबंधक नियुक्त कर सकेगा यदि उसके पास विहित अर्हताएं हैं ।

(2) ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो उसे खान के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दिए जाएं, प्रबंधक खान के संपूर्ण प्रबंध, नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे सब अनुदेश जब स्वामी या अभिकर्ता द्वारा दिए जाएं तो उनकी तुरंत लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी ।

(3) आपात की दशा के सिवाय, खान का स्वामी या अभिकर्ता या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, खान में नियोजित किसी व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है, ऐसे अनुदेश, जो उसके कानूनी कर्तव्यों की पूर्ति पर प्रभाव डालते हैं, प्रबंधक के माध्यम से ही देगा, अन्यथा नहीं ।

संहिता का कतिपय दशाओं में लागू न होना ।

65. (1) इस संहिता के उपबंध धारा 35, धारा 38, धारा 40, धारा 41 और धारा 44 में अंतर्विष्ट उपबंधों के सिवाय—

(क) किसी ऐसी खान या उसके भाग को लागू नहीं होंगे जिसमें उत्खनन, कर्मचारियों की संख्या, उत्खनन की गहराई और अन्य ऐसे विषयों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए केवल पूर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, न कि उपयोग या विक्रय के लिए खनिजों की अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए ;

(ख) किसी ऐसी खान को लागू नहीं होंगे जो खुदाई, विकृत, खनिज और जो ऐसे विस्फोटकों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, से संबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए कंकड़, मोरम, लैटराइट, ढोका, बजरी, शिंगल, (सांचाबालू, कांचबालू और अन्य खनिज बालूओं को अपवर्जित करते हुए), मामूली बालू (केओलिन, चीनी मिट्टी, श्वेत मृत्तिका या अग्निसह मृत्तिका को अपवर्जित करते हुए) मामूली मृत्तिका, इमारती पत्थर, सड़क-गिट्टी, मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी (मार्ल, चॉक) और चुनापत्थर निकालने में लगी हो परंतु यह तब जबकि—

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि इस संहिता के उपबंध ऐसी खान या उसके भाग को लागू होंगे जो इसके दवारा विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी की पूर्ति उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी खान के सम्बन्ध में किसी समय न की जाए, तो इस संहिता के वे उपबंध जो उपधारा (1) में उपवर्णित नहीं है, तुरंत लागू हो जाएंगे, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक का यह कर्तव्य होगा कि वह उस पूर्ति न होने की इत्तिला विहित प्राधिकारी को विहित रीति से और विहित समय के भीतर दे ।

नियोजन संबंधी उपबंध की छूट ।

66. (1) खान की या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर जोखिम अंतर्वलित करने वाली आपात की दशा में, या दुर्घटना, चाहे वास्तविक या आशंकित हो की दशा में, या किसी देवी कृत्या की दशा में, या खान की मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर के लिए ऐसी मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर की खराबी के परिणामस्वरूप किए जाने किसी अत्यावश्यक कार्य की दशा में, प्रबंधक साप्ताहिक विश्राम दिवस, भूमि के ऊपर कार्म के घंटे, भूमि के नीचे कार्य के घंटे और खानों से संबंधित कार्य के घंटों के बारे में नोटिसों से छूट से संबंधित धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और धारा 125 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार धारा 25, धारा 30 और धारा 31 की उपधारा (1) के उल्लंघन के ऐसे कार्य पर नियोजित व्यक्तियों को जो खान या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा की संरक्षा के लिए आवश्यक हो, अनुज्ञात करा सकेगा ।

परंतु इस अधिनियम के अधीन मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर पर शीघ्र कार्य किए जाने की दशा में प्रबंधक इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कार्रवाई कर सकेगा, यद्यपि, इससे खनिज का उत्पादन आकस्मिक रूप से प्रभावित होगा किंतु इस प्रकार की गई कोई कार्रवाई खान के साधारण रूप से कार्य करने में गंभीर रूप से हस्तक्षेप से बचने के प्रयोजन के लिए आवश्यक सीमाओं से अधिक नहीं होगी ।

(2) प्रत्येक मामला, जिसमें प्रबंधक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई की गई है, उससे संबंधित परिस्थितियों के साथ अभिलिखित किया जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को भी की जाएगी ।

अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन ।

67. (1) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी खान या उसके किसी भाग में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रशिक्षु और अन्य प्रशिक्षणार्थी, जो सोलह वर्ष से कम आयु के नहीं है, को धारा 64 में निर्दिष्ट अनुसार प्रबंधक द्वारा खान या उसके किसी भाग में उचित पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परंतु प्रशिक्षुओं से भिन्न प्रशिक्षणार्थियों की दशा में उन्हें कार्य के लिए अनुज्ञात करने से पूर्व मुख्य सुकरकर्ता या सुकरकर्ता का पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार खान में प्रशिक्षु, अन्य प्रशिक्षणार्थी और कर्मचारी की चिकित्सा जांच के लिए उपबंध विहित कर सकेगी ताकि कार्य के लिए उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित हो सके और सौलह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रशिक्षु या प्रशिक्षणार्थी के रूप में और उनको, जो ऐसे कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए वयस्क नहीं है, रोका जा सके ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी निर्देश पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुदत्त प्रत्येक प्रमाणपत्र इस संहिता के प्रयोजन के लिए उसमें निर्दिष्ट मामले के लिए निश्चायक साक्ष्य होगा ।

1961 का 52

स्पष्टीकरण–इस धारा में "प्रशिक्षु" से प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित प्रशिक्षु अभिप्रेत है ।

इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या कोई खान इस संहिता के अधीन आती है ।

68. यदि कोई प्रश्न उदभूत होता है कि कोई खनन या संकर्म (या किसी खान में या उससे संलग्न कोई परिसर जिसमें खनिजों या कोक को विक्रय के लिए तैयार करने के लिए गेटिंग, ड्रेसिंग या तैयार करने से अनुषंगी कोई प्रक्रिया की जाती है) इस संहिता के अर्थांतर्गत कोई खान है, केंद्रीय सरकार प्रश्न का विनिश्चय कर सकेगी और केंद्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र इस बिन्दु पर निश्चायक होगा ।

भाग 4

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार

औद्योगिक परिसरों और व्यक्ति को अनुज्ञप्ति ।

69. (1) इस भाग में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी नियोजक किसी स्थान या परिसर को तब तक किसी औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करना अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि वह इस धारा के अधीन जारी वैध अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता हो और ऐसे किसी परिसर का उपयोग केवल ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी स्थान या परिसर के उपयोग का आशय रखता है या उपयोग करना अनुज्ञात करता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में ऐसी फीस के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे परिसर को किसी औद्योगिक परिसर के रूप में उपयोग करने या उपयोग करना अनुज्ञात करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए लिखित आवेदन करेगा ।

(3) उस आवेदन में कर्मचारियों की वह अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट होगी, जो उस स्थानीय परिसर में दिन के किसी समय नियोजित किए जाने को प्रस्थापित हो और उसके साथ उस स्थान या परिसर का ऐसी रीति में तैयार किया हुआ रेखांक होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(4) सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चय करने के लिए कि कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाए या इंकार किया जाए, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा :--

(क) उस स्थान या परिसर का यथौचित्य, जो बीड़ी या सिगार या दोनों बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने को प्रस्थापित है ;

(ख) आवेदक का पूर्व अनुभव या उसने अनुभवी व्यक्ति को नियोजित किया है या उसने अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए नियोजन के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ करार किया है ;

(ग) आवेदक के वित्तीय साधन, जिनके अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों से उदभूत मांगो को पूरा करने का उसको वित्तीय सामर्थ्य है ;

(घ) क्या आवेदन स्वयं आवेदक के निमित्त सद्भावपूर्वक किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेनामी है ;

(ङ) परिक्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण, लोक साधारण का हित और ऐसे अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(5) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगी

और तत्पश्चात् उसका नवीकरण किया जा सकेगा ।

(6) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसकी कालावधि के अवसान से कम से कम तीस दिन पहले ऐसी फीसों के संदाय पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, किया जाएगा और जहां कि ऐसा आवेदन किया गया है, वहां अनुज्ञप्ति का उसकी कालावधि का अवसान हो जाने पर भी चालू रहना तब तक समझा जाएगा जब तक, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति का नवीकरण, या उसके नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार न कर दिया गया हो :

परंतु सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस संहिता के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन हो गया है :

परंतु यह और कि सक्षम प्राधिकारी विनिश्चय करने में कि अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाए या उसका नवीकरण करने से इंकार किया जाए, धारा (3) में विनिर्दिष्ट विषयों को ध्यान में रखेगा ।

(7) सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन अनुदत्त या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञप्ति के धारक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् रद्द या निलम्बित कर सकेगा, यदि उसको यह प्रतीत होता है कि ऐसी अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है या कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस संहिता के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का या अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया है या अनुपालन नहीं किया है ।

(8) राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी को साधारण प्रकृति के ऐसे लिखित निदेश दे सकेगी जैसे वह सरकार इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान या नवीकरण से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में आवश्यक समझे ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सक्षम प्राधिकारी इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियों का अनुदान या नवीकरण ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कर सकेगा जैसे वह अवधारित करे और जहां कि सक्षम प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करने से इन्कार करता है वहां वह ऐसे इंकार के लिए लिखित कारण देते हुए आवेदक को संसूचित आदेश द्वारा ऐसा करेगा ।

अपीलें ।

70. सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने वाले विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अपील ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आदेश द्वारा पुष्ट कर सकेगा, उपान्तरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक परिसरों से बाहर कार्य करने के लिए अनुज्ञा ।

71. (1) राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा उसे ऐसे कर्मचारियों के निमित्त नियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर बीड़ी या तंबाकू पत्तों को औद्योगिक परिसरों से बाहर धोना या काटना, जैसा विहित किया जाए, अनुज्ञात कर सकेगी ।

(2) नियोजक उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कार्य, जो औद्योगिक परिसरों से बाहर किया जाना है, के अभिलेख ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रखेगा ।

(3) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी नियोजक बीड़ी या सिगार

या दोनों के निर्माण से संबंधित किसी विनिर्माण प्रक्रिया को औद्योगिक परिसरों से बाहर करने की अपेक्षा नहीं करेगा या किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी मजदूर को लागू नहीं होगी, जिसे नियोजक द्वारा या किसी ठेकेदार द्वारा घर पर बीड़ी या सिगार या दोनों को बनाने के लिए कच्ची सामग्री दी गई है ।

इस भाग का प्राइवेट आवास गृहों में स्व:नियोजित व्यक्तियों पर लागू न होना ।

72. इस भाग में अंतर्विष्ट कोई बात किसी प्राइवेट आवास गृह के स्वामी या अधिभोगी को लागू नहीं होगी, जो किसी नियोजक का कर्मचारी नहीं है, जिसे यह भाग लागू होता है, जो उसके साथ ऐसे आवास गृह में रह रहे कुटुंब के सदस्यों के साथ, जो उस पर आश्रित हैं, ऐसे प्राइवेट आवास गृह में कोई विनिर्माण प्रक्रिया करता है :

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "कुटुंब" में बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित बालक सम्मिलित नहीं है ; 1986 का 61

(ii) "प्राइवेट आवास गृह" से कोई गृह अभिप्रेत है, जिसमें बीड़ी या सिगार या दोनों के विनिर्माण में लगे हुए व्यक्ति रहते हैं ।

भाग 5

भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार

कतिपय भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कतिपय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध ।

73. ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके बारे में नियोजक को ज्ञान है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह बधिर है या उसे दृश्य शक्ति की त्रुटि है, या सिर चकराने की प्रवृत्ति है, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की किसी ऐसी संक्रिया में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसमें स्वयं भवन कर्मकार को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी दुर्घटना का जोखिम होना संभाव्य हो ।

भाग 6

कारखाना

कारखानों का अनुमोदन और अनुज्ञापन ।

74. (1) समुचित सरकार निम्नलिखित के लिए कारखाने या कारखाने के वर्ग या विवरण के संबंध में नियम बना सकेगी–

(क) योजनाओं को प्रस्तुत करना, जिसके अंतर्गत उनकी विशिष्टियां, प्रकृति और प्रमाणन सम्मिलित है ;

(ख) स्थल, जिस पर कारखाना अवस्थित किया जाना है और उसके संनिर्माण या विस्तार के लिए पूर्व अनुज्ञा ; और

(ग) रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन तथा उसका नवीकरण, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ऐसे रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञापन और नवीकरण के लिए संदेय फीस सम्मिलित है ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन, उस उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रेखांकों और विशिष्टियों सहित, राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता को विहित ढंग, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक ढंग है, द्वारा भेजने पर, उसे भेजने की तारीख से तीन मास के अन्दर आवेदक को कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उक्त आवेदन में जिस अनुज्ञा के लिए आवेदन किया गया है वह अनुदत्त

कर दी गई है ।

(3) जहां राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता किसी कारखाने के स्थल, सन्निर्माण या विस्तार के लिए अथवा किसी कारखाने के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने से इन्कार करता है वहां आवेदक ऐसे इन्कार की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपील, उस दशा में जिसमें वह विनिश्चय जिसकी अपील की जाती है राज्य सरकार का था, केन्द्रीय सरकार को किसी अन्य दशा में राज्य सरकार को कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण–यदि कोई संयंत्र या मशीनरी प्रतिस्थापित करने से अथवा ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, कोई अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने से संयंत्र या मशीनरी के चारों ओर सुरक्षित रूप से काम करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम खुला स्थान कम नहीं होता है अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भाप, गर्मी या धूल या धूम के निष्कासन या निर्गमन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो केवल ऐसे प्रतिस्थापन अथवा अतिरिक्त संयंत्र या मशीनरी लगाने के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि इस धारा के अर्थ में कारखाने का विस्तार हुआ है ।

कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व ।

75. जहां किन्हीं परिसरों या पृथक् भवनों को पृथक् कारखानों के रूप में उपयोग के लिए विभिन्न अधिभोगियों को पट्टे पर दिया जाता है, परिसरों का स्वामी और कारखानों का अधिभोगी, जो सामान्य सुविधाओं, जिसके अंतर्गत सुरक्षा और अग्नि निवारण तथा संरक्षा, पहुंच, स्वच्छता, उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य, वायुसंचार, तापमान, अपातस्थिति के लिए तैयारी और अनुक्रिय, कैंटीन, आश्रय, आराम कक्ष और शिशु कक्ष सम्मिलित हैं, का उपयोग कर रहा है, संयुक्त और पृथकत: ऐसी सामान्य सुविधाओं का उपबंध करने के लिए और अनुरक्षण करने के लिए तथा सेवाओं के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, उत्तरदायी होगा ।

संहिता को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति ।

76. (1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि कारखाने में कार्य कर रहे कर्मकार की संख्या पर ध्यान न देते हुए इस भाग के सभी या कोई उपबंध किसी ऐसे स्थान को लागू होंगे, जिसमें विद्युत की सहायता से या उसके बिना कोई विनिर्माणकारी प्रक्रिया की जाती है या मामूली तौर से की जाती है ।

(2) किसी स्थान के ऐसे घोषित किए जाने के पश्चात् वह इस संहिता के प्रयोजनों के लिए कारखाना समझा जाएगा और स्वामी को अधिष्ठाता और उसमें काम करने वाले व्यक्ति को कर्मकार समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्वामी" के अन्तर्गत परिसर का पट्टेदार या बन्धकदार भी होगा, जो परिसर का कब्जा रखता है ।

खतरनाक संक्रियाएं ।

77. समुचित सरकार किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग या विवरण के संबंध में, जिनमें कोई विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया की जाती है, जो उसमें नियोजित किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति, विषाक्तीकरण या रोग का गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है, नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी,--

(क) किसी विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया को विनिर्दिष्ट करना और उसे खतरनाक घोषित करना ;

(ख) विनिर्माणकारी प्रक्रिया या संक्रिया में गर्भवती महिलाओं के नियोजन को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करना ;

(ग) अधिभोगी की लागत पर ऐसे नियोजन में किसी कर्मकार या कर्मचारी

की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए नियोजन से पूर्व या किसी समय आवधिक चिकित्सा जांच ; और

(घ) कल्याणकारी सुख-सुविधाएं, स्वच्छता, संरक्षा उपस्कर और वस्त्र तथा खतरनाक संक्रियाओं के लिए कोई अन्य अपेक्षा ।

स्थल मूल्यांकन समिति का गठन ।

78. (1) समुचित सरकार, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक या अधिक स्थल मूल्यांकन समितियों का ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किया जाए, गठन कर सकेगी, जिसके अंतर्गत किसी कारखाने की आरंभिक अवस्थिति, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया या ऐसे कारखाने के विस्तार के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए किसी आवेदन पर विचार और सिफारिश करना सम्मिलित है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थल मूल्यांकन समिति उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए आवेदन प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, सिफारिश करेगी ।

अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण ।

79. (1) ऐसे प्रत्येक कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट सहित खतरों से संबंधित सभी जानकारी और विनिर्माण, परिवहन, भंडारकरण और अन्य प्रक्रियाओं में ही सामग्रियों या पदार्थों को खुला छोड़ने या उनकी उठाई-धराई से उद्भूत ऐसे परिसंकटों पर काबू पाने के उपाय विहित रीति से कारखाने में नियोजित कर्मकारों, मुख्य सुकरकर्ता, उस स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना स्थित है और आस-पास के जनसाधारण को प्रकट करेगा ।

(2) अधिष्ठाता, उस कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, रजिस्ट्रीकरण करने के समय उसमें नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बाबत एक विस्तृत नीति अधिकथित करेगा और ऐसी नीति के बारे में मुख्य सुकरकर्ता तथा स्थानीय प्राधिकारी को संसूचित करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे अन्तरालों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, उक्त रीति में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में मुख्य सुकरकर्ता और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई जानकारी में अपशिष्टों की मात्रा, विशिष्टियां और अन्य लक्षण तथा उनके व्ययन की रीति के बारे में ठीक-ठीक जानकारी सम्मिलित होगी ।

(4) प्रत्येक अधिष्ठाता, मुख्य सुकरकर्ता के अनुमोदन से, स्थल संबंधी आपात योजना तैयार करेगा और अपने कारखाने के लिए विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय करेगा तथा किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उसमें नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधारण की जानकारी में लाएगा ।

(5) कारखाने का प्रत्येक अधिष्ठाता, यदि ऐसा कारखाना इस संहिता के प्रारम्भ पर, परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ है तो ऐसे प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर, मुख्य सुकरकर्ता को प्रक्रिया की प्रकृति और ब्यौरों के बारे में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सूचित करेगा ।

(6) जहां कारखाने का कोई अधिष्ठाता उपधारा (5) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे कारखाने को धारा 74 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, ऐसी किसी शास्ति के होते हुए भी, जो कारखाने के अधिष्ठाता पर इस संहिता के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी ।

(7) किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, मुख्य सुकरकर्ता के पूर्व अनुमोदन से, कारखाना परिसर के भीतर परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई, प्रयोग, परिवहन, भंडारकरण तथा कारखाना परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के व्ययन के लिए उपाय अधिकथित करेगा और उनका कर्मकारों तथा आस-पास रहने वाले जनसाधारण के बीच, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से प्रचार करेगा ।

अधिष्ठाता का परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व ।

80. किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता–

(क) कारखाने में ऐसे कर्मकारों के, यथास्थिति, सही और अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख या चिकित्सा संबंधी अभिलेख रखेगा जो किसी रासायनिक, विषैले या किन्हीं ऐसे अन्य हानिप्रद पदार्थों के प्रति उच्छन्न हैं जो विनिर्मित किए जाते हैं, भंडार में रखे जाते हैं, उठाए-धरे या परिवहन किए जाते हैं और ऐसे अभिलेख, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, कर्मकारों की पहुंच में होंगे ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिनके पास परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई संबंधी अर्हताएं और अनुभव हैं तथा जो कारखाने के भीतर ऐसे पदार्थों के उठाने-धरने का पर्यवेक्षण करने और काम के स्थान पर कर्मकारों का राज्य सरकार का विहित रीति से संरक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं :

परन्तु जहां इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति की अर्हताओं और अनुभव के बारे में कोई प्रश्न उठता है वहां मुख्य सुकरकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ग) प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सीय परीक्षा की–

(i) ऐसे कर्मकार को कोई ऐसा काम सौंपने के पहले जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई या काम अन्तर्वलित है, और

(ii) ऐसा काम करते रहने के दौरान और ऐसे काम के समाप्त होने के पश्चात्, ऐसे अंतरालों पर, जो बारह मास से अधिक न हो, ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए,

व्यवस्था करेगा ।

कतिपय स्थितियों में राष्ट्रीय बोर्ड का जांच करना ।

81. (1) केंद्रीय सरकार ऐसी असाधारण स्थिति की दशा में, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ कोई कारखाना अंतर्वलित है, राष्ट्रीय बोर्ड को कारखाने में नियोजित कर्मकारों या साधारण जनता के लिए, जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विहित उपायों या मानकों को अंगीकार करने में असफलता या उपेक्षा के कारणों को पता लगाने की दृष्टि से कारखाने में अपनाए जा रहे स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए और भविष्य में ऐसे कारखाने में या अन्यत्र ऐसी असाधारण स्थिति की पुनरावृत्ति को निवारित करने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड को जांच करने का निदेश दे सकेगी ।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होंगी ।

आपात स्थिति मानक ।

82. (1) जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी परिसंकटमय प्रक्रिया या परिसंकटमय प्रक्रियाओं के वर्ग के संबंध में कोई मानक विहित नहीं किए गए हैं या जहां इस प्रकार विहित मानक अपर्याप्त हैं वह महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थानों या परिसंकटमय प्रक्रियाओं में सुरक्षा मानकों

से संबंधित मामलों में प्राधिकृत संस्थानों को ऐसी परिसंकटमय प्रक्रियाओं की बाबत समुचित मानकों के आपात स्थिति में प्रवर्तन मानकों को अधिकथित करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकथित आपात स्थिति मानक जब तक उन्हें इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों में शामिल नहीं कर लिया जाता है प्रवर्तनीय होंगे और उनका वही प्रभाव होगा मानो उन्हें इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों में शामिल कर लिया गया था ।

रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रति उच्छन्नता की अनुज्ञेय सीमाएं ।

83. किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रसायन और विषैले पदार्थों के प्रति उच्छन्नता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उस गणना की होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

कर्मकारों का आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने का अधिकार ।

84. (1) जहां किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे किसी कारखाने में नियोजित कर्मकारों को युक्तियुक्त आशंका हो कि किसी दुर्घटना के कारण उनके जीवन या स्वास्थ्य को संभाव्यत: आसन्न खतरा है, वहां वे उसे अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जो कारखाने या संबंधित प्रक्रिया का भारसाधक है, जानकारी में सीधे या सुरक्षा समिति के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ला सकेंगे और साथ ही उसे निरीक्षक की जानकारी में भी ला सकेंगे ।

(2) ऐसे अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या कारखाने या प्रक्रिया के भारसाधक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरंत उपचारी कार्रवाई करे, यदि उसका ऐसे आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में समाधान हो जाता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल निकटतम सुकरकर्ता को भेजें ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या भारसाधक व्यक्ति का कर्मकारों द्वारा आशंकित रूप में किसी आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में समाधान नहीं होता है तो भी वह इस मामले को निकटतम सुकरकर्ता को तत्काल निर्देशित करेगा जिसका ऐसे आसन्न खतरे की विद्यमानता के बारे में विनिश्चय अंतिम होगा ।

कारखाने की दशा में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के आदेश के विरुद्ध अपील ।

85. समुचित सरकार, उस रीति और समुचित प्राधिकारी, जिसे कारखाने का प्रबंधक या अधिभोगी, निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा और ऐसी अपीलों के निपटान के लिए प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए उपबंध विहित कर सकेगी ।

छूट देने वाले नियम और आदेश देने की शक्ति ।

86. (1) समुचित सरकार, व्यक्तियों को, जो पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण कर रहे हैं या किसी कारखाने में गोपनीय पद पर नियोजित है, को परिभाषित करने के लिए उपबंध विहित कर सकेगी या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता को इस प्रकार परिभाषित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति, जो पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण कर रहा है या किसी कारखाने में गोपनीय स्थिति में नियोजित है, यदि मुख्य निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसा पद धारण कर रहा है या इस प्रकार नियोजित है, घोषित कर सकेगी और इस संहिता के उपबंध इस प्रकार परिभाषित या घोषित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

(2) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी स्थापना में किसी कर्मकार या

कर्मकारों के वर्ग के संबंध में छूट, छूट का परिमाण और वह शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए छूट दी जा सकेगी, की बाबत नियम बना सकेगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने के लिए समुचित सरकार किसी स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग के लिए निम्नलिखित के संबंध में समयोपरि घंटें विहित करेगी, अर्थात् :--

(i) किसी दिन कार्य के कुल घंटें ;

(ii) किसी एक दिन विस्तार ;

(iii) किसी एक सप्ताह कार्य के कुल घंटें ;

(iv) किसी एक तिमाही में कुल समयोपरि घंटें ; और

(v) या कोई अन्य संबंधित परिप्रेक्ष्य ।

(4) समुचित सरकार या मुख्य निरीक्षक-सह-मुख्य सुकरकर्ता लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों पर, जो वह समीचीन समझे, किसी स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग में किसी या सभी वयस्क कर्मकारों को छूट दे सकेगा और इस प्रकार अनुदत्त छूट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं, होगी ।

स्पष्टीकरण–"तिमाही" से 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्तूबर को आरंभ होने वाली तीन मास की सतत अवधि अभिप्रेत है ।

अध्याय 12

अपराध और शास्तियां

अपराधों के लिए साधारण शास्ति ।

87. इस संहिता में अन्यथा अभिव्यक्त उपबंधित के सिवाय यदि किसी स्थापना में या उसके संबंध में इस संहिता या नियमों या विनियमों या उपविधियों या तदधीन बनाए गए किन्हीं मानकों के उपबंधों या इस संहिता या ऐसे विनियमों या नियमों या उपविधियों या मानकों के अधीन दिए गए किसी लिखित आदेश का उल्लंघन होता है, स्थापना का नियोजक शास्ति का, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो तीन लाख रुपए तक हो सकेगी और यदि दोषसिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहता है तो और जुर्माने से, जो इस प्रकार उल्लंघन जारी रहने तक प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

मुख्य निरीक्षक-सह- सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक आदि को बाधा कारित करने के लिए दंड ।

88. (1) जो कोई जानबूझकर इस संहिता या नियमों, विनियमों या तद्धीन बनाए गए उपविधियों के अधीन—

(i) मुख्य सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या समुचित सरकार के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को, जो इस संहिता या नियमों या विनियमों या तद्धीन बनाए गए उपविधियों के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है, के ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन या ऐसी शक्तियों के प्रयोग में बाधा पहुंचाता है या उसको निवारित करता है ; या

(ii) मुख्य सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी विशेषज्ञ को ऐसे स्थान में प्रवेश देने से इंकार करता है जहां ऐसा मुख्य सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी या विशेषज्ञ प्रवेश करने का

हकदार है ; या

(iii) किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने में असफल रहता है या इंकार करता है जिसे पेश करने की उससे अध्यपेक्षा है ; या

(iv) उसे जारी किसी अध्यपेक्षा या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है उन्हीं उपबंधों के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा, परंतु जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

रजिस्टर अभिलेखों के अननुरक्षण विवरणियों आदि को फाइल नहीं करने, के लिए शास्ति ।

89. (1) कोई व्यक्ति जिससे, इस संहिता या नियमों या विनियमों या उपविधियों या तद्धीन किए गए आदेशों के अधीन अध्यपेक्षा है कि,—

(i) वह किसी रजिस्टर या अन्य किसी दस्तावेज का अनुरक्षण करे या विवरणियों को फाइल करे, ऐसे रजिस्टर या दस्तावेज का अनुरक्षण करने में या ऐसी विवरणियों को फाइल करने में असफल रहता है या लोप करता है ; या

(ii) किसी रजिस्टर या रेखांक या अभिलेख या रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज को पेश करे, ऐसा रजिस्टर या रेखांक या अभिलेख या रिपोर्ट या ऐसे अन्य दस्तावेज को पेश करने में असफल रहता है या लोप करता है,

तब वह, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रूपए से कम की नहीं होगी परंतु जो एक लाख रूपए तक की हो सकेगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है, उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तब वह शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रूपए से कम की नहीं होगी परंतु जो दो लाख रूपए तक की हो सकेगी ।

कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड ।

90. (1) कोई व्यक्ति जो उसके सिवाय, जैसा कि इस संहिता के अधीन अनुज्ञात है,—

(i) इस संहिता के किसी उपबंध या किसी नियम, विनियम या उपविधियों का ; या

(ii) किसी आदेश का जो स्त्रियों, श्रव्य-दृश्य कर्मकारों और ठेका-श्रमिक और खानों की दशा में अठारह वर्ष की आयु से कम के कर्मचारी सहित कर्मकारों के किसी नियोजन को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करता है, का उल्लंघन करता है,

तो, वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रूपए से कम की नहीं होगी परंतु जो एक लाख रूपए तक की हो सकेगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है, उसी उपबंधों के अधीन किसी अपराध का पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है तब वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी

या जुर्माने से जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

अभिलेखों के मिथ्याकरण, आदि के लिए दंड ।

91. (1) जो कोई—

(क) इस संहिता या किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों या तद्धीन किए गए आदेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन से संबंधित किसी दस्तावेज के संबंध में मिथ्या अभिलेख पेश करता है या कूटकरण करता है या जानते हुए मिथ्या कथन, घोषणा या साक्ष्य बनाता है, या पेश करता है या प्रयोग करता है ; या

(ख) किसी ऐसे रेखांक, खंड–चित्र का मिथ्याकरण करता है जिसका रखा जाना इस संहिता के द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित हो या, उसे मिथ्या जानते हुए किसी प्राधिकारी के समक्ष पेश करता है ; या

(ग) कोई मिथ्या रेखांक, खंड-चित्र, विवरणी, सूचना, अभिलेख या रिपोर्ट बनाएगा, देगा या परिदत्त करेगा, जिसमें ऐसा कथन, प्रविष्टि या ब्यौरा अंतर्विष्ट हो,

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है उसी उपबंध के अधीन पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है तब वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा परंतु जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा

योजनाएं आदि प्रस्तुत करने का लोप के लिए शास्ति ।

92. कोई व्यक्ति जो, इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा या उसके अधीन बनाए जाने या दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई रेखांक, खंड-चित्र, विवरणी, सूचना, रजिस्टर, अभिलेख या रिपोर्ट विहित प्ररूप में या विहित रीति से या विहित समय विहित समय पर या के भीतर बनाने या देने का लोप, बिना युक्तियुक्त कारण के, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा, करेगा, वह शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रूपए से कम की नहीं होगी, परंतु जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा ।

रेखांक, आदि देने में लोप के लिए शास्ति ।

93. (1) जो कोई मुख्य सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक या धारा 116 या धारा 39 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति होते हुए उस धारा के उपबंधों के विरुद्ध समुचित सरकार की सहमति के बिना जो उस धारा में निर्दिष्ट है किसी ऐसी जानकारी को प्रकट करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रूपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध के विचारण के लिए अग्रसर नहीं होगा ।

जानकारी के प्रकटीकरण के लिए दंड ।

94. जो कोई, जहां तक इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, के सिवाय, इस संहिता के अधीन किसी प्रक्रिया में प्रयुक्त या प्रयुक्त होने के लिए आशयित किसी पदार्थ के नमूने के विश्लेषण के परिणाम को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करता है या प्रकाशित करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

सदोष ढंग से विश्लेषण के परिणाम को प्रकट करने के लिए शास्ति ।

95. (1) जो कोई धारा 6 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 13 के खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके किन्हीं कर्तव्यों को, जहां तक ऐसा कर्तव्य परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित है या धारा 80 के अधीन,

विनिर्दिष्ट किन्हीं कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसे उल्लंघन या ऐसी असफलता के संबंध में कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, और असफलता या उल्लंघन के जारी रहने की दशा में प्रथम ऐसी असफलता या उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् उस दौरान हर एक दिन के लिए जिसको ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माना जो पच्चीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख से एक वर्ष की कालावधि से आगे जारी रहती है तो, अपराधी कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित कर्तव्यों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

96. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस संहिता या नियमों या विनियमों या उपविधियों या तद्धीन किए गए आदेशों के अधीन किन्हीं कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है और ऐसे अननुपालन या उल्लंघन का परिणाम ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना है, जिससे,—

(क) मृत्यु कारित हो तो, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच लाख रूपए से कम का नहीं होगा या, दोनों से दंडनीय होगा ; या

(ख) स्थापन के भीतर किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति कारित हो तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो लाख रूपए से कम का नहीं होगा परंतु चार लाख रूपए से अधिक का नहीं होगा, या दोनों से दंडनीय होगा :

परंतु इस धारा के अधीन जुर्माना आरोपित करते समय न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि जुर्माने का कोई भाग जो उसके पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा, पीड़ित व्यक्ति को या उसकी मृत्यु की दशा में पीड़ित के विधिक प्रतिनिधि को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा ।

(2) जहां कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, उसके अधीन पुन: दोषसिद्ध किया जाए तो, वह पहली दोषसिद्धि के लिए इस उपधारा में दिए गए दंड के दुगुने दंड से दंडनीय होगा ।

सुरक्षा प्रावधानों संबंधी कर्तव्यों के उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना होती है, के लिए शास्ति ।

97. जो कोई, धारा 38 के उपबंधों के अधीन जारी किसी साधारण या विशेष आदेशों के उल्लंघन में कार्य करना चालू रखता है, वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा :

परंतु यह कि ऐसे जुर्माने को आरोपित करने के लिए कारणों को निर्णय में लेखबद्ध किए बिना न्यायालय इस धारा के अधीन ऐसा जुर्माना आरोपित नहीं करेगा जो दो लाख रूपए से कम का होगा ।

खान का प्रबंधक नियुक्त करने में असफलता ।

98. जो कोई, धारा 64 के उपबंधों के उल्लंघन में प्रबंधक नियुक्त करने में असफल रहता है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या

जुर्माने से जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

कर्मचारियों द्वारा अपराध ।

99. (1) धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसके खंड (घ) के सिवाय, यदि कार्यस्थल में नियोजित कोई कर्मचारी इस संहिता या किन्हीं नियमों या तद्धीन किए गए आदेशों के उपबंधों का जो कर्मचारियों पर कोई दायित्व या कर्तव्य आरोपित करता है, उल्लंघन करता है तो जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) जहां कोई कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो स्थापन के नियोजक को उस उल्लंघन के संबंध में अपराध का दोषी नहीं समझा जाएगा जब तक यह साबित नहीं हो जाए कि इसके निवारण के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करने में वह असफल रहा है ।

खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक का अभियोजन ।

100. इस संहिता के अधीन के किसी अपराध के लिए किसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के विरुद्ध कोई भी अभियोजन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की या जिला मजिस्ट्रेट की या मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निरीक्षक-सह-सुकारक की प्रेरणा पर संस्थित किए जाने के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा :

परंतु मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रकार प्राधिकृत निरीक्षक-सह-सुकारक ऐसा अभियोजन संस्थित करने के पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने में सभी तत्परता बरतने में असफल रहा था :

परंतु यह और कि किसी खान में तकनीकी निर्देशन और प्रबंधन के अनुक्रम में किए गए किसी अपराध के बारे में जिला मजिस्ट्रेट खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के विरुद्ध कोई अभियोजन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय संस्थित नहीं करेगा ।

खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना के अधिष्ठाता को दायित्व से कतिपय दशाओं में छूट ।

101. जहां खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना का नियोजक या अधिष्ठाता जो इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध से आरोपित है, वह अपने द्वारा किए गए परिवाद पर और अभियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की तीन दिन से अन्यून पूर्ण दिन की लिखित सूचना देने पर इस बात का हकदार होगा कि वह अन्य व्यक्ति जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है उस समय पर जो आरोप की सुनवाई के लिए नियत हो न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और यदि अपराध का किया जाना साबित हो जाने के पश्चात् यथास्थिति, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना का अधिष्ठाता या प्रबंधक न्यायालय के समाधानप्रद रूप में में साबित कर दे कि,—

(क) इस संहिता के क्रियान्वयन को प्रवृत्त करने के लिए उसने सम्यक् तत्परता बरती है, और

(ख) उक्त अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत अपराध को उसके ज्ञान, सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है,

तो अन्य व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा और उसी प्रकार के दंड का दायी होगा, मानों वह यथास्थिति, खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाने के प्रबंधक या अधिष्ठाता हो और किसी खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना का प्रबंधक या अधिष्ठाता इस संहिता के अधीन उस अपराध के

संबंध में किसी दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा :

परंतु यह कि यथापूर्वोक्त साबित करने में यथास्थिति, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक की शपथ पर परीक्षा हो सकेगी और उसका साक्ष्य और किसी अन्य साक्षी का, जिसे वह अपने समर्थन में बुलाए उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है, और अभियोजक द्वारा प्रति-परीक्षा के अध्यधीन होगा :

परंतु यह और कि यदि वह व्यक्ति जो वास्तविक अपराधी के रूप में यथास्थिति खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाने के प्रबंधक या अधिष्ठाता द्वारा आरोपित है उस समय पर जो आरोप की सुनवाई के लिए नियत हो न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सके तो न्यायालय उसकी सुनवाई समय-समय पर तीन मास से अनधिक के लिए स्थगित होगा और यदि उक्त कालावधि के अंत तक भी वह व्यक्ति जो वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित है न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सके तो न्यायालय, यथास्थिति, खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना के प्रबंधक या अधिष्ठाता के विरुद्ध आरोप की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और यदि अपराध साबित हो जाए तो उसे दोषसिद्ध करेगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध, आदि ।

102. (1) जहां कि इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है, हर एक व्यक्ति जो उस समय जब वह अपराध कारित किया गया था, उसका प्रभारी था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और कंपनी को भी, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए दायी होगा और तद्नुसार दंडित होगा :

परंतु यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को किसी दंड के लिए दायी नहीं करेगी यदि वह साबित कर देता है कि , अपराध उसके ज्ञान के बिना कारित किया गया है या उसने ऐसे अपराध के घटित होने को निवारित करने की पूरी सम्यक् तत्परता बरती है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कि इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण घटित हुआ है तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही का दायी होगा और तद्नुसार दंडित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी सम्मिलित है; और

(ख) "निदेशक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) किसी फर्म के संबंध में उसके भागीदार; या

(ii) फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम या कंपनी होते हुए किसी खान का स्वामी; या

(iii) उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट से भिन्न व्यष्टियों के अन्य संगम की

दशा में, इसका कोई सदस्य ।

अभियोजन की परिसीमा और अपराध का संज्ञान ।

103. (1) कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके संबंध में परिवाद उस तारीख से जिसको कि अभिकथित अपराध कारित करना सुकारक के ज्ञान में आया है, छह मास के अंदर न किया गया हो और इस संबंध में उसके द्वारा परिवाद फाइल न कर दिया गया हो ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) चालू रहने वाले अपराध के मामले में, परिसीमा अवधि उस समय के प्रत्येक बिन्दु जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, के प्रतिनिर्देश से संगणित की जाएगी ;

(ख) जहां किसी कार्य के निष्पादन के लिए, स्थापन के नियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर समय मंजूर किया जाता है या विस्तार किया जाता है, वहां परिसीमा की अवधि, उस तारीख से जिसको इस प्रकार मंजूर या विस्तार किया गया समय समाप्त हो जाता है, संगणित की जाएगी ।

समुचित सरकार के अधिकारियों की कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

104. (1) धारा 103 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 87, धारा 89, धारा 90, धारा 92, धारा 99 और धारा 107 की उप-धारा (3) के शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, यथास्थिति, भारत सरकार के अवर सचिव या राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के अधिकारी को, ऐसी रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) जांच करते समय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसा साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने, जो ऐसे अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हों के मामलें के तथ्यों और परिस्थितयों से परिचित है, को समन करने और उसे हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उपबधों के अधीन कोई अपराध कारित किया है, तो वह ऐसी शास्ति जिसे वह ऐसे उपबधों के अनुसार उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा ।

अपराध के लिए कार्यवाहियों, आदि की ग्रहण करने न्यायालय की अधिकारिता ।

105. इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी न्यायालय पर अधिकारिता प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए, वह स्थान जहां पर स्थापन तत्समय स्थित है, ऐसा स्थान समझा जाएगा जहां ऐसा अपराध किया गया है ।

न्यायालय की आदेश करने की शक्ति ।

106. (1) जहां खान या कारखाने या डॉक का कोई नियोजक, इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया है, वहां न्यायालय आदेश द्वारा लिखित में उस पर कोई दंड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, उससे ऐसे उपाय करने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे उपाय करे जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर समय-समय पर न्यायालय द्वारा विस्तारित की जा सकेगी, जो ऐसे विषयों का उपचार करने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया है वहां खान या कारखानें का

नियोजक अवधि या विस्तारित अवधि, यदि कोई हो के दौरान अपराध के जारी रहने की बाबत इस संहिता के अधीन दायी नहीं होगा किन्तु ऐसी अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, न्यायालय का आदेश का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया गया है, वहां नियोजक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कोई अतिरिक्त अपराध किया है और ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो ऐसी समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसको आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, एक सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

अपराधों का शमन ।

107. (1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन दंडनीय अपराध, जो केवल कारावास या कारावास से या जुर्माने से भी दण्डनीय अपराध नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर या तो धारा 104 के अधीन जांच कराए जाने से पूर्व या उसके पश्चात्, ऐसी रीति में जो ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा, जो इस निमित्त उक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि के लिए शमनीय हो सकेगा : 1974 का 2

परन्तु इस धारा के अधीन अपराध के शमन पर उस अभियुक्त व्यक्ति की दोषमुक्ति का प्रभाव होगा जिसके साथ अपराध का शमन किया गया है :

परन्तु यह और कि जहां कि किसी अपराध का शमन किसी धारा 104 के अधीन जांच के प्रारंभ के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसे शमन को धारा 104 में निर्दिष्ट अधिकारियों, जिनके समक्ष जांच लंबित है, के ध्यान में लिखित रूप में अधिकारी द्वारा लाया जाएगा । अपराध के शमन की ऐसी सूचना दिए जाने पर, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में की कोई बात ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर दूसरे या पश्चात्वर्ती समय के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को लागू नहीं होगी—

(क) जिसका पूर्व में शमन किया गया था ; या

(ख) जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का बीस प्रतिशत के समतुल्य राशि का संदाय करने का दायी होगा ।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

108. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किसी शक्ति का जो ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी ।

आयु के संबंध में दायित्व ।

109. (1) जब इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति की कतिपय आयु के मुद्दे को अन्तर्वलित करने वाला कोई अपराध किया जाता है और न्यायालय की राय में

प्रथम दृष्ट्या ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम है, यह साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति पर होगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम का नहीं है ।

(2) विहित चिकित्सा प्राधिकारी, इस संहिता के प्रयोजन के लिए आयु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी कर्मकार की परीक्षा करते समय, कर्मकार के आधार कार्ड पर विचार करेगा और उसके अभाव में, विद्यालय से जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र या कर्मकार के संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और इसके अभाव में किसी निगम या किसी नगरपालिका प्राधिकारी या किसी पंचायत द्वारा दिए गए कर्मकार का जन्म प्रमाणपत्र और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट पद्धतियों में से किसी पद्धति के अभाव में ही अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु का अवधारण किया जाएगा ।

उन सीमाओं, आदि को साबित करने का दायित्व जो व्यवहार्य है ।

110. इस संहिता के या तद्धीन बनाए गए विनियमों या उपविधियों या नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए, किसी अपराध, जिसमें कर्तव्य का अनुपालन करने में असफलता या कोई कार्य करने की अपेक्षा भी सम्मिलित है, के संबंध में किसी कार्यवाही में यह उस व्यक्ति के लिए होगा जिसके बारे में ऐसे कर्तव्य का अनुपालन या यह साबित करने की अपेक्षा में असफल होने का अभिकथन किया गया है कि यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं था या सभी व्यवहार्य उपाय कर्तव्य या अपेक्षा को पूरा करने के लिए किए गए थे ।

ठेकेदार, कारखानों तथा औद्योगिक परिसरों तथा व्यक्तियों के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति ।

111. (1) इस संहिता के अधीन संविदा कर्मकार को विनियोजित करने और बीड़ी और सिगार कार्य के लिए औद्योगिक परिसरों के लिए किसी कारखाने के संबंध में सामान्य अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को आवेदन करेगा जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पदाभिहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी रीति में फाइल किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, पदाभिहित प्राधिकारी तीस दिन की अवधि के भीतर उसकी रिपोर्ट के लिए, संबंधित अनुज्ञापन अधिकारियों को निर्दिष्ट करेगा और उसको तदनुसार क्षेत्र से संबंधित इस संहिता के उपबंध लागू होंगे ।

(4) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी कारखाने के संबंध में ठेका कर्मकार को विनियोजित करने के लिए और बीड़ी तथा सिगार के लिए आद्योगिक परिसरों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सहमत हो जाता है, वहां पदाभिहित प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अनुज्ञप्ति जारी करेगा :

परन्तु जहां उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है, वहां इसके बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी को, इसके प्रदान करने के प्रति आक्षेप नहीं है :

परन्तु यह और कि जहां अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने का विरोध करता है, वहां आवेदक को उसके आवेदन में शेष विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकेगी ।

(5) जहां सभी अनुज्ञापन अधिकारियों उनमें से एक अधिकारी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने का विरोध करता है वहां सामान्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के बारे में

यह समझा जाएगा कि वह नामंजूर कर दिया गया है और आवेदक इस संहिता के उपबंधों के अधीन संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे प्रक्रम में प्राधिकारी को अपील ऐसी फीस के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, फाइल कर सकेगा । और

(7) इस धारा से संबंधित नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएंगे ।

इस संहिता से असंगत विधि और करारों का प्रभाव ।

112. (1) इस संहिता के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अधिनिर्णय, करार या सेवा की संविदा चाहे वह इस संहिता के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् की गई हो, के निबंधनों में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां किसी ऐसे अधिनिर्णय करार या सेवा की संविदा के अधीन, कोई कर्मचारी किन्हीं ऐसे विषयों के संबंध में ऐसे फायदों के लिए हकदार है जो उसके लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जिनके लिए वह इस संहिता के अधीन हकदार होगा, वहां कर्मचारी इस बात के होते हुए भी कि वह इस संहिता के अधीन अन्य विषयों के संबंध में फायदे प्राप्त करता है, पहले वाले फायदों को प्राप्त करता रहेगा ।

(2) इस संहिता में की गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी कर्मचारी को किसी ऐसे विषय के संबंध में उसको ऐसे अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए नियोजक के साथ कोई करार करने से प्रवारित नहीं करती है जो उसके लिए उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जिनके लिए वह इस संहिता के अधीन हकदार होगा ।

कतिपय मामलों में सीधी जांच करने के लिए समुचित सरकार की शक्तियां ।

113. (1) समुचित सरकार, किसी ऐसे स्थापन में दुर्घटना होने की दशा में, जिसने कार्यस्थल के भीतर और इसके आस पास कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को गंभीर खतरा उत्पन्न किया है या गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी या वह चाहे तुरन्त या विलंबित हो या किसी व्यवसायिक बीमारी जिसे तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो महामारी अनुपात में होती रही है या जिसके होने की संभावना है, दुर्घटना या बीमारी के कारणों की जांच करने के लिए ऐसी जांच में कार्य करने के विधिक या विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को निर्धारक या सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकेगी, ऐसी दुर्घटना या बीमारी को रोकने के लिए भविष्य के लिए उत्तरदायित्वों को नियत कर सकेगी और कार्य योजना का सुझाव दे सकेगी तथा समुचित सरकार को रिपोर्ट कर सकेगी ।

(2) समुचित सरकार मुख्य सुविधादाता को या संबंधित सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य अधिकारी को निदेश दे सकेगी या सर्वेक्षण करने के लिए समिति ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा किसी कार्यस्थल पर कार्य में सुरक्षा या स्वास्थ्य या कार्यस्थलों के वर्ग या कार्यस्थल के भीतर या उसके आस पास कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों स्वास्थ्य के संबंधी कार्य क्रियाकलाप के प्रभाव से संबंधित स्थिति पर सर्वेक्षण कराने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(3) जांच कराने के उपधारा (2) के अधीन निदेशित अधिकारी या नियुक्त समिति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों तथा तात्विक वस्तुओं की प्रस्तुति को अनिवार्य बनाने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी और जांच के प्रयोजनों के लिए जहां तक भी आवश्यक हो सके, इस संहिता के अधीन सुकारक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर

1908 का 5

सकेगा या सकेगी, जो आवश्यक हों ।

(4) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन जांचों की प्रक्रिया और अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

रिपोर्टों का प्रकाशन ।

114. समुचित सरकार, यदि वह ठीक समझती है राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा उसको प्रस्तुत कोई रिपोर्ट या इस संहिता के अधीन उसको प्रस्तुत किसी रिपोर्ट को प्रकाशित करवा सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

115. केन्द्रीय सरकार इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दे सकेगी ।

सूचना के प्रकटन पर साधारण निर्बंधन ।

116. (1) स्थापन के संबंध में कोई व्यक्ति, किसी विनिर्माण या वाणिज्यिक कारबार या ऐसी किसी कार्यक्रम प्रक्रिया से संबंधित कोई ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करेगा जो उसके शासकीय कर्तव्यों के दौरान उसकी जानकारी में आए ।

(2) उपधारा (1) में की कोई बात इस संहिता के अधीन अधिकरण के समक्ष सुसंगत कानूनी उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में कारबार या प्रसंस्करण के या किन्हीं विधिक कार्यवाहियों (जिसके अन्तर्गत न्यायनिर्णयन या माध्यस्थम् भी है) के प्रयोजनों के लिए स्वामी की लिखित पूर्व सहमति से की गई ऐसी जानकारी के प्रकटन को लागू नहीं होगी जिसे, चाहे किन्हीं सुसंगत कानूनी उपबंधों या अन्यथा या किन्हीं ऐसी कार्रवाहियों की किसी रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए प्राप्त किया गया हो ।

विवर्जित सिविल न्यायालयों की अधिकारिता ।

117. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी जिसको इस संहिता का कोई उपबंध लागू होता है और ऐसी किसी बात के संबंध में किसी सिविल न्यायालय के द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा जिसे इस संहिता के अधीन किया गया है या किया जाना आशयित है ।

सद्भावपूर्व की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

118. (1) कोई वाद, कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी बात के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी जिसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियम या विनियम या उपविधि या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया है या की जानी आशयित है ।

(2) कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड या समितियों या ऐसे बोर्ड किसी के सदस्य या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या बोर्ड या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति के विरुद्ध ऐसी किसी बात द्वारा कारित नुकसान या होने वाले संभावित नुकसान के लिए, जिसे इस संहिता या तद्धीन बनाए गए या जारी किए गए नियम या विनियम या उपविधि या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया है या किया जाना आशयित है, नहीं होगा ।

विशेष मामलों में छूट प्रदान करने की शक्ति ।

119. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंर्धनों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, निदेश दे सकेगी कि इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के सभी उपबंध या उनमें से कोई उपबंध किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों के वर्ग को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।

लोक आपात के दौरान छूट प्रदान करने की शक्ति ।

120. लोक आपात के मामले में, समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी कार्यस्थल या कार्य गतिविधि या उसके वर्ग को इस संहिता के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, छूट

प्रदान कर सकेगी :

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना एक बार में तीन मास से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'लोक अपात' से ऐसा गंभीर आपात, जिसके द्वारा भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा चाहे, वह युद्ध से या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से संकटग्रस्त है, अभिप्रेत है ।

लोक संस्था को छूट प्रदान करने की शक्ति ।

121. समुचित सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह आवश्यक समझे, किसी ऐसी कार्यशाला या कार्यस्थल, जहां ऐसी विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है जो शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान या सूचना के प्रयोजनों के लिए बनाए रखी गई लोक संस्था से संबद्ध है, को इस संहिता की सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी :

परन्तु ऐसी कोई छूट कार्य के घंटों और छुट्टियों से संबंधित उपबंधों से तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक संस्थान के नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति समुचित सरकार के लिए अनुमोदन के लिए नियोजन घंटों के विनियमन, भोजन के लिए अंतरालों तथा संस्था में नियोजित या उसमें उपस्थित होने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो संस्था के लिए सहवासी है की छुट्टियों की एक स्कीम प्रस्तुत नहीं कर देते हैं और समुचित सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता है कि स्कीम के उपबंध इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों की अपेक्षा कम अनुकूल नहीं है ।

ऐसे व्यक्तियों का जिनसे नोटिस, आदि देने की अपेक्षा की जाती है ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर होना ।

122. इस संहिता के उपबंधों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति जिससे किसी प्राधिकारी को कोई नोटिस देने या कोई जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर होगा । 1860 का 45

केन्द्रीय सरकार की अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

123. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अनुसूची में, उसमें अभिवर्धन, परिवर्तन, या लोप के माध्यम से संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, तदनुसार अनुसूची संशोधित समझी जाएगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

124. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं है और जो उसे इस कठिनाई को दूर करने के आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको यह संहिता प्रवृत्त होती है, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के शीघ्र पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

125. (1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ब) के स्पष्टीकरण के अधीन स्त्रोतों से आय ;

(ख) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (य) के अधीन पदार्थ को खतरनाक पदार्थ के रूप में विहित करना ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विलम्ब शुल्क ;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की रीति और ऐसे आवेदन का प्ररूप तथा उसमें अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां तथा उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस ;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजने का प्ररूप और रीति तथा वह प्राधिकारी जिसको नोटिस भेजा जाएगा तथा प्राधिकारी को सूचित करने की रीति ;

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन ऐसी आयु के या स्थापनों के ऐसे वर्ग, ऐसे कर्मचारियों की निशुल्क: जांच कराना ;

(छ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति पत्र में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी ;

(ज) शारीरिक चोट की प्रकृति और नोटिस का प्ररूप तथा समय जिसके भीतर धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा जाएगा ;

(झ) खतरनाक घटना की प्रकृति और सूचना का प्ररूप, समय जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसको धारा 11 के अधीन सूचना दी जाएगी;

(ञ) कतिपय रोगों से संबंधित सूचना का प्ररूप और समय जिसके भीतर धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी को सूचना भेजी जाएगी;

(ट) रिपोर्ट का प्ररूप और रीति और समय जिसके भीतर धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य सह सुकारक के कार्यालय को ऐसी रिपोर्ट भेजी जाएगी;

(ठ) धारा 13 के खंड (छ) के अधीन कर्मचारियों के ऐसे अन्य कर्तव्य;

(ड) सुरक्षा समिति के गठन की रीति और धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति में नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधि को चुनने के लिए प्रयोजन और रीति;

(ढ) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षा अधिकारियों की अर्हताएं, कर्तव्य और संख्या;

(ण) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन साप्ताहिक और प्रतिकरात्मक अवकाश से कर्मकारों को छूट देने के लिए शर्तें;

(त) धारा 30 के अधीन कारखाना और खान में दोहरे नियोजन पर निर्बंधन से छूट देने के लिए परिस्थितियां ;

(थ) ऐसी सूचना के संप्रर्दशन की रीति और प्ररूप तथा रीति जिसमें ऐसी सूचना, धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजी गई है ;

(द) धारा 33 के खंड (क) के अधीन रजिस्टरों का प्ररूप और कर्मकारों की विशिष्टियां;

(ध) धारा 33 के खंड (ख) के अधीन सूचना को संप्रदर्शन करने की रीति और प्ररूप;

(न) धारा 33 के खंड (घ) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक को विवरणी फाइल करने की रीति;

(प) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन वेब आधारित निरीक्षण सहित निरीक्षण संचालित करने की रीति;

(फ) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की अर्हता और अनुभव;

(ब) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (x) के अधीन किसी परिसर मे पाये गए वस्तु या पदार्थ का नमूना लेने की रीति;

(भ) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (xiv) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक शक्तियां और कर्तव्य;

(म) धारा 37 के अधीन पैनलित किए जाने वाले विशेषज्ञों की अर्हताएं, अनुभव, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ;

(य) धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (अ) के उपखंड (घ) के अधीन वैकल्पिक नियोजन उपलब्ध किए जाने की रीति ;

(यक) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति और अन्य स्थापन के लिए अर्हता ;

(यख) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अन्य स्थापन और खतरनाक उपजीविका या प्रकियाएं ;

(यग) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन रूग्णता के संबंध में चिकित्सीय पर्यवेक्षण और कोई अन्य स्थापन;

(यघ) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियोजन और किसी अन्य स्थापन के लिए कुमार की उसकी योग्यता के लिए परीक्षा और प्रमाणन;

(यङ) धारा 43 के अधीन नियोजक द्वारा संप्रेक्षित की जाने वाली कोई अन्य शर्त;

(यच) धारा 47 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन ठेका श्रमिक के संबंध में काम के घंटो के बारे मे शर्तें, मजदूरी का नियत करना और अन्य आवश्यक सुख-सुविधाएं;

(यछ) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विशिष्टियां;

(यज) धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया ;

(यझ) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने की रीति और अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने की रीति;

(यञ) धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन प्रदाय या ठेका श्रमिक को रखने के लिए कार्य आदेश से संबंधित जानकारी;

(यट) धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन ठेका श्रमिक के लिए अनुज्ञप्ति को ऐसी रीति में निलम्बित या रद्द करना;

(यठ) वह कालावधि, जिसके पूर्व धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन मजदूरी संदत्त की जाएगी;

(यड) धारा 55 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन मजदूरी के रूप में संदत्त रकम को प्रमाणित करने की रीति;

(यढ) धारा 56 के अधीन जारी होने वाले अनुभव प्रमाणपत्र का रूपविधान;

(यण) धारा 65 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कर्मचारियों की संख्या ;

(यत) धारा 65 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन खनिजों, विकृत्त खनिजों और विस्फोटकों से संबंधित शर्तें ;

(यथ) धारा 75 की उपधारा (1) के उपखंड (vi) के अधीन परिसर के स्वामी के दायित्व के लिए कोई अन्य सामान्य सुविधाएं;

(यद) धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन परिसंकटमय प्रक्रिया को अन्तर्वलित करने वाले कारखाने की स्थापना के लिए आवेदन का प्ररूप ;

(यध) धारा 85 के अधीन कारखाना के निरीक्षक-सह-सुकारक के आदेश के विरूद्ध अपील प्राधिकारी;

(यन) छूट के लिए, छूट का विस्तार और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए धारा 86 की उपधारा (2) के अधीन स्थापना या स्थापनाओं के वर्ग या किसी कर्मकार या कर्मकार के वर्ग के संबंध में ऐसी छूट है ;

(यप) धारा 86 की उपधारा (3) के अधीन अतिकालिक घंटों के संबंध में नियम;

(यफ) धारा 104 की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की रीति;

(यब) धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन अपराध के शमन करने की रीति;

(यभ) कोई अन्य विषय, जिसे इस संहिता के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित हो या विहित किया जा सके ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

126. (1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यण) के उपखंड (iii) के अधीन प्राधिकारी;

(ख) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यण) के उपखंड (iii) के परंतुक के अधीन डॉक के स्वामी की दशा में अधिष्ठाता को परिभाषित करना;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्ररूप, समय जिसके भीतर और शर्तें जिनके अध्यधीन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;

(घ) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अन्य विशिष्टियां और प्ररूप;

(ङ) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन स्थापन के बंद करने की सूचना और रजिस्ट्रीकृत अधिकारी को संदाय प्रमाणित करने की रीति;

(च) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड की प्रक्रिया और उसके अधिकारी और कर्मचारिवृंद;

(छ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों की संख्या, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन तकनीकी समितियों या सलाहकार समितियों के सदस्यों की संख्या और उनकी अर्हताएं;

(झ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य और काम करने की दशाएं;

(ञ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन कर्मकारों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं;

(ट) धारा 25 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (क) के अधीन कार्य दिवस के संबंध में "चालन काल" को परिभाषित करना;

(ठ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन कार्यरत पत्रकारों के लिए काम के घंटे;

(ड धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन छुट्टी के अन्य प्रकार;

(ढ) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन संचित छुट्टी की अधिकतम कालावधि;

(ण) वह सीमा, जिस तक अर्जित छुट्टी का एक बार में उपभोग किया जा सकेगा और कारण, जिसके लिए ऐसी छुट्टी धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन बढाई जा सकेगी;

(त) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (iv) के अधीन नकद प्रतिकर के हकदारी के लिए शर्तें और निर्बंधन;

(थ) धारा 36 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य;

(द) धारा 47 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित अर्हताएं या मानदंड;

(ध) धारा 47 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण की कालावधि;

(न) धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करना;

(प) धारा 63 की उपधारा (3) के अधीन निर्माता द्वारा दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम से संबंधित जिस प्राधिकारी को सूचना दिया जाना है;

(फ) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन एकमात्र प्रबंधक की अर्हताएं और विषय जिसकी व्यावृत्ति की जा सके;

(ब) धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन इस संहिता के उपबंधों को लागू होने के प्रयोजन के लिए खानों और उसके भाग की घोषणा ;

(भ) धारा 111 के अधीन सामान्य अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु ;

(म) धारा 128 के खंड (छ) के अधीन अर्हता;

(य) धारा 131 की उपधारा (7) के अधीन उपविधियों की भाषा;

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

127. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तो के अध्यधीन रहते हुए और अधिसूचना द्वारा कारखाने, संयंत्रों और राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य किन्हीं विषयों से संबंधित नियम को बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन, प्रक्रिया और उससे संबन्धित अन्य विषय;

(ख) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यों की संख्या और उनकी अर्हताएं;

(ग) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस का संदाय;

(घ) धारा 69 की उपधारा (3) के अधीन परिसर के स्थान का रेखांक तैयार करने की रीति;

(ङ) धारा 69 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन अन्य विषय;

(च) धारा 69 की उपधारा (6) के अधीन फीस;

(छ) धारा 70 के अधीन अपील फाइल करने का समय, फीस और अपील प्राधिकारी;

(ज) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा आवेदन का प्ररूप;

(झ) धारा 71 की उपधारा (2) के अधीन कार्य के अभिलेखों के अनुरक्षण का प्ररूप;

(ञ) धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन कारखानों का अनुज्ञापन, रीति और अनुमोदन के लिए नियम;

(ट) धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने का ढंग;

(ठ) धारा 74 के स्पष्टीकरण के अधीन किसी संयंत्र या मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए सीमा;

(ड) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन कारखाना के अधिष्ठाता द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण की रीति;

(ढ) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन कारखाने की परिसंकटमय प्रक्रिया से संबंधित नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करने का अंतराल;

(ण) धारा 79 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को सूचित करने का प्ररूप और रीति;

(त) धारा 79 की उपधारा (7) के अधीन कर्मकारों और परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित करने वाले कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधारण के बीच प्रचार करने की रीति;

(थ) कर्मकारों के स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी अभिलेखों का अनुरक्षण

और धारा 80 के खंड (क) के अधीन परिसंकटमय प्रक्रियाओं मे लगे हुए कर्मकारों द्वारा इसकी पहुंच के लिए शर्तें ;

(द) परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई करने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव और धारा 80 के खंड (ख) के अधीन कर्मकारों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की रीति;

(ध) धारा 80 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन कर्मकारों की चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था कराने की रीति;

(न) धारा 83 के अधीन किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा;

(प) ऐसे अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया जा सके ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के परामर्श से, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य या अन्य ऐसे विषयों में जो यह कारखानों के संबंध में आवश्यक समझे, संपूर्ण देश में एकरूपता लाने के प्रयोजनों से नियम बना सकेगी ।

खान और डॉक कर्म से संबंधित विनियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

128. केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या इनमें से किसी के लिए ऐसे विनियम जो इस संहिता से संगत हों, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) वे अर्हताएं विहित करना जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित हों ;

(ख) इस संहिता के अधीन खानों के निरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक और निरीक्षक-सह-सुकारक के कर्तव्यों और शक्तियों को विहित और विनियमित करना ;

(ग) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों के और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य विहित करना और खानों के अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं (जिसके अन्तर्गत आयु भी है) विहित करना;

(घ) खानों के प्रबन्धकों और उनके अधीन कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन दक्षतापूर्वक करने में समर्थ बनाने के लिए सुविधाएं उपबंधित किए जाने की अपेक्षा करना;

(ङ) खानों के प्रबन्धकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं परीक्षा द्वारा या अन्यथा अभिनिश्चित करने की रीति को और सक्षमता प्रमाणपत्रों को अनुदत्त और नवीकृत किए जाने को विनियमित करना ;

(च) ऐसी परीक्षाओं और ऐसे प्रमाणपत्रों के अनुदान तथा नवीकरण के बारे में दी जाने वाली फीसें, यदि कोई हों, नियत करना ;

(छ) उन परिस्थितियों को जिनमें, और उन शर्तों को जिसके अध्यधीन रहते हुए एक से अधिक खानों का एक ही प्रबन्धक के अधीन रहना या किसी खान या किन्हीं खानों का विहित अर्हताएं न रखने वाले प्रबन्धक के अधीन रहना विधिपूर्ण होगा, अवधारित करना ;

(ज) इस संहिता के अधीन की जाने वाली जांचों के लिए, जिनके अन्तर्गत इस संहिता के अधीन प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति के अवचार या अक्षमता से संबद्ध कोई जांच आती है, उपबंध करना और ऐसे किसी प्रमाणपत्र

के निलम्बन और रद्द किए जाने के लिए उपबंध करना और जहां भी आवश्यक हो वहां यह उपबंध करना कि जांच करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश कराने के
1908 का 5 प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की सिविल न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त होंगी ;

1884 का 4 (झ) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विस्फोटकों का भंडारकरण, प्रवहण और उपयोग विनियमित करना ;

(ञ) स्त्रियों का खानों में, या खानों के किसी वर्ग में या ऐसे विशिष्ट प्रकारों के श्रम में, जिनमें ऐसे व्यक्तियों की जीवन सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा रहता है, नियोजन प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित या विनियमित करना और ऐसे व्यक्ति द्वारा एक बार में वहन किए जा सकने वाले बोझ के भार को परिसीमित करना ;

(ट) खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, उनमें उनके प्रवेश करने और वहां से उनके निकलने के साधनों के लिए और उन कूपकों या निकासों की संख्या के लिए जो उपबंध किए जाने हैं और कूपकों, गर्तों, निकासों, पथ्याओं और अवतलनों पर बाड़ लगाई जाने के लिए उपबंध करना;

(ठ) खान के स्वामी से संदाय पाने वाले और खान के स्वामी या प्रबन्धक के प्रति सीधे उत्तरदायी व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति का खान में प्रबन्धक के रूप में या किसी अन्य विनिर्दिष्ट हैसियत में नियोजन प्रतिषिद्ध करना ;

(ड) स्तम्भों या खनिज खण्डों के स्थान निश्चित करने, बैठने, अनुरक्षण और निकाले या छांटे जाने तथा एक खान और दूसरी खान के बीच पर्याप्त रोधों के अनुरक्षण सहित, खानों में सड़कों और काम के स्थलों की सुरक्षा के लिए उपबंध करना ;

(ढ) खान में खनिजों और मुहबन्द अग्नि-क्षेत्रों का निरीक्षण और सागर के या किसी सरोवर या नदी या किसी अन्य भूपृष्ठीय जलराशि के, चाहे वह प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम, या किसी लोक सड़क या निर्माण के समीप खनिजों विषयक निर्बंधन और किन्हीं खनिजों में पानी भर जाने, या आग लग जाने या उनके समय-पूर्व ढह जाने के विरुद्ध सम्यक् पूर्वावधानी बरती जाने की अपेक्षा करना ;

(ण) खान के संवातन का और धूल, अग्नि और ज्वलनशील तथा अपायकर गैसों के विषय में की जाने वाली कार्रवाई का, जिसके अन्तर्गत स्वतःदहन भूमि के नीचे की अग्नि और कोयले की धूल के विरुद्ध पूर्वावधानी आती है, उपबंध करना ;

(त) खानों में विद्युत के जनन, भण्डारकरण, रूपान्तरण, पारेषण और
1910 का 9 उपयोग की, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विनियमित करना और खानों में के सब विद्युत उपकरणों, विद्युत तारों और उनमें की सब अन्य मशीनरी और संयंत्र की देखभाल और उपयोग के विनियमन के लिए उपबंध करना ;

(थ) खानों में मशीनरी का उपयोग विनियमित करना, ऐसी मशीनरी पर या उसके आसपास और कर्षण-मार्गों पर नियोजित व्यक्तियों के क्षेम के लिए उपबंध

करना और भूमि के नीचे कुछ वर्गों के चलित्रों का प्रयोग निर्बन्धित करना ;

(द) खानों में उचित प्रकाश के लिए उपबंध करना और उनमें निरापद और लैम्पों का प्रयोग विनियमित करना और जिस खान में निरापद लैम्प प्रयोग में लाए जाते हों उसमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेना ;

(ध) खानों में ज्वलनशील गैस या धूल के विस्फोटकों या ज्वलनों या पानी के फूट निकलने या संचित होने के विरुद्ध और उनसे उद्भूत खतरे के विरुद्ध उपबंध करना और ऐसी परिस्थितियों में खनिजों के निकाले जाने का प्रतिषेध, निर्बन्धन या विनियमन करना, जिनसे यह सम्भाव्यता हो कि उसके परिणामस्वरूप खानों में खनिज समय-पूर्व ढह जाएं या यह कि उसके परिणामस्वरूप खानों में खनिजों का ढह जाना या जल का फूट निकलना या ज्वलन घटित होगा या गुरुतर हो जाएगा ;

(न) धारा 10 के अधीन दुर्घटनाओं के प्रकार विनिर्दिष्ट करना और दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचनाओं का और खनिज उत्पाद, नियोजित व्यक्तियों तथा विनियमों द्वारा उपबन्धित अन्य बातों की सूचनाओं, रिपोर्टों और विवरणियों का खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों द्वारा दिया जाना विनिर्दिष्ट करना और ऐसी सूचनाओं, विवरणियों और रिपोर्टों के प्ररूप, वे व्यक्ति और प्राधिकारी, जिन्हें वे दी जानी हैं, वे विशिष्टियां जो उनमें अन्तर्विष्ट होनी हैं और वह समय, जिसके अन्दर वे निवेदित की जानी हैं, विहित करना;

(प) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों से खानों के लिए नियत सीमाएं रखने की अपेक्षा करना, उनसे संसक्त रेखांक और खंडचित्र तथा स्थलीय टिप्पण, जो उनके द्वारा रखे जाने हैं, विहित करना और वह रीति जिससे और वे स्थान जिनमें ऐसे रेखांक, खण्डचित्र और स्थलीय टिप्पण अभिलेख के प्रयोजन के लिए रखे जाने हैं, विहित करना और उनकी प्रतियों का मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को निवेदित किया जाना; और उनसे यह अपेक्षा करना कि वे नए सर्वेक्षण करें और नए रेखांक बनाएं, और अननुपालन की दशा में, किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सर्वेक्षण कराना और रेखांक तैयार कराना और उनके व्ययों की वसूली उसी रीति से करना, जिससे भू-राजस्व के बकाया की होती है ;

(फ) स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयोजन के लिए खान में या उसके आसपास दुर्घटनाओं या आकस्मिक विस्फोटों या ज्वलनों के घटित होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विनियमित करना ;

(ब) खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा धारा 5 के अधीन दी जाने वाली सूचना का प्ररूप और उसमें अन्तर्विष्ट होने वाली विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करना ;

(भ) वह सूचना विनिर्दिष्ट करना जो किसी ऐसे स्थान पर, जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी रेल के या, यथास्थिति, किन्हीं ऐसी लोक सड़कों या अन्य संकर्मों के, जो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित हों पैंतालीस मीटर के अन्दर का हो, खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने या उस तक विस्तारित करने के पूर्व खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा दी जानी हैं ; 1890 का 9

(म) किसी खान के बारे में, उस दशा में जबकि खनिजों में काम बन्द कर दिया गया हो, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का 9 1890 में यथापरिभाषित किसी रेल कम्पनी में निहित सम्पत्ति की क्षति से संरक्षा ;

(य) खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक से यह अपेक्षा करना कि खान के बन्द किए जाने के पूर्व संरक्षा-संकर्म सन्निर्मित करे और अननुपालन की दशा में, ऐसे संकर्म किसी अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित कराना, और ऐसे स्वामी से उनके व्ययों की वसूली उसी रीति से करना जिससे भू-राजस्व के बकाया की होती है ;

(यक) किसी खान या खान के भाग या किसी खदान, आनति, कूपक, गर्त या निकास में, चाहे उसका कार्यकरण हो रहा हो या नहीं, या किसी खतरनाक या प्रतिषिद्ध क्षेत्र, अवतलन, कर्षण, ट्राम लाइन या पथ्या पर, जहां जनता के संरक्षण के लिए बाड़ लगाना आवश्यक हो, बाड़ लगाई जाने की अपेक्षा करना ;

(यख) नियुक्त किए जाने वाले पदधारियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना;

(यग) नियुक्त किए जाने वाले पदधारियों की अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना;

(यघ) अभिकर्ताओं की अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करना;

(यङ) वह कालावधि विनिर्दिष्ट करना, जिसके दौरान अभिकर्ता भारत में निवासी रहेगा;

(यच) खानों में सुरक्षा के लिए प्रदायकर्ता, डिजाइनर, आयातक और ठेकेदार के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करना ;

(यछ) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों से उनकी खानों में सुरक्षा प्रबंध योजना को बनाने, अनुरक्षण और प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षा करना ;

(यज) खानों में प्रयुक्त किसी मशीनरी और संक्रिया के संबंध में अभ्यास-संहिता और मानक प्रचालन प्रक्रिया को बनाने और कार्यान्वित करने की खानों के प्रबन्धकों से अपेक्षा करना;

(यझ) विवृत्त खनिज में सुरक्षा उपलब्ध करवाना और उसमें प्रयुक्त मशीनरी और सहयुक्त संक्रिया;

(यञ) कार्यरत या परित्यक्त कोयला खानों या मूल कोयला संस्तर से मीथेन के निष्कर्षण को विनियमित करना;

(यट) विवरणी का प्ररूप विनिर्दिष्ट करना जिसे इस संहिता के अधीन स्थापन या स्थापन के वर्ग द्वारा फ़ाइल किया जाएगा; और

(यठ) तट, पोत, डॉक, संरचना और ऐसे अन्य स्थानों पर जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, कार्यकरण स्थलों की सुरक्षा के लिए सन्निर्माण, उपस्करण और अनुरक्षण से संबंधित साधारण अपेक्षा ;

(यड) डॉक, घाट,घट्टी या अन्य स्थानों पर, जिनका डॉक कर्मकारों को कार्य पर जाने के लिए उपयोग करना होता है, किन्हीं नियमित पहुंच मार्गों की सुरक्षा और ऐसे स्थानों तथा परियोजनाओं पर बाड़ लगाना है ;

(यढ) डॉक, पोत, किसी अन्य जलयान, डॉक संरचना या कार्यकरण स्थलों के सभी क्षेत्रों में, जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, और ऐसे स्थानों के, जहां

डॉक कर्मकारों के उनके नियोजन के दौरान जाने की अपेक्षा है, सभी पहुंच मार्गों में पर्याप्त रोशनी करना ;

(यण) ऐसे प्रत्येक भवन या पोत के किसी अहाते में, जहां डॉक कर्मकारों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त संवातन और उचित तापमान की व्यवस्था करना और उन्हें बनाए रखना ;

(यत) अग्नि और विस्फोट निवारण तथा संरक्षण ;

(यथ) पोतों, खावों, मंचों, उपस्कर, उत्थापक साधित्रों और अन्य कार्यकरण स्थलों तक पहुंच के सुरक्षित साधन ;

(यद) हेचों को खोलने और बंद करने में लगे कर्मकारों की सुरक्षा, डॉक के ऐसे मार्गों और अन्य मुखों का संरक्षण जो उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं ;

(यध) डॉक पर लदाई या उतराई संक्रियाओं के दौरान स्थोरा की टक्कर से फलक पर गिरने के जोखिम से कर्मकारों की सुरक्षा ;

(यन) उत्थापक और अन्य स्थोरा को उठाने-धरने के साधित्रों और सेवाओं के जैसे, भार को अंतर्विष्ट करने वाली या सहारा देने वाली पट्टिकाओं का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग और उन पर सुरक्षा साधित्रों की, यदि आवश्यक हो, व्यवस्था ;

(यप) एकीकृत स्थोरा को उठाने-धरने के लिए ढुलाई आधान टर्मिनलों या अन्य टर्मिनलों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा ;

(यफ) मशीनरी, सजीव विद्युत चालकों, वाष्प नलियों और परिसंकटमय मुखों पर बाड़ लगाना ;

(यब) मंच का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग की व्यवस्था ;

(यभ) रिगिंग और पोत के डेरिकों का उपयोग की व्यवस्था;

(यम) खुले गियरों की जिनके अंतर्गत जंजीर और रस्सियां हैं, तथा डॉक कार्य में उपयोग में लाई गई स्लिगों और अन्य उत्थापक युक्तियों की जांच, परीक्षा, निरीक्षण और उनके समुचित होने का प्रमाणन की व्यवस्था;

(यय) जब कर्मकार कोयला या अन्य खुला स्थोरा की उठाई-धराई करते समय खाव, बिन, हापर या वैसे ही स्थानों पर या खाव के डेकों के बीच नियोजित हैं, तब उनका निकल जाना सुकर बनाने के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(ययक) स्थोरा का चट्टा लगाने, चट्टा उठाने, उसे भरने और निकालने के कार्यकरण के या उसके संबंध में उठाई-धराई के खतरनाक तरीकों के निवारण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ययख) खतरनाक पदार्थों को उठाने-धरने और खतरनाक या हानिकर वातावरण में काम करने और ऐसी उठाई-धराई के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(ययग) सफाई, छीलन, रंगरोगन संक्रियाओं के संबंध में कार्य और ऐसे कार्यों के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(ययघ) स्थोरा की उठाई-धराई, साधित्रों,शक्ति प्रचालित हैच छादनों या अन्य शक्ति प्रचालित पोत उपस्कर, जैसे, किसी पोत के हल के दरवाजे, रैंप, रेक्ट्रेसेबल कार डेक या वैसे ही उपस्कर का प्रयोग करने के लिए या ऐसी

मशीनरी के चालकों को संकेत देने के लिए व्यक्तियों का नियोजन ;

(ययङ) डॉक कर्मकारों के परिवहन के लिए व्यवस्था करना ;

(ययच) कार्यकरण स्थल पर अत्यधिक ध्वनि, स्पन्दन और वायु-प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से डॉक कर्मकारों के संरक्षण के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(ययछ) संरक्षात्मक उपस्कर या संरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था ;

(ययज) सफाई, धुलाई और कल्याण सुविधाओं के लिए व्यवस्था ;

(ययझ) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना—

(i) चिकित्सा पर्यवेक्षण ;

(ii) एम्बुलेंस कक्ष, प्राथमिक उपचार और बचाव सुविधाएं तथा डॉक कर्मकारों को उपचार के निकटतम स्थान पर ले जाने का प्रबंध ;

(iii) सुरक्षा और स्वास्थ्य संगठन ; और

(iv) डॉक कर्मकारों का प्रशिक्षण और कार्यकरण स्थल पर डॉक कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उनकी बाध्यताएं, प्रसुविधाएं और अधिकार ;

(ययञ) उपजीविकाजन्य दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और रोगों का अन्वेषण, ऐसे रोगों और सूचनाओं के प्ररूपों, उन व्यक्तियों और अधिकारियों, जिन्हें वे दिए जाएंगे, उनमें दी जाने वाली विशिष्टियों तथा उस कालावधि को, जिसमें, उन्हें दिया जाना है, विनिर्दिष्ट करना ; और

(ययट) दुर्घटनाओं, हानि हुए श्रमिक दिनों, उठाए-धरे गए स्थोरा की मात्रा का विवरण और डॉक कर्मकारों की विशिष्टियां प्रस्तुत करना ; और

(ययठ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाए या किया जा सके।

नियमों आदि का पूर्व प्रकाशन ।

129. इस अधिनियम के अधीन नियम,विनियम और उपविधियाँ बनाने की शक्ति निम्नलिखित रीति से इसके बनाए जाने के पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन हैं, अर्थात् :—

(क) विनिर्दिष्ट की जाने वाली वह तारीख जिसके पश्चात् उन नियमों, विनियमों, मानक और उपविधियों के प्ररूप पर विचार किया जाएगा जो बनाए जाने के लिए प्रस्थापित हों, उस तारीख से पैंतालीस दिन से कम की नहीं होगी, जिसको प्रस्थापित नियमों, विनियमों, मानक और उपविधियों का प्रारूप सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा;

(ख) नियम, विनियम, मानक और उपविधियां राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशित किए जाने पर इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो वे इस संहिता में अधिनियमित किए गए हों ।

पूर्व प्रकाशन के बिना विनियम बनाने की शक्ति ।

130. यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि आशंकित खतरे का निवारण करने या खतरा पैदा करने की संभाव्यता रखने वाली स्थितियों का शीघ्र उपचार करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे विनियम बनाने में वह विलम्ब न होने दिया जाए जो ऐसे प्रकाशन और निर्देशन से होगा तो धारा 129 के अधीन विनियम, धारा 130 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्व प्रकाशन और धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड को निर्देशन के

बिना बनाए जा सकेंगे:

परन्तु इस प्रकार बनाए गए विनियम उक्त राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड की जानकारी के लिए भेजे जाएंगे और उसके बनाए जाने से एक वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

उपविधियां ।

131. (1) खान का नियोजक, उस खान में किसी विशेष मशीनरी के उपयोग को शासित करने वाली या कार्यकरण की किसी विशेष पद्धति को अपनाए जाने के लिए इस संहिता या किन्हीं तत्समय प्रवृत्त विनियमों या नियमों से असंगत न होने वाली ऐसी उपविधियों का प्रारूप, जैसा कि ऐसा नियोजक उस खान में दुर्घटनाओं का निवारण करने के लिए और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन हेतु उपबंध करने के लिए आवश्यक समझे, तैयार कर सकेगा और यदि ऐसा करने की उससे अपेक्षा मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा की जाए तो तैयार करेगा और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक को निवेदित करेगा ।

(2) यदि कोई ऐसा नियोजक—

(क) मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाने के पश्चात् दो माह के भीतर उपविधि के प्रारूप को निवेदित करने में असफल रहे ; अथवा

(ख) ऐसे उपविधि के प्रारूप को निवेदित करे जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक की राय में पर्याप्य नहीं है, तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक—

(i) ऐसे उपविधि के प्रारूप को प्रस्थापित कर सकेगा जो उसके द्वारा पर्याप्त प्रतीत होता हो ; अथवा

(ii) नियोजक द्वारा जो प्रारूप उसे निवेदित किया गया हो, उसमें ऐसे संशोधन प्रस्थापित कर सकेगा, जिनसे उसकी राय में वह पर्याप्त हो और ऐसी प्रारूप-उपविधियां या प्रारूप-संशोधन, यथास्थिति, नियोजक के पास विचार के लिए भेजेगा ।

(3) यदि उस तारीख से जिसको कोई प्रारूप-उपविधियां या प्रारूप-संशोधन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक ने नियोजक के पास उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन भेजे हों, दो मास की कालावधि के अन्दर मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक और नियोजक उपधारा (1) के अधीन बनाई जाने वाली उपविधियों के निबन्धनों के विषय में परस्पर सहमत होने में असमर्थ रहे तो मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक प्रारूप-उपविधियों को परिनिर्धारण के लिए खानों के संबंध में धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन गठित तकनीकी समिति को निर्देशित करेगा ।

(4) जब ऐसी प्रारूप उपविधि पर नियोजक और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा सहमति हो गई हो, अथवा जब वे सहमति देने में असमर्थ हो, खान के संबंध में धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन गठित समिति द्वारा निपटान किया जाता है, तो प्रारूप उपविधि की प्रति मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को भेज दी जाएगी :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार प्रारूप उपविधियों के ऐसे उपांतरण बना सकेगी जो वह ठीक समझे :

परंतु यह और कि इससे पूर्व कि केन्द्रीय सरकार प्रारूप-उपविधियों का अनुमोदन, चाहे उपांतरणों के सहित या उनके बिना करे, उपविधियां बनाने की प्रस्थापना की और उस स्थान की, जहां प्रारूप-उपविधियों की प्रतियां अभिप्राप्त की जा सकेंगी और उस समय की (जो तीस दिन से कम का न होगा) जिसके भीतर प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा या उनकी ओर से प्रारूप-उपविधियों के प्रति किया गया कोई आक्षेप केन्द्रीय सरकार को भेजा जाना चाहिए, सूचना ऐसी रीति से, जैसी केन्द्रीय सरकार प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए उपयुक्त समझे, प्रकाशित की जाएगी ।

(5) उपधारा (4) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रत्येक आक्षेप लिखित में होगा और निम्नलिखित कथन होगा—

(i) आक्षेप के विशिष्ट आधार ; और

(ii) चाहे गए लोप, परिवर्धन या उपान्तर ।

(6) केन्द्रीय सरकार, उन व्यक्तियों के द्वारा या उनकी ओर से, जिनकी बाबत को यह प्रतीत हो कि वे तद्द्वारा प्रभावित व्यक्ति हैं, और उपविधियों पर या तो उस रूप में, जिसमें वे प्रकाशित की गई थीं, या उनमें ऐसे संशोधन करके, जिन्हें वह ठीक समझे, अनुमोदित कर सकेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित की गई कोई उपविधि इस प्रकार प्रभावी होंगी जैसा यदि इस संहिता में अधिनियमित हो और नियोजक उन उपविधियों की एक प्रति अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में, जैसी विहित की जाएं, खान में या उसके आसपास किसी ऐसे सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा जहां वे उपविधियां नियोजित व्यक्तियों द्वारा सुविधापूर्वक पढ़ी या देखी जा सकें ; और जितनी बार वे विरूपित हो जाएं, मिट जाएं, या नष्ट हो जाएं, उतनी बार युक्तियुक्त शीघ्रता के साथ उन्हें नए सिरे से लगवाएगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार निर्मित किसी उपविधि को लिखित आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः विखंडित कर सकेगी, और तद्नुसार ऐसी उपविधि तद्नुसार प्रभावहीन हो जाएगी ।

संसद के समक्ष विनियमों, नियमों और उपविधियों आदि का रखा जाना ।

132. इस संहिता के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक मानक, नियम, विनियम तथा उपविधियों उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन विनियम, नियम, या उपविधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम, नियम या उपविधि नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

133. इस संहिता के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

134. (1) निम्नलिखित अधिनियम उस तारीख से निरसित किए गए समझे जाएंगे, जैसा कि इस आधार पर अधिसूचित किया जाए,अर्थात् :—

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 ; 1948 का 63

(ख) खान अधिनियम, 1952 ; 1952 का 35

(ग) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण), अधिनियम, 1986 ; 1986 का 54

(घ) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम), अधिनियम, 1996 ; 1996 का 27

(ङ) बागान श्रम अधिनियम, 1951 ; 1951 का 69

(च) ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 ; 1970 का 37

(छ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 ; 1979 का 30

(ज) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1955 ; 1955 का 45

(झ) श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन), अधिनियम, 1958 ; 1958 का 29

(ञ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 ; 1961 का 27

(ट) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्त) अधिनियम, 1976 ; 1976 का 11

(ठ) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 ; 1966 का 32

(ड) सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार अधिनियम, 1981 ; 1981 का 50

(2) इस संहिता द्वारा निरसित किए गए अधिनियमनों के किसी उपबंध के अधीन उद्देश्यों के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक मुख्य निरीक्षक, अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक, उप-मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक और प्रत्येक अन्य अधिकारी, इस संहिता के अधीन ऐसे उद्देश्यों के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित (इसके अधीन किया गया कोई नियम, विनियम, उपविधि अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति, आदेश या निदेश सम्मिलित है) किए गए अधिनियमनों के अधीन की गई कोई कार्यवाई या कोई कार्य इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अपनाया गया अथवा किया गया समझा जाएगा तथा इसके विस्तार के प्रर्वत्त होगा जो इस संहिता के उपबंधों के तब तक प्रतिकूल नहीं होते हैं जब तक उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निरसित नहीं किया जाता है ।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसे अधिनियमन के निरसन के लिए लागू होंगे । 1897 का 10

पहली अनुसूची

[धारा 2 (म) देखिए]

ऐसे उद्योगों की सूची जिसमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अन्तर्वलित हैं

1. लौह धातुकर्म उद्योग

– समाकलित लोहा और इस्पात

– लोहामिश्र धातु

– विशेष इस्पात

2. अलौह धातुकर्म उद्योग

– प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनीज और ऐलुमिनियम

3. ढलाईशाला (लौह और अलौह)

–ढलाई और गढ़ाई, जिसके अन्तर्गत रेल और शाट विस्फोटन द्वारा सफाई करना या चिकना/खुर्दरा बनाना भी है ।

4. कोयला (जिसके अन्तर्गत कोक भी है) उद्योग

– कोयला, लिग्नाइट, कोक, आदि ।

– ईंधन गैसें (जिसके अन्तर्गत कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस भी है) ।

5. शक्ति जनन उद्योग ।

6. लुग्दी और कागज (जिसके अंतर्गत कागज उत्पाद भी है) उद्योग

7. उर्वरक उद्योग

– नाइट्रोजनी

– फास्फेटी

– मिश्रित

8. सीमेंट उद्योग

– पोर्टलैंड, सीमेंट (जिसके अंतर्गत धातुमल सीमेंट, पुज्जोलोना सीमेंट और उनके उत्पाद भी हैं)

9. पैट्रोलियम उद्योग

– तेल परिष्करण

– स्नेहक तेल और ग्रीस

10. पैट्रो-रसायन उद्योग

11. औषधि और भैषजिक उद्योग

– स्वापक, ओषधि और भैषजिक

12. किण्वन उद्योग (आसवनी और मद्य निर्माणशाला)

13. रबड़ (संशलिष्ट) उद्योग

14. पेंट और वर्णक उद्योग

15. चर्म शोधन उद्योग

16. विद्युत लेपन उद्योग

17. रासायनिक उद्योग

– कोक बन्द-चूल्हा उपोत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद

– औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसिटिलीन, आर्गन, कार्बन डाइआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड हैलेजनेटीकृत हाइड्रोकार्बन, ओजोन, आदि)

– प्रौद्योगिक कार्बन

– क्षार और अम्ल

– क्रोमेट और डाइक्रोमेट

– सीसा और उसके यौगिक

– विद्युत रसायन, (धात्विक सोडियम, पोटासियम, और मैग्नीशियम, क्लोरेट, परक्लोरेट और परआक्साइड)

– विद्युत तापीय उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक, कैल्शियम कार्बाइड)

– नाइट्रोजनी यौगिक (साइनाइड, साइनामाइड और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक)

– फास्फोरस और उसके यौगिक

– हैलोजन और हैलोजेनेटीकृत यौगिक (क्लोरिन, फ्लूरीन, ब्रोमिन और आयोडीन)

– विस्फोटक (जिसके अंतर्गत औद्योगिक विस्फोटक और विस्फोटक प्रेरक तथा फ्यूज भी हैं)

18. कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, और अन्य नाशक जीवमार उद्योग

19. संशलिष्ट रेजिन और प्लास्टिक

20. मानवनिर्मित फाइबर (सेलूलोसी और असेलूलोसी) उद्योग

21. विद्युत संचायकों का विनिर्माण और मरम्मत

22. कांच और मृतिका शिल्प

23. धातुओं का पेषण या कांचन

24. ऐस्बेस्टास और उसके उत्पादों का विनिर्माण, उनकी उठाई-धराई और उनका प्रसंस्करण

25. वनस्पति और प्राणी स्रोत से तेल और वसा का निष्कर्षण

26. बेंजीन और बेंजीन से युक्त पदार्थों का विनिर्माण, उनकी उठाई-धराई और उसका उपयोग

27. कार्बन डाइसल्फाइड अंतर्ग्रस्त विनिर्माण प्रक्रिया और संक्रिया

28. रंजक और रंजक द्रव्य जिनके अंतर्गत उनके मध्यवर्ती भी हैं

29. अति ज्वलनशील द्रव्य और गैंसें ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 18 (2)**(च) देखे**)

मामलों की सूची

(i) मशीनरी पर बाड़ लगाना ;

(ii) मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम;

(iii) खतरनाक मशीनों पर अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन;

(iv) बिजली काटने के लिए आद्यात-गियर और युक्तियां;

(v) स्वक्रिय मशीनें;

(vi) नई मशीनरी का आवेष्टन;

(vii) रुई-धुनकियों के पास स्त्रियों और बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध;

(viii) उत्तोलक और उत्थापक;

(ix) उत्थापक यंत्र, जंजीरें, रस्सियां और उत्थापक टैकल;

(x) परिक्रामी मशीनरी;

(xi) दाब संयंत्र;

(xii) फर्श, सीढ़ियां और पहुंच के साधन;

(xiii) गर्त, चौबच्चे, फर्शों में विवर आदि और क्षेत्र में अन्य समान अभिस्थापन;

(xiv) सुरक्षा अधिकारी;

(xv) आंखों का बचाव;

(xvi) खतरनाक धूम, गैसों, आदि के प्रति पूर्वावधानियां;

(xvii) वहनीय विद्युत प्रकाश के प्रयोग की बाबत पूर्वावधानियां;

(xviii) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि;

(xix) सुरक्षा समिति;

(xx) खराब भागों के ब्यौरे या स्थिरता की परख अपेक्षित करने की शक्ति;

(xxi) भवनों और मशीनरी की सुरक्षा;

(xxii) भवनों का अनुरक्षण;

(xxiii) कतिपय खतरनाक मामलों में प्रतिषेध;

(xxiv) दुर्घटनाओं के मामले में सूचना;

(xxv) दुर्घटनाओं के मामले में न्यायालय जांच;

(xxvi) बागान में सुरक्षा के प्रबंध ;

(xxvii) तट, पोत, डॉक, संरचना और ऐसे अन्य स्थानों पर जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, कार्यकरण स्थलों की सुरक्षा के लिए सन्निर्माण, उपस्करण और अनुरक्षण से संबंधित साधारण अपेक्षा ;

(xxviii) डॉक, घाट, घट्टी या अन्य स्थानों पर, जिनका डॉक कर्मकारों को कार्य पर जाने के लिए उपयोग करना होता है, किन्हीं नियमित पहुंच मार्गों की सुरक्षा और ऐसे स्थानों तथा परियोजनाओं पर बाड़ लगाना ;

(xxix) डॉक, पोत, किसी अन्य जलयान, डॉक संरचना या कार्यकरण स्थलों के

सभी क्षेत्रों में, जहां कोई डॉक कार्य किया जाता है, और ऐसे स्थानों के, जहां डॉक कर्मकारों के उनके नियोजन के दौरान जाने की अपेक्षा है, सभी पहुंच मार्गों में पर्याप्त रोशनी करना ;

(xxx) ऐसे प्रत्येक भवन या पोत के किसी अहाते में, जहां डॉक कर्मकारों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त संवातन और उचित तापमान की व्यवस्था करना और उन्हें बनाए रखना ;

(xxxi) अग्नि और विस्फोट निवारण तथा संरक्षण ;

(xxxii) पोतों, खावों, मंचों, उपस्कर, उत्थापक साधित्रों और अन्य कार्यकरण स्थलों तक पहुंच के सुरक्षित साधन ;

(xxxiii) उत्थापक और अन्य स्थोरा को उठाने-धरने के साधित्रों और सेवाओं के जैसे, भार को अंतर्विष्ट करने वाली या सहारा देने वाली पट्टिकाओं का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग और उन पर सुरक्षा साधित्रों की, यदि आवश्यक हो, व्यवस्था ;

(xxxiv) एकीकृत स्थोरा को उठाने-धरने के लिए ढुलाई आधान टर्मिनलों या अन्य टर्मिनलों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा ;

(xxxv) मशीनरी, सजीव विद्युत चालकों, वाष्प नलियों और परिसंकटमय मुखों पर बाड़ लगाना;

(xxxvi) मंच का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग ;

(xxxvii) रिगिंग और पोत के डेरिकों का उपयोग ;

(xxxviii) खुले गियरों की जिनके अंतर्गत जंजीर और रस्सियां हैं, तथा डॉक कार्य में उपयोग में लाई गई स्लिगों और अन्य उत्थापक युक्तियों की जांच, परीक्षा, निरीक्षण और उनके समुचित होने का प्रमाणन ;

(xxxix) जब कर्मकार कोयला या अन्य खुला स्थोरा की उठाई-धराई करते समय खाव, बिन, हापर या वैसे ही स्थानों पर या खाव के डेकों के बीच नियोजित हैं, तब उनका निकल जाना सुकर बनाने के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(xl) स्थोरा का चट्टा लगाने, चट्टा उठाने, उसे भरने और निकालने के कार्यकरण के या उसके संबंध में उठाई-धराई के खतरनाक तरीकों के निवारण के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(xli) खतरनाक पदार्थों को उठाने-धरने और खतरनाक या हानिकर वातावरण में काम करने और ऐसी उठाई-धराई के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(xlii) सफाई, छीलन, रंगरोगन संक्रियाओं के संबंध में कार्य और ऐसे कार्यों के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(xliii) स्थोरा की उठाई-धराई, साधित्रों, शक्ति प्रचालित हैच छादनों या अन्य शक्ति प्रचालित पोत उपस्कर, जैसे, किसी पोत के हल के दरवाजे, रैंप, रेक्ट्रेसेबल कार डेक या वैसे ही उपस्कर का प्रयोग करने के लिए या ऐसी मशीनरी के चालकों को संकेत देने के लिए व्यक्तियों का नियोजन ;

(xliv) डॉक कर्मकारों के परिवहन के लिए व्यवस्था करना ;

(xlv) कार्यकरण स्थल पर अत्यधिक ध्वनि, स्पन्दन और वायु-प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव से डॉक कर्मकारों के संरक्षण के लिए की जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(xlvi) संरक्षात्मक उपस्कर या संरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था ;

(xlvii) सफाई, धुलाई और कल्याण सुविधाओं के लिए व्यवस्था ;

(xlviii) चिकित्सा पर्यवेक्षण ;

(xlix) एम्बुलेंस कक्ष, प्राथमिक उपचार और बचाव सुविधाएं तथा डॉक कर्मकारों को उपचार के निकटतम स्थान पर ले जाने का प्रबंध ;

(l) उपजीविकाजन्य दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और रोगों का अन्वेषण, ऐसे रोगों और सूचनाओं के प्ररूपों, उन व्यक्तियों और अधिकारियों, जिन्हें वे दिए जाएंगे, उनमें दी जाने वाली विशिष्टियों तथा उस कालावधि को, जिसमें, उन्हें दिया जाना है, विनिर्दिष्ट करना ; और

(li) दुर्घटनाओं, हानि हुए श्रमिक दिनों, उठाए-धरे गए स्थोरा की मात्रा का विवरण और डॉक कर्मकारों की विशिष्टियां प्रस्तुत करना ।

(lii) किसी कार्य स्थल तक पहुंचने का सुरक्षित साधन और उसकी सुरक्षा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रमों पर जब कार्य भूतल से या भवन के किसी भाग से या सीढ़ी से या आलंब के किसी अन्य साधन से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता है, उपयुक्त और पर्याप्त पाड़ का उपबंध करना है ;

(liii) किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किसी भवन या अन्य संरचना के पूर्णत: या उसके किसी पर्याप्त भाग को गिराने और किसी भवन या अन्य संरचना को टेकबन्दी करके या अन्यथा तैयार निर्माण या संरचना के किसी भाग को हटाने के दौरान एकाएक गिरने के खतरे से बचाव के संबंध में बरती जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(liv) सक्षम व्यक्तियों के नियंत्रण के अधीन विस्फोटक को हथालना या उसका उपयोग जिससे कि विस्फोट से या उड़ने वाली सामग्री से क्षति का कोई जोखिम न हो ;

(lv) परिवहन उपस्कर का, जैसे ट्रकों, वैगनों और अन्य यानों तथा ट्रेलरों का निर्माण, संस्थापन, उपयोग और अनुरक्षण तथा ऐसे उपस्कर के चलाने या प्रचालित करने के लिए सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति ;

(lvi) उत्तोलकों, उत्थापक साधित्रों और उत्थापक गियर का निर्माण, संस्थापन, उपयोग और अनुरक्षण, जिसके अन्तर्गत कालिक परीक्षण तथा परीक्षा है और जहां आवश्यक हो वहां, ऊष्मोपचार, भार को उठाने या नीचा करने के दौरान बरती जाने वाली पूर्वावधानियां, व्यक्तियों के वहन पर निर्बन्धन तथा उत्तोलकों या अन्य उत्थापक साधित्रों के संबंध में सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति ;

(lvii) प्रत्येक कार्य स्थल और उसके पहुंच मार्ग पर, ऐसे प्रत्येक स्थान पर, जहां उत्तोलकों, उत्थापक साधित्रों या उत्थापक गियरों का उपयोग करके उठाने या नीचे उतारने की संक्रिया की जा रही है और नियोजित भवन कर्मकारों के लिए खतरनाक सभी खुले स्थानों पर पर्याप्त और उपयुक्त रूप से प्रकाश व्यवस्था ;

(lviii) किसी सामग्री के पीसने, साफ करने, छिड़कने या अभिचालन के दौरान धूल,धुएं, गैसों या वाष्पों के अंत:श्वसन का निवारण करने के लिए बरती जाने वाली पूर्वावधानियां और प्रत्येक कार्य के स्थान या परिरुद्ध स्थान से पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(lix) सामग्री या माल का ढेर लगाने या ढेर न लगाने, भराई करने या भराई न करने या उसके संबंध में हथालने के दौरान किए जाने वाले अध्युपाय ;

(lx) मशीनरी की सुरक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गतिपालक चक्र और मूल गति

उत्पादक के प्रत्येक चालक भाग और पारेषण या अन्य मशीनरी के प्रत्येक भाग में बाड़ लगाना है जब तक कि वह ऐसी स्थिति में न हो या ऐसे सन्निर्माण की कोटि का न हो, कि वह किसी भी संक्रिया में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिए सुरक्षित हो और ऐसी कोटि का हो मानो उसमें सुरक्षित रूप से बाड़ लगा हो ;

(lxi) संयंत्र का, जिसके अन्तर्गत संपीडित वायु द्वारा प्रचालित औजार और उपस्कर हैं, सुरक्षित रूप से हथालना और उसका उपयोग ;

(lxii) अग्नि की दशा में बरती जाने वाली पूर्वावधानियां ;

(lxiii) कर्मकारों द्वारा उठाए जाने वाले या हटाए जाने वाले भार की सीमाएं ;

(lxiv) जल द्वारा किसी कार्य स्थल तक या वहां से कर्मकारों का सुरक्षित परिवहन और डूबने से बचाने के लिए साधनों की व्यवस्था ;

(lxv) विद्युतमय तार या साधित्र से, जिसके अन्तर्गत विद्युत मशीनरी और औजार हैं तथा सिरोपरि तारों से कर्मकारों को खतरे से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(lxvi) सुरक्षा जालों, सुरक्षा शीटों और सुरक्षा पट्टों को रखना, जहां कार्य की विशेष प्रकृति या परिस्थितियां उन्हें कर्मकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बनाती हों;

(lxvii) पाड़, सीढ़ियों और जीनों, उत्थापक साधित्रों, रस्सियों, जंजीरों और उपसाधनों, मिट्टी हटाने वाले उपस्करों और प्लवमान परिचालन उपस्करों की बाबत अनुपालन किए जाने वाले मानक ;

(lxviii) स्थूण चालन, कंकरीट कार्य, तप्त एस्फाल्ट, टार या अन्य समरूप वस्तुओं से कार्य, विद्युतरोधन कार्य, भंजन, संक्रियाओं, उत्खनन, भूमिगत सन्निर्माण और सामग्री के हथालने की बाबत बरती जाने वाली पूर्वावधानियाँ ;

(lxix) सुरक्षा नीति, अर्थात्, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में की जाने वाली संक्रियाओं के लिए नियोजकों और ठेकेदारों द्वारा बनाई जाने वाली भवन कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने, उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों के लिए उपायों के संबंध में नीति ;

(lxx) कारखाना में विस्फोटक प्रक्रियाओं के संबंध में उचित मानकों के प्रवर्तन के लिए आपातकालीन मानक ;

(lxxi) किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया (चाहे विस्फोटक हो या अन्यथा) में रासायनिक और टॉक्सिस पदार्थ की अनावृत के प्रति अधिकतम अनुज्ञा द्वार सीमा ;

(lxxii) आकाशीय बिजली

(lxxiii) कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य दृष्टि हेतु परिस्थितियों के अधीन विचार करती है।

तीसरी अनुसूची

(धारा 12(1) देखिए)

अधिसूचनीय रोगों की सूची

1. सीसा विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत सीसे की किसी निर्मिति या सम्मिश्रण द्वारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था है ।

2. सीसा टेट्राएथिल विषाक्तता ।

3. फासफोरस विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

4. पारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

5. मैंगनीज विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

6. संखिया विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

7. नाइट्रस धूम विषाक्तता ।

8. कार्बन बाईसल्फाईड विषाक्तता ।

9. बैंजीन विषाक्तता, जिसके अन्तर्गत इसके किसी होमोलॉग, उनके नाइट्रो या अमीडो व्युत्पत्तियों द्वारा विषाक्तता या तज्जन्य रुग्णावस्था है ।

10. क्रोम अल्सीरेशन या तज्जन्य रुग्णावस्था ।

11. आंथ्रक्स ।

12. सिलीकोसिस ।

13. एलिफेटिक क्रम के हाइड्रोकार्बनों के हालोजनों या हालोजनों की व्युत्पत्तियों द्वारा विषाक्तता ।

14. विकृतिजन्य लक्षण जो निम्नलिखित से हुए हों—

(क) रेडियम या अन्य रेडियो-एक्टिव पदार्थ;

(ख) एक्स-रे

15. त्वचा का प्रारंभिक दुर्दम कैन्सर ।

16. विषैली अरक्तता ।

17. विषाक्त पदार्थ जन्य विषैला पीलिया ।

18. खनिज तेलों और खनिज तेलों वाले सम्मिश्रणों से होने वाला तैल पनसिका या त्वकशोथ है ।

19. फुफ्फस कार्पासता ।

20. ऐस्बैस्टास रुग्णता ।

21. रसायनों और रंगों के सीधे सम्पर्क से उपजीविकाजन्य या संस्पर्शजन्य त्वकशोथ । ये दो प्रकार के होते हैं अर्थात् प्रारंभिक क्षोभक और ऐलर्जी सुग्राहीकर ।

22. कोलाहल के कारण श्रवण शक्ति की हानि (उच्च कोलाहल से प्रभावित होना) ।

23. बेरोलियम विषाक्तता ।

24. कार्बन मोनोक्साइड विषाक्तता ।

25. कोयला खनक न्यूमोकोनिओसिस ।

26. फोसजीन विषाक्तता ।

27. उपजीविकाजन्य कैंसर ।

28. आइसोसायनेट विषाक्तता ।

29. विषैला वृक्कशोथ ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (आयोग) ने जून, 2002 में "कर्मकारों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उक्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, एक संहिता के रूप में एक केन्द्रीय विधान अर्थात् उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019 अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है, जिसमें कारखानें, खान, डाक कर्मकार, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार, बागान श्रम, ठेका श्रम, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी, मोटर परिवहन कर्मकार, विक्रय संवर्धन कर्मचारी, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार, सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकारों से संबंधित तेरह अधिनियमितियों की आवश्यक विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है और जो संबंधित अधिनियमितियों को निरसित करने के लिए है । इसमें लचीलेपन के साथ कार्य की उपयुक्त और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुकूल नियम और विनियम बनाने हेतु सामर्थ्यकारी उपबंधों को उपबंधित करने के लिए व्यापक विधायी ढांचे का उपबंध है ।

2. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019, पूर्वोक्त क्षेत्रों में तेरह अधिनियमितियों के उपबंधों को सरल, समेकित और तर्कसंगत बनाती है और उन्हें कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ संक्षिप्त ग्रंथ में समाविष्ट करती है । उक्त संहिता के प्रमुख तत्व अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए हैं, अर्थात् :—

(i) कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और कार्यदशाओं से संबंधित विषयों में परिवर्तनात्मक कारकों और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को अंगीकृत करने में लचीलापन लाना ;

(ii) खानों और डाक से संबंधित स्थापनों से भिन्न दस या अधिक कर्मकारों वाले सभी स्थापनों के लिए प्रस्तावित संहिता के उपबंधों को लागू करना ;

(iii) (क) सिनेमा और थिएटर कर्मकारों की कार्यदशाओं से संबंधित उपबंधों की परिधि का, उन्हें इलैक्ट्रानिक मीडिया के सभी प्रकारों को सम्मिलत करते हुए डिजिटल दृश्य-श्रव्य कर्मकारों में सम्मिलित करने के लिए विस्तार करना ;

(ख) पत्रकारों के कार्यक्षेत्र का, उन्हें ई-पेपर स्थापन या रेडियो या अन्य मीडिया जैसे इलैक्ट्रानिक मीडिया में सम्मिलित करने के लिए विस्तार करना ;

(ग) अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के कार्यक्षेत्र का, उसमें किसी नियोजक द्वारा, उसके स्थापन में नियोजन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में सीधे भर्ती किए गए या लगाए गए कर्मकारों को सम्मिलित करने के लिए विस्तार करना ;

(घ) कुटुंब की परिभाषा का, उसमें आश्रित पितामह या पितामाही या मातामह या मातामाही को वृद्धावस्था में उनकी देखरेख करने के लिए सम्मिलित करने हेतु विस्तार करना ;

(iv) दस या अधिक कर्मचारियों वाले सभी स्थापनों के लिए "एक रजिस्ट्रीकरण" की धारणा का उपबंध करना ;

(v) कर्मकारों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से

संबंधित नीति संबंधी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करने के लिए "राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड" का गठन करना ;

(vi) प्रस्तावित संहिता के प्रशासन से उद्भूत ऐसे विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने हेतु राज्य स्तर पर राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन करना ;

(vii) किसी स्थापन या स्थापनों के किसी वर्ग में समुचित सरकार द्वारा "सुरक्षा समिति" के गठन के लिए उपबंध करना ;

(viii) महिला कर्मचारियों को, सुरक्षा, अवकाश, कार्य के घंटे और उनकी सहमति से संबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए, रात्रि के समय अर्थात् सायंकाल 7 बजे के पश्चात् और प्रातः 6 बजे से पहले कार्य करने के लिए अनुज्ञात करना ;

(ix) कारखाने, ठेका श्रम और बीड़ी तथा सिगार स्थापनों के लिए "समान अनुज्ञप्ति" का उपबंध करना और ठेका श्रमिकों को लगाने हेतु पांच वर्ष के लिए एकल अखिल भारतीय अनुज्ञप्ति की धारणा को पुरःस्थापित करना ;

(x) ऐसे कर्मकार को, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है या ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिसों को धनीय शास्ति का पचास प्रतिशत तक भाग देने हेतु न्यायालयों को समर्थ बनाना ; और

(xi) संहिता के अधीन अधिरोपित शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध करना ।

3. खंडों पर टिप्पण, संहिता में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

4. संहिता पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
16 जुलाई, 2019

संतोष कुमार गंगवार

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता के संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 2 प्रस्तावित संहिता में प्रयुक्त कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है ।

संहिता का खंड 3 कतिपय स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है ।

संहिता का खंड 4, खंड 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के उपबंध से संबंधित है ।

संहिता का खंड 5 संबंधित स्थापन में किसी उद्योग, व्यापार, कारबार, विनिर्माण या उपजीविका का प्रचालन प्रारंभ करने और बंद करने के लिए नियोजन द्वारा नोटिस देने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 6 नियोजक के कर्तव्यों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 7, खान के संबंध में स्वामी, अभिकर्ता और प्रबंधक के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 8, विनिर्माता, रूपकार, आयातकर्ता या प्रदायकर्ता के कर्त्तव्यों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 9, भवन या अन्य निर्माण कार्य, परियोजना या उसके भाग के संबंध में वास्तुविदों, परियोजना इंजीनियरों और रूपकारों के कर्त्तव्यों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 10, नियोक्ता या स्वामी या एजेंट या प्रबंधक द्वारा स्थापन में किसी स्थान पर हुई कतिपय दुर्घटनाओं की सूचना से संबंधित है ।

संहिता का खंड 11, नियमों द्वारा समुचित सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारियों को नियोक्ता द्वारा कतिपय खतरनाक दुर्घटनाओं की सूचना से संबंधित है ।

संहिता का खंड 12, संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय रोगों की सूचना से संबंधित है ।

संहिता का खंड 13, कार्यस्थल पर कर्मचारियों के कर्त्तव्य से संबंधित है ।

संहिता का खंड 14, नियोक्ता से सूचना प्राप्ति के लिए कर्मचारी के अधिकारों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 15, ऐसी चीजों में, जो स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण के हित में उपबंधित है, के साथ हस्तक्षेप न करने या उनका दुरुपयोग न करने के कर्तव्य से संबंधित है ।

संहिता का खंड 16, राष्ट्रीय उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड के गठन तथा राष्ट्रीय बोर्ड को सहायता देने के लिए तकनीकी समितियों या सलाहकारी समितियों के गठन से संबंधित है ।

संहिता का खंड 17, राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड तथा बोर्ड को सहायता देने के लिए समिति के गठन से संबंधित है ।

संहिता का खंड 18, केंद्रीय सरकार को कार्यस्थल पर उपजीविकाजन्य सुरक्षा

और स्वास्थ्य के मानक घोषित करने के लिए सशक्त करता है ।

संहिता का खंड 19, उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रियाकलापों से संबंधित अनुसंधान करना ताकि अनुसंधान, प्रयोग तथा प्रदर्शन का संचालन हो, से संबंधित है ।

संहिता का खंड 20, कारखाना परामर्श सेवा के महानिदेशक, खान सुरक्षा के महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक और समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा सुरक्षा तथा उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण से संबंधित है ।

संहिता का खंड 21, आंकड़ों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 22, सुरक्षा समिति का गठन और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 23, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं को बनाए रखने के लिए नियोक्ता के दायित्व से संबंधित है ।

संहिता का खंड 24, कल्याणकारी सुविधाओं को प्रदान करने और अनुरक्षण करने के लिए दायित्व अधिरोपित करने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 25 साप्ताहिक और दैनिक कार्य के घंटें, छुट्टी आदि के संबंध में है ।

संहिता का खंड 26 कर्मकारों की साप्ताहिक और प्रतिकरात्मक अवकाश के संबंध में है ।

संहिता का खंड 27 अतिकाल के लिए अतिरिक्त मजदूरी के संबंध में है ।

संहिता का खंड 28 रात्रि पारी संबंधी उपबंधों के संबंध में है ।

संहिता का खंड 29 परस्परव्यापी पारी का प्रतिषेध और पारी पद्धति के प्रबंध के संबंध में है ।

संहिता का खंड 30 कारखाना और खान में दुगुनी नियोजन पर निर्बंधन के संबंध में है ।

संहिता का खंड 31 कार्यावधि की सूचना के संबंध में है ।

संहिता का खंड 32 स्थापन में मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी के उपबंध के संबंध में है ।

संहिता का खंड 33 रजिस्टरों और अभिलेखों का अनुरक्षण और इलैक्ट्रानिक रूप से नियोजन या समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अन्यथा द्वारा विवरणियां फाइल करने के संबंध में है ।

संहिता का खंड 34 निरीक्षक-सह-सुकारकों और मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की नियुक्ति की संबंध में है ।

संहिता का खंड 35 निरीक्षक-सह-सुकारकों की शक्तियों जिसमें कार्यस्थल पर प्रवेश करने, परिसरों आदि की जांच करने, इस संबंध में आवश्यक ब्यौरे सहित किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना आदि के भीतर जाकर जांच करने की शक्ति भी है, के संबंध में है ।

संहिता का खंड 36 खानों की बाबत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में है ।

संहिता का खंड 37 पैनलित विशेषज्ञों द्वारा परव्यक्ति संपरीक्षा और प्रमाणीकरण

के संबंध में है ।

संहिता का खंड 38 कारखाना, खान और डाक कार्य तथा निर्माण और अन्य संनिर्माण कार्य की बाबत निरीक्षक-सह-सुकारक की विशेष शक्तियों के संबंध में है ।

संहिता का खंड 39 मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक आदि द्वारा सूचना की गोपनीयता से संबंधित है ।

संहिता का खंड 40 मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को दी गई सुविधाओं से संबंधित है । ऐसी सुविधाएं स्थापन के नियोजक द्वारा प्रदान की जाएगी ।

संहिता का खंड 41 खान के संबंध में विशेष अधिकारी की प्रवेश करने, मापन करने आदि शक्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 42 चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 43 पूर्वाह्न 6 बजे से पहले और अपराह्न 7 बजे के बाद ऐसी स्त्रियों की सहमति से सुरक्षा, छुट्टी और कार्यों के घंटों से संबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए रात्रि में स्त्रियों के नियोजक से संबंधित है ।

संहिता का खंड 44 खतरनाक प्रचालन में स्त्रियों के नियोजन के प्रतिषेद्ध से संबंधित है ।

संहिता का खंड 45 प्रस्तावित संहिता के भाग 1 के अध्याय 11 के लागू होने के ब्यौरे से संबंधित है ।

संहिता का खंड 46 अनुज्ञापन अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जो प्रस्तावित संहिता के भाग 1, अध्याय 11 के उद्देश्य के लिए समुचित सरकार का राजपत्रित अधिकारी होगा ।

संहिता का खंड 47 ठेकेदार के अनुज्ञापन से संबंधित है ।

संहिता का खंड 48 अनुज्ञप्ति दिए जाने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 49 यह उपबंध करता है कि ठेकेदार ठेका श्रमिक से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संपूर्ण रूप से भाग रूप से कोई फीस या कमीशन प्रभार नहीं करेगा ।

संहिता का खंड 50 समुचित सरकार को कार्य आदेश संबंधी सूचना दिए जाने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 51 अनुज्ञप्ति को खंडन, निलंबन और संशोधन किए जाने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 52 अपील के उपबंधों से संबंधित है । ऐसी अपील अनुज्ञप्ति के प्रदान करने और अनुज्ञप्ति के खंडन, निलंबन और संशोधन, ठकेदार के अनुज्ञापन के संबंध में किए गए आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।

संहिता का खंड 53 कैंटीन, विश्राम कक्ष, पेयजल और प्राथमिक उपचार के उपबंध से संबंधित कल्याणकारी सुविधाओं के लिए प्रधान नियोजक के दायित्व से संबंधित है ।

संहिता का खंड 54 किसी गैर अनुज्ञप्ति ठेकेदार से ठेकाश्रम में नियोजित करने के प्रभाव से संबंधित है । ऐसे ठेकेदार के माध्यम से ठेके श्रमिक के नियोजक की दशा में प्रधान नियोजक द्वारा नियोजित किया गया समझा जाएगा ।

संहिता का खंड 55 मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायित्व से संबंधित है ।

संहिता का खंड 56 संबंधित स्थापन के ठेकेदार या प्रधान नियोजक द्वारा ठेका श्रमिक को वार्षिक या जैसे ही मांग की जाए, ठेका श्रमिक द्वारा निष्पादित कार्य का

उसमें ब्यौरा देते हुए, अनुभव प्रमाणपत्र दिया जाएगा, से संबंधित है ।

संहिता का खंड 57. ठेका श्रमिक के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने से संबंधित है । समुचित सरकार, राष्ट्रीय बोर्ड या किसी राज्य सलाहकारी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, नियोजन के संबंध में निर्बंधन आरोपित करने के लिए इस खंड के अधीन सशक्त है ।

संहिता का खंड 58. विशेष दशाओं में छूट देने की शक्ति से संबंधित है । ऐसी छूट प्रस्तवित संहिता के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों से संबंधित है, जो समुचित सरकार द्वारा खंड में यथाविनिर्दिष्ट किसी आपात की दशा में बनाए जाए ।

संहिता का खंड 59. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की सुविधाओं से संबंधित है । ऐसी सुविधाएं खंड में यथाविनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए नियोजित अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को, किसी स्थापन के नियोजक द्वारा दी जाएगी ।

संहिता का खंड 60. विस्थापन भत्ते से संबंधित है । ऐसा भत्ता सेवानिवृत्ति के समय पर अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों को ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा, जो कर्मकारों के देय मासिक मजदूरी के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और ऐसी दी गई रकम प्रतिदाय नहीं होगी और कर्मकार को देय मजदूरी या अन्य रकम के अतिरिक्त होगी ।

संहिता का खंड 61. यात्रा भत्ते से संबंधित है । ऐसा यात्रा भत्ता अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार के अपने राज्य में उसके निवास स्थान से किसी अन्य राज्य में कार्य स्थान तक और विपर्ययेन दिया जाएगा और ठेकेदार द्वारा देय होगा ।

संहिता का खंड 62. पूर्व दायित्वों से संबंधित है । अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन की अवधि के पूरा होने पर, पूर्व दायित्वों से निर्वासित समझा जाएगा और प्रधान नियोजक या ठेकेदार द्वारा वसूली योग्य नहीं होगा ।

संहिता का खंड 63. करार के बिना दृश्य-श्रव्य कर्मकारों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है, ऐसा करार लिखित में और दृश्य-श्रव्य कर्मकार और दृश्य-श्रव्य प्रोग्राम के निर्माता के बीच या ठेकेदार के साथ दृश्य-श्रव्य प्रोग्राम के निर्माता के बीच होगा और सक्षम प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकृत होगा ।

संहिता का खंड 64. खान के प्रबंधकों से संबंधित है । इस बाबत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, एक खान एक मात्र प्रबंधक के अधीन होगी । यह खंड किसी प्रबंधक के उत्तरदायित्वों का उपबंध भी करता है ।

संहिता का खंड 65. कतिपय दशाओं में संहिता के लागू न होने से संबंधित है, जैसे खान में उत्खनन केवल पूर्वेक्षण के लिए और न कि खंड में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उपयोग या विक्रय के लिए खनिज की अभिप्राप्ति के प्रयोजन के लिए किया जाएगा और संहिता में यथा विनिर्दिष्ट यदि खान, कंकड़, मोरम, लैटराइट, ढोकी, बजरी, शिंगल, मामूली बालू आदि निकालने में लगी हो ।

खंड 66—संहिता के नियोजन से संबंधित उपबंधों से छूट का उपबंध करने के लिए है । ऐसी छूट आपात की दशा में, जिसमें किसी खान या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को गंभीर जोखिम अंतर्वलित है या किसी दुर्घटना की दशा में या किसी दैव कृत्य या किसी मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर के खराब हो जाने के परिणामस्वरूप किसी खान की ऐसी मशीनरी, संयंत्र या उपस्कर पर किए जाने वाले किसी शीघ्र कार्य की दशा में है ।

खंड 67—संहिता के अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित है । यह उपबंध करता है कि वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को किसी

खान या उसके किसी भाग में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा किंतु प्रशिक्षुओं और अन्य प्रशिक्षणार्थियों की दशा में ऐसी आयु सीमावर्ष से कम 16 नहीं होगी ।

खंड 68—इस प्रश्न के विनिश्चय से संबंधित है, की यदि कोई प्रश्न उदभूत होता है कि कोई खनन या संकर्म या किसी खान में या उससे संलग्न कोई परिसर जिसमें खनिजों या कोक को विक्रय के लिए तैयार करने के लिए गेटिंग, ड्रेसिंग या तैयार करने से अनुषंगी कोई प्रक्रिया की जाती है, इस संहिता के अर्थांतर्गत कोई खान है, भारत सरकार के सचिव द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र इस निमित्त निश्चायक होगा ।

खंड 69—औद्योगिक परिसरों और व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित है । अनुज्ञप्ति के बिना कोई नियोजक किसी स्थान या परिसरों का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करना अनुज्ञात नहीं करेगा ।

खंड 70—अपीलों से संबंधित है । सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीकरण से इंकार करने वाले या अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने वाले विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अपील ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, कर सकेगा ।

खंड 71—कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक परिसरों से बाहर कार्य करने के लिए अनुज्ञा से संबंधित है । ऐसी अनुज्ञा राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त की जाएगी और नियोजक औद्योगिक परिसरों से बाहर किए जाने वाले अनुज्ञप्त संकर्म का अभिलेख रखेगा ।

खंड 72—बीड़ी और सिगार कर्मकारों से संबंधित भाग 4 के लागू न होने से संबंधित है ।

खंड 73—कतिपय भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कतिपय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध करने से संबंधित है । नियोजक किसी व्यक्ति को, जो बधिर है या जिसे दृश्य शक्ति की त्रुटि है या सिर चकराने की प्रवृति है, को भवन या अन्य संनिर्माण कार्य की ऐसी संक्रिया में, जो इस खंड में विनिर्दिष्ट है, में कार्य करना अनुज्ञात नहीं करेगा ।

खंड 74—कारखानों के अनुमोदन और अनुज्ञापन से संबंधित है । रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन समुचित सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

खंड 75—कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी के दायित्व से संबंधित है । परिसर का स्वामी और करखानों का अधिभोगी, जो सामान्य सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, संयुक्त रूप से और पृथकत: सामान्य सुविधाओं और सेवाओं, जैसी की खंड में विनिर्दिष्ट है, का उपबंध करने और अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

खंड 76—संहिता को कतिपय परिसरों पर लागू करने की शक्ति से संबंधित है । प्रस्तावित संहिता के भाग 6 के उपबंध समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किसी स्थान को लागू होंगे, जिसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया कारखाने में कामगारों की संख्या पर ध्यान दिए बिना विद्युत की सहायता से या उसके बिना चलाई जाती है ।

खंड 77—खतरनाक संक्रियाओं से संबंधित है । इस संबंध में समुचित सरकार किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग या विवरण के लिए, जिसमें कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसमें उसमें नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को शारीरिक क्षति, विष या रोग का गंभीर जोखिम है, जैसा कि इस खंड में विनिर्दिष्ट है, नियम बना सकेगी ।

खंड 78—स्थल मूल्यांकन समिति के गठन से संबंधित है । इस खंड के अधीन गठित स्थल मूल्यांकन समिति किसी कारखाने, जिसमें खतरनाक संक्रियाएं अंतर्वलित हैं या ऐसे कारखाने के विस्तार आदि के लिए प्रारंभिक अवस्थान की अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए आवेदन प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर अपनी सिफारिश करेगी ।

खंड 79—अधिष्ठाता द्वारा जानकारी के अनिवार्य प्रकटन से संबंधित है । प्रकटन राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबंधित और इस खंड में यथा विनिर्दिष्ट रीति में होगा ।

खंड 80—अधिष्ठाता के परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायी से संबंधित है । किसी कारखाने, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अंतर्वलित है, के अधिष्ठाता का उत्तरदायित्व सही और अद्यतन स्वास्थ्य अभिलेख बनाए रखने से संबंधित है ।

खंड 81—कतिपय स्थितियों में राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा जांच करने से संबंधित है । ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय बोर्ड को नियमों द्वारा किन्हीं उपायों को या मानकों को अंगीकृत करने में असफलता के कारणों या अनदेखी करने का पता लगाने की दृष्टि से किसी कारखाने में स्वास्थ्य मानकों और सुरक्षा का अनुपालन करने की जांच करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

खंड 82—आपातस्थिति मानकों से संबंधित है । केंद्रीय सरकार उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य महानिदेशालय को, जो पूर्व में कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के नाम से ज्ञात था या परिसंकटमय प्रक्रियाओं में सुरक्षा मानकों से संबंधित विषयों में प्राधिकृत किसी संस्थान को परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में समुचित मानकों के प्रवर्तन के लिए आपातस्थिति मानक अधिकथित करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

खंड 83—रसायनों और विषैले पदार्थों के प्रति उच्छन्नता की अनुज्ञेय सीमाओं से संबंधित है । किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रसायन और विषैले पदार्थों के प्रति उच्छन्नता की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा उस गणना की होगी, जो राज्य सरकार के नियमों में है ।

खंड 84—कर्मकारों को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने के अधिकार से संबंधित है । आसन्न खतरे की युक्तियुक्त आशंका की दशा में कर्मकार उसे अधिष्ठाता, अभिकर्ता, प्रबंधक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जो कारखाने का भारसाधक है या संबंधित व्यक्ति की जानकारी में सीधे या सुरक्षा समिति के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ला सकेंगे और साथ ही उसे निरीक्षक की जानकारी में भी ला सकेंगे ।

खंड 85—कारखाने की दशा में निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता के आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित है । अपील के संबंध में ब्यौरे राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबंधित किए जाएंगे ।

खंड 86—छूट प्रदान करने वाले नियम बनाने और आदेश करने की शक्ति से संबंधित है । यह खंड समुचित सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए, जो पर्यवेक्षण या प्रबंधन का पद धारण कर रहे हैं या किसी कारखाने में गोपनीय पद पर नियोजित हैं, को नियमों द्वारा परिभाषित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 87—अपराधों के लिए साधारण शास्ति से संबंधित है । ऐसे अपराध वे अपराध हैं, जिनके प्रस्तावित संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन अभिव्यक्त रूप से उपबंध नहीं किया गया है ।

संहिता का खंड 88 मुख्य निरीक्षक-सह सुकारक या निरीक्षक-सह सुकारक आदि को बाधा कारित करने के लिए दंड से संबंधित है ।

संहिता का खंड 89 रजिस्टर, अभिलेखों के अननुरक्षण विवरणियों को फाइल नहीं करने आदि के लिए शास्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 90 प्रस्तावित संहिता या किसी नियम, विनियम या उपविधियों आदि के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। खंड दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे अपराधों कि पुनरावृति के मामले में वर्धित दंड का भी उपबंध करता है ।

संहिता का खंड 91 अभिलेखों के मिथ्याकरण, आदि के लिए दंड से संबंधित है ।

संहिता का खंड 92 युक्तियुक्त बहाने के बिना रेखांक, आदि देने में लोप के लिए शास्ति और लोप करने वाले व्यक्ति पर सबूत के भार से संबंधित है ।

संहिता का खंड 93 जानकारी के प्रकटन के लिए दंड से संबंधित है। जानकारी के बारे में ब्यौरे खंड में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

संहिता का खंड 94 विश्लेषण के सदोषढंग से परिणामों को प्रकट करने के लिए शास्ति से संबंधित है । प्रकटन के ब्यौरे खंड में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

संहिता का खंड 95 खंड में यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित कर्तव्यों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 96 सुरक्षा प्रावधानों संबंधी कर्तव्यों के उपबंधों के उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना होती है, के लिए शास्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 97 खंड 38 के उपबंधों अधीन जारी किसी साधारण या विशेष आदेश के उल्लंघन में कार्य करने के लिए दंड से संबंधित है ।

संहिता का खंड 98 खंड 64 के उपबंध के उल्लंघन में प्रबंधक नियुक्त करने में असफलता के लिए दंड से संबंधित है ।

संहिता का खंड 99 कर्मचारियों द्वारा अपराधों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 100 खंड में यथाविनिर्दिष्ट खान के स्वामी अभिकर्ता या प्रबंधक के अभियोजन से संबंधित है ।

संहिता का खंड 101 खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या कारखाना के अधिष्ठाता को दायित्व से कतिपय दशाओं में छूट से संबंधित है। ऐसे मामले वे हैं कि स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या अधिभोगी न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उसने प्रस्तावित न्यायालय के क्रियान्वयन को प्रवृत्त करने के लिए सम्यक तत्परता का प्रयोग किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने प्रश्नगत अपराध उसकी अपनी जानकारी सहमति या मौनानाकूलता के बिना किया है ।

संहिता का खंड 102 खंड में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में कंपनियों आदि द्वारा अपराधों से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति उस समय जब अपराध किया गया था, कंपनी कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी अपराध की दोषी समझी जाएगी और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा ।

संहिता का खंड 103 प्रस्तावित संहिता के अधीन अभियोजन की परिसीमा और अपराध के संज्ञान से संबंधित है ।

संहिता का खंड 104 समुचित सरकार के अधिकारियों को कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति से संबंधित है। ऐसे मामले प्रस्तावित संहिता के

अधीन वे मामले होते हैं जिनमें जुर्माना ही शास्ति है ।

संहिता का खंड 105 अपराध के लिए कार्यवाहियों आदि को ग्रहण करने न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है। न्यायालय की अधिकारिता वहां लागू होगी जहां स्थापन तत्समय स्थित है ।

संहिता का खंड 106 न्यायालय की आदेश करने की शक्ति से संबंधित है। ऐसे आदेश अपराधी से आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपराधी से दंड अधिनिर्णीत करने की अपेक्षा से संबंधित है ।

संहिता का खंड 107 अपराधों के शमन से संबंधित है । उपबंध के अधीन वे अपराध जिनमें केवल जुर्माना दंड है, शमनीय हैं ।

संहिता का खंड 108 शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है । प्रत्यायोजन में, वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए प्रत्यायोजन किया जाएगा, विनिर्दिष्ट की जाएं।

संहिता का खंड 109 आयु के संबंध में दायित्व से संबंधित है । दायित्व का भार अभियुक्त व्यक्ति पर यह साबित करने के लिए है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी आयु से कम का नहीं है ।

संहिता का खंड 110 उन सीमाओं, जो व्यवाहार्य हैं, आदि को साबित करने के दायित्व से संबंधित है। यह कोई ऐसी बात करने के लिए कर्तव्य का अनुपालन करने की असफलता से संबंधित है, ऐसे व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा जिसे ऐसे कर्तव्य या अपेक्षा का अनुपालन करने में हुई असफलता के बारे में अभिकथित किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं था या कर्तव्य या अपेक्षा को पूरा करने के लिए सभी व्यवहार्य उपाए किए गए थे ।

संहिता का खंड 111 ठेकेदार, कारखानों तथा औद्योगिक परिसरों तथा व्यक्तियों के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 112 प्रस्तावित संहिता से असंगत विधि और करारों के प्रभाव से संबंधित है ।

संहिता का खंड 113 कतिपय मामलों में सीधी जांच करने के लिए समुचित सरकार की शक्ति से संबंधित है। ऐसे मामले किसी स्थापन में किसी दुर्घटना के होने की ऐसी दशा, जिसने कार्यस्थल के भीतर और उसके आसपास कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को गंभीर खतरा उत्पन्न किया है या जिससे गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी या वह चाहे तुरंत या विलंबित हो या किसी व्यवसायिक बिमारी जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, से संबंधित है ।

संहिता का खंड 114 रिपोर्टों के प्रकाशन से संबंधित है। ऐसी रिपोर्टें वे रिर्पोटें होती हैं जो राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा समुचित सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं या किसी रिपोर्ट से कोई उद्धरण हो जो प्रस्तावित संहिता के अधीन समुचित सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं ।

संहिता का खंड 115 प्रस्तावित संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्तियों से संबंधित है ।

संहिता का खंड 116 सूचना के प्रकटन पर साधारण निबंर्धन से संबंधित है ।

संहिता का खंड 117 उन विषयों के संबंध में सिविल न्यायालयों की उस अधिकारिता को विवर्जित करने से संबंधित है जिसको प्रस्तावित संहिता का कोई उपबंध

लागू होता है और किसी ऐसी बात, जिसे प्रस्तावित संहिता के द्वारा या उसके अधीन किया जाता है या किया जाना आशयित है, के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

संहिता का खंड 118 व्यक्ति के लिए विधिक कार्यवाही से संरक्षण से संबंधित है यदि कार्यवाही प्रस्तावित संहिता के अनुसरण में सद्भावूर्वक की गई है ।

संहिता का खंड 119 खंड में यथाविनिर्दिष्ट विशेष मामलों में छूट प्रदान करने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 120 लोक आपात के दौरान छूट प्रदान करने की शक्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 121 लोक संस्था को छूट प्रदान करने की शक्ति से संबंधित है। ऐसी संस्था, कार्यशाला या कार्यस्थान जहां विनिमार्ण प्रक्रिया की जाती है और जो प्रस्तावित संहिता के सभी या किन्ही उपबंधों से शिक्षा प्रशिक्षण, अनुसंधान या सूचना के प्रयोजनों के लिए अनुरक्षित लोक संस्था से संबद्ध है ।

संहिता का खंड 122 उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनसे नोटिस आदि देने की अपेक्षा की जाती है और जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 176 के अर्थ के भीतर ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्धकर हैं ।

संहिता का खंड 123 केन्द्रीय सरकार को अनुसूची का उसमें परिवर्धन, परिवर्तन या लोप के माध्यम से संशोधित करने के लिए सशक्त करने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 124 राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाइयों को दूर करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 125 पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित संहिता के प्रयोजनो को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति से संबंधित है ।

संहिता का खंड 126 पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुये और अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार की नियमों को बनाने की शक्ति से संबन्धित है।

संहिता का खंड 127 पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुये और अधिसूचना द्वारा, प्रस्तावित संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार की नियमों को बनाने की शक्ति से संबन्धित है।

संहिता का खंड 128 राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खानों और डाक कर्म से संबन्धित विनियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति से संबन्धित है, जो प्रस्तावित संहिता से संगत होगी।

संहिता का खंड 129 नियमों, आदि के पूर्व प्रकाशन से संबन्धित है। प्रस्तावित संहिता के अधीन नियमों, विनियमों, और उप-विधियों को बनाने की शक्ति पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होगी।

संहिता का खंड 130 पूर्व प्रकाशन के बिना विनियम बनाने की शक्ति से संबन्धित है। वे विषय जिनमें विनियम बनाए जाएँगे, खंड में विनिर्दिष्ट हैं ।

संहिता का खण्ड 131 उपविधियों को विरचित करने से संबंधित है। किसी खदान के नियोक्ता को उपविधि बनाने के लिए सशक्त करता है, जैसा कि खंड में निर्दिष्ट है ।

संहिता का खंड 132 संसद के समक्ष विनियमों, नियमों और उपविधियों आदि को रखे जाने से संबंधित है ।

संहिता का खंड 133 राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को रखे जाने से संबंधित है ।

संहिता का खण्ड 134 निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित है। ऐसे अधिनियमन जिन्हें निरसित किया जा रहा है, उन्हें खंड में प्रगणित किया गया है। प्रस्तावित संहिता द्वारा निरसित किए गए अधिनियमनों के किन्हीं उपबंधों के अधीन उद्देश्यों के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक मुख्य निरीक्षक, अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक, संयुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक और प्रत्येक अन्य अधिकारी को प्रस्तावित संहिता के अधीन उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित संहिता के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायगा। निरसित किए गए अधिनियमनों के अधीन कतिपय कार्यवाइयों को भी बनाए रखने के लिए है ।

वित्तयी ज्ञापन

उपजीवकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019 के उपबंधों में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

संहिता का खंड 125. समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस संहिता के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में-(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (भ) के स्पष्टीकरण के अधीन स्त्रोतों से आय ; (ख) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यक) के अधीन पदार्थ को परिसंकटमय पदार्थ के रूप में विहित करना ; (ग) धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विलम्ब फीस ; (ग) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजने का प्ररूप और रीति तथा वह प्राधिकारी जिसको नोटिस भेजा जाएगा तथा प्राधिकारी को सूचित करने की रीति ; (च) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन ऐसी आयु के या स्थापनों के ऐसे वर्ग, ऐसे कर्मचारियों की निशुल्क: जांच कराना ; (छ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्ति पत्र में सम्मिलित की जाने वाली जानकारी ; (ज) शारीरिक चोट की प्रकृति और नोटिस का प्ररूप तथा वह समय जिसके भीतर धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा जाएगा ; (झ) खतरनाक घटना की प्रकृति और सूचना का प्ररूप, वह समय जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसको धारा 11 के अधीन सूचना दी जाएगी; (ञ) कतिपय रोगों से संबंधित सूचना का प्ररूप और वह समय जिसके भीतर धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी को सूचना भेजी जाएगी; (ड) सुरक्षा समिति के गठन की रीति और धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा समिति में नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधि को चुनने के लिए रीति और प्रयोजन; (ण) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन साप्ताहिक और प्रतिकरात्मक अवकाश से कर्मकारों को छूट देने के लिए शर्तें; (थ) ऐसी सूचना के संप्रर्दशन की प्ररूप और रीति तथा वह रीति जिसमें ऐसी सूचना, धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक को भेजी गई है ; (न) धारा 33 के खंड (घ) के अधीन निरीक्षक-सह-सुकारक को विवरणी फाइल करने की रीति; (प) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन वेब आधारित निरीक्षण सहित निरीक्षण संचालित करने की रीति; (फ) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक की अर्हता और अनुभव; (म) धारा 37 के अधीन पैनलित किए जाने वाले विशेषज्ञों की अर्हताएं, अनुभव, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ; (य) धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (अ) के उपखंड (घ) के अधीन वैकल्पिक नियोजन उपलब्ध किए जाने की रीति ; (यक) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति और अन्य स्थापन के लिए अर्हता ; (यघ) धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन नियोजन और किसी अन्य स्थापन के लिए कुमार की उसकी योग्यता के लिए परीक्षा और प्रमाणन; (यच) धारा 47 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन ठेका श्रमिक के संबंध में काम के घंटो के बारे मे शर्तें, मजदूरी का नियत करना और अन्य आवश्यक सुख-सुविधाएं का उपबंध हो सकेगा ।

संहिता का खंड 126. केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में--(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यण) के उपखंड (iii) के अधीन प्राधिकारी; (ख) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यण) के परंतुक के अधीन डॉक के स्वामी की दशा में अधिष्ठाता को परिभाषित करना; (ग) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र

का प्ररूप, समय जिसके भीतर और शर्तें जिनके अध्यधीन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा; (घ) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अन्य विशिष्टियां और प्ररूप; (ङ) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन स्थापन के बंद करने की सूचना और रजिस्ट्रीकृत अधिकारी को संदाय प्रमाणित करने की रीति; (च) राष्ट्रीय बोर्ड की प्रक्रिया और उसके अधिकारी और कर्मचारिवृंद; सदस्यों की संख्या, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें; तकनीकी समितियों या सलाहकार समितियों के सदस्यों की संख्या और उनकी अर्हताएं; (झ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य और काम करने की दशाएं; (ञ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन कर्मकारों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं; (ड) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन कार्यरत पत्रकारों के लिए काम के घंटे; (ढ) धारा 25 की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन छुट्टी के अन्य प्रकार; (ण) धारा 25 की उपधारा (4) के खंड (ii) के अधीन संचित छुट्टी की अधिकतम कालावधि; (थ) धारा 25 की उपधारा 4 के खंड (iv) के अधीन नकद प्रतिकर के हकदारी के लिए शर्तें और निर्बंधन; (द) धारा 36 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य; (प) धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने और ऐसी अन्य विशिष्टियों का प्ररूप और रीति; (ब) धारा 48 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन और अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीकरण की प्रक्रिया; (म) धारा 63 की उपधारा (3) के अधीन निर्माता द्वारा दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम से संबंधित जिस प्राधिकारी को सूचना दिया जाना है; (य) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन एकमात्र प्रबंधक की अर्हताएं और विषय जिसकी व्यावृत्ति की जा सके के लिए उपबंध हो सकेंगे ।

संहिता का खंड 127 केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में--(क) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन, प्रक्रिया और उससे संबन्धित अन्य विषय; (घ) धारा 69 की उपधारा (3) के अधीन परिसर के स्थान का रेखांक तैयार करने की रीति; (छ) धारा 70 के अधीन अपील फाइल करने का समय, फीस और अपील प्राधिकारी; (ञ) धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन कारखानों का अनुज्ञापन, रीति और अनुमोदन के लिए नियम; (ड) धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन परिसंकटमय प्रक्रिया अंतर्वलित होने वाले कारखाने की स्थापना के लिए आवेदन का प्ररूप; (ढ) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन कारखाना के अधिष्ठाता द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण की रीति; (द) कर्मकारों के स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी अभिलेखों का अनुरक्षण और धारा 80 के खंड (क) के अधीन परिसंकटमय प्रक्रियाओं मे लगे हुए कर्मकारों द्वारा इसकी पहुंच के लिए शर्तें ; (प) धारा 83 के अधीन किसी कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रासायनिक और विषैले पदार्थों को खुला छोड़ने की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा; (फ) धारा 86 की उपधारा (1) के अधीन उन व्यक्तियों से संबंधित नियम जो किसी कारखाने में पर्यवेक्षण या प्रबन्धक का पद धारण किए हुए हैं या किसी गोपनीय पद पर नियोजित हैं, के लिए उपबंध हो सकेंगे ।

संहिता का खंड 128 केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी। विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में--(क) वे अर्हताएं विहित करना जो मुख्य निरीक्षक-सह-

सुकारक या निरीक्षक-सह-सुकारक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित हों ; (ग) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों के और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य विहित करना और खानों के अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं (जिसके अन्तर्गत आयु भी है) विहित करना; (च) ऐसी परीक्षाओं और ऐसे प्रमाणपत्रों के अनुदान तथा नवीकरण के बारे में दी जाने वाली फीसें, यदि कोई हों, नियत करना ; (छ) उन परिस्थितियों को जिनमें, और उन शर्तों को जिसके अध्यधीन रहते हुए एक से अधिक खानों का एक ही प्रबन्धक के अधीन रहना या किसी खान या किन्हीं खानों का विहित अर्हताएं न रखने वाले प्रबन्धक के अधीन रहना विधिपूर्ण होगा, अवधारित करना ; (ज) इस संहिता के अधीन की जाने वाली जांचों के लिए, जिनके अन्तर्गत इस संहिता के अधीन प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति के अवचार या अक्षमता से संबद्ध कोई जांच आती है, उपबंध करना और ऐसे किसी प्रमाणपत्र के निलम्बन और रद्द किए जाने के लिए उपबंध करना और जहां भी आवश्यक हो वहां यह उपबंध करना कि जांच करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश कराने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की सिविल न्यायालय की सब शक्तियां प्राप्त होंगी ; (थ) खानों में मशीनरी का उपयोग विनियमित करना, ऐसी मशीनरी पर या उसके आसपास और कर्षण-मार्गों पर नियोजित व्यक्तियों के क्षेम के लिए उपबंध करना और भूमि के नीचे कुछ वर्गों के चलित्रों का प्रयोग निर्बन्धित करना ; (प) खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं और प्रबन्धकों से खानों के लिए नियत सीमाएं रखने की अपेक्षा करना, उनसे संसक्त रेखांक और खंडचित्र तथा स्थलीय टिप्पण, जो उनके द्वारा रखे जाने हैं, विहित करना और वह रीति जिससे और वे स्थान जिनमें ऐसे रेखांक, खण्डचित्र और स्थलीय टिप्पण अभिलेख के प्रयोजन के लिए रखे जाने हैं, विहित करना और उनकी प्रतियों का मुख्य निरीक्षक-सह-सुकारक को निवेदित किया जाना; और उनसे यह अपेक्षा करना कि वे नए सर्वेक्षण करें और नए रेखांक बनाएं, और अननुपालन की दशा में, किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से सर्वेक्षण कराना और रेखांक तैयार कराना और उनके व्ययों की वसूली उसी रीति से करना, जिससे भू-राजस्व के बकाया की होती है ; (यझ) विवृत्त खानों में सुरक्षा उपलब्ध करवाना और उसमें प्रयुक्त मशीनरी और सहयुक्त संक्रिया; (यट) विवरणी का प्ररूप विनिर्दिष्ट करना जिसे इस संहिता के अधीन स्थापन या स्थापन के वर्ग द्वारा फ़ाइल किया जाएगा; (यम) खुले गियरों की जिनके अंतर्गत जंजीर और रस्सियां हैं, तथा डॉक कार्य में उपयोग में लाई गई स्लिगों और अन्य उत्थापक युक्तियों की जांच, परीक्षा, निरीक्षण और उनके समुचित होने का प्रमाणन की व्यवस्था; (ययख) खतरनाक पदार्थों को उठाने-धरने और खतरनाक या हानिकर वातावरण में काम करने और ऐसी उठाई-धराई के संबंध में की जाने वाली पूर्वावधानियां ; (ययट) दुर्घटनाओं, हानि हुए श्रमिक दिनों, उठाए-धरे गए स्थोरा की मात्रा का विवरण और डॉक कर्मकारों की विशिष्टियां प्रस्तुत करना, के लिए उपबंध हो सकेंगे ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में उक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार, प्रस्तावित संहिता में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।